खण्ड-247, अंक-10
गुरूवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(19 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 247 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३५९–३६२
प्रश्नोत्तर	३६३–४०४
प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति	४०४–४०५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न	४०५
प्राक्कलन समिति का बिक्री–कर विभाग से सम्बन्धित प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	४०५–४०६
गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत) ..	४०६–४०७
थाना इंचार्ज, इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद द्वारा दो गिरफ्तार व्यक्तियों को पीटने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत) ..	४०७
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	४०७–४०८
२० फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न २२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४०८
कतिपय विषय के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	४०८–४१०
विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४१०–४१२
कतिपय विषय के सम्बन्ध में जानकारी	४१२
श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की	४१३
सूचना १९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३६–संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत)	४१३
अनुदान संख्या ३७–सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	४१३
सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	४१३–४१४
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ५१–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	४१४
सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	४१४–४१५
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३५–सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत)	४१५–४५४
नत्थियां	४५५–४७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
ठल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयारामशाक्य श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन,
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह,, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती

रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिब्बन लाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उप-मन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा, मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के विरुद्ध प्रचार की जांच

**१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध बहुत से आरोपों सहित एक छपा हुआ अंग्रेजी का पर्चा, जिसका शीर्षक Very Important Announcement है काफी संख्या में प्रदेश के विभिन्न भागों में बांटा गया है ?

**२—यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए ऐसा पर्चा बांटने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

सरकार के पास इसकी कोई इत्तला नहीं है कि उक्त पर्चा किस संख्या में प्रदेश के विभिन्न भागों में बांटा गया है। इस संबंध में वाजिब कार्यवाही की जा रही है। परन्तु संविधान के अनुच्छेद २११ के प्रतिबन्ध को देखते हुये सरकार सदन में कुछ और कहना ठीक नहीं समझती।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो गन्दे आरोप उस नोटिस में लगाये गये हैं और वह नोटिस सरकार के पास भी पहुंच चुका है तो इस बात को देखते हुये सरकार उसकी जांच कर के सदन को सूचित करने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यह लेख मिलने के बाद हमने आलरेडी कह दिया कि किसने यह लिखा है इसकी जांच की जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सरकार को पता है कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, इलाहाबाद जिस समय सीतापुर गये थे तो उस समय उनके आचरण के सम्बन्ध में शिकायत कांग्रेस कमेटी, सीतापुर ने सरकार को की थी तो उसमें सरकार ने क्या किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है। संविधान की धारा २११ के अनुसार मैं इससे अधिक यहां पर कुछ नहीं बोल सकती हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

२११ संविधान की धारा यह कहती है कि उनके जुडिशल फंक्शन के बारे में यहां पर डिस्कशन नहीं कर सकते लेकिन उनके आचरण के सम्बन्ध में कि वह किस आचरण के व्यक्ति हैं और हाईकोर्ट के जज रहने के लायक हैं या नहीं इसको डिस्कस कर सकते ह।

श्री अध्यक्ष—

आपने संविधान की धारा २११ को नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़ते तो देखते कि जिन शब्दों का उसमें प्रयोग है उसमें 'ड्यूटी' शब्द आया है। उनको जुडिशल ड्यूटी में वह चीज आ जाती है।

"No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the onduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties."

फिर आर्टिकिल १२१ है, वह भी आप लोग देख लें—

"No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the Judge as hereinafter provided."

अब मैं हिन्दी में अनुवाद पढ़े देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं समझ गया, अनुवाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

सदन की भाषा हिन्दी है, आश्चर्य की बात है कि काशीनाथ जी अब अंग्रेजी समझने लगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनार्थसिंह बिल्कुल सही कहते हैं। पहले २११ देखिये—

"उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य के विधान मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी।" ये शब्द हैं। अब १२१ अनुच्छेद देखें—

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं उनके कार्य-संपादन के विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप खामोश नहीं बैठ सकते तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप साधारण नियम भी नहीं बरतते हैं जो सदन के हैं। अनुच्छेद १२१ इस प्रकार है—

"उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबंधित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में न होगी।"

तो हमारे ऊपर इतने जबरदस्त प्रतिबन्ध हैं। हम उनके आचरण के सम्बन्ध में चर्चा नहीं कर सकते। अगर उन्हें हटाना भी है तो यह सदन हटा भी नहीं सकता, यह सदन उस पर विचार भी नहीं कर सकता। हमारे प्रतिनिधि संसद में मौजूद हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। अब सिर्फ फैक्ट्स के सम्बन्ध में, जैसा कि मोहिले जी ने पूछा कि क्या कोई अन्वेषण हो रहा है कि किसने वह पर्चा छापा, तो उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में हम जांच कर रहे हैं। मोहिले जी ने जो यह कहा कि उनके सम्बन्ध में अन्वेषण करके सदन के समक्ष रिपोर्ट रखें, इसको मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त भायर (जिला सहारनपुर)—

इसी सदन में जस्टिस मुल्ला के जजमेंट के बारे में चर्चा हो चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपने संविधान के अनुच्छेद २११ और १२१ पढ़कर सुनायी हैं इनको और जोड़ दिया जाय तो क्या इस सिलसिले में जो पर्चा बटा है, क्या उनको जुडीशल और एग्जिक्युटिव दोनों पावर्स के अलावा बाकी आचरण पर चर्चा हो सकती है या नहीं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नोटिस उनको प्राप्त हुआ है उसमें किसी प्रेस का नाम है या नहीं है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रेस का नाम है 'स्वराज्य प्रेस', देहली ।

श्री सत्यनारायण पांडेय —

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी पर्चे में छपे हुए तथ्यों की गोपनीय जांच करा कर सदन में न सही, राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में लिखेंगीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि मैं केवल इसी बात की जांच करवाऊंगी कि वह पर्चा कहां से छपा और किसने छापा, बाकी और कार्यवाही हमारे अधिकार में नहीं है । वह केन्द्रीय सरकार के अधिकार में है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि हम जज को जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स हैं उसके बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते, मगर उसके आचरण के बारे में कि किस ढंग से वह व्यवहार करता है, उस पर चर्चा कर सकते हैं । अभी माननीया मुख्य मंत्री जी सीतापुर जब गयी थीं तो कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी उनसे इस बारे में शिकायत की थी । तो क्या माननीया मुख्य मंत्री जी इसकी जांच कराके कोई और उचित कार्यवाही करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जजों के कन्डक्ट के बारे में तथा उनकी ड्यूटी आदि के बारे में यहां पर बहस नहीं हो सकती, किन्तु और बातों के बारे में तो बहस हो सकती है, और जस्टिस मुल्ला के सम्बन्ध में यहां पर आपने बहस कराई भी है । इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी गलती तो मान्यवर, आपके सचिवालय द्वारा यही हुई है कि आपने इस प्रश्न को स्वीकार किया । इसको एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं थी । जब आपने इसको स्वीकार कर लिया तो हमको सप्लीमेंटरी प्रश्न करने का अधिकार है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

इस प्रश्न की महत्ता को देखते हुये क्या माननीया मुख्य मंत्री इस बात की जांच करायेंगी कि इसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है या कोई षड़यंत्र है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैंने जो उत्तर दिया था वह साफ था। मेरी जांच यहीं तक सीमित रहेगी कि किन लोगों ने यह पर्चा छापा है और कहां से छपा है। इतना ही मेरा अधिकार है, उसके अलावा कुछ करना अनधिकार हो जायेगा ।

श्री नेकराम शर्मा---

आपने व्यवस्था नहीं दी मेरे प्रश्न पर ?

श्री अध्यक्ष---

वह प्रश्नों के बाद दूंगा ।

पाकिस्तान से आये विस्थापितों को बसाने की समस्या

**३---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को इस प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त हुआ है कि यहां पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को बसाया जाय ? यदि हां, तो सरकार यह बतायेगी :

(क) उन्हें बसाने की पूरी योजना क्या है ?

(ख) कितने लोग बसाये जायेंगे ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

पूर्वी पाकिस्तान में हुये हाल के दंगों के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश में पुनर्वासित करने के संबंध में भारत सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

इस मामले पर विचार हो रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

यदि वह पत्र गोपनीय न हो तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---

उसमें मुख्य बात यह है कि अगर हो सके तो इस प्रदेश की सरकार ५ हजार रिफ्यूजियों को एक साल के अन्दर ले । और कोई खास बात नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि ईसाइयों के बारे में केन्द्रीय सरकार से यह निर्देश हुआ है कि उनको अलहदा बसाया जाय ?

डाक्टर सीताराम---

ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू, बुधिस्ट और क्रिश्चियन्स में, क्रिश्चियन्स की कितनी तादाद है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सूचना तो हमारे पास है नहीं, केन्द्रीय सरकार के पास होगी। हम तो केवल इतना ही अखबारों से जानते हैं कि वहां से कुछ रिफ्यूजी आये हैं। केन्द्रीय सरकार ने हम से केवल इतना ही पूछा कि क्या हम ५ हजार परिवारों को उत्तर प्रदेश में बसा सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इस चीज को गम्भीर परिस्थिति को देखते हुये कि अभी तक पूर्वी पाकिस्तान से डेढ़ लाख के करीब लोग विस्थापितों के रूप में आ चुके हैं, और इसको देखते हुये कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, यह सरकार केन्द्रीय सरकार को यह आश्वासन देगी कि उत्तर प्रदेश में ५ हजार विस्थापित बसाये जा सकते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी इसके बारे में हमें और कुछ नहीं बताया गया है। २३ तारीख को केन्द्र के मंत्री आ रहे हैं, उनसे सारे विषय पर बातचीत होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इस बात की अहमियत को देखते हुये कि केन्द्रीय मंत्री २३ तारीख को आ रहे हैं, सरकार ने इस बात को तय कर लिया होगा कि केन्द्रीय सरकार को उन्हें क्या उत्तर देना है, तो उनको बसाने के लिये सरकार ने कौन-सा स्थान उचित समझा है ?

डाक्टर सीताराम—

कई जिलों से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से रिपोर्ट मांगी गयी है, अभी रिपोर्ट अपेक्षित है।

श्री नेकराम शर्मा—

जो रिफ्यूजीज को बसाने की योजना है उसके अन्तर्गत क्या क्रिश्चियन संस्थाओं की ओर से कोई ऐसा आफर मिला है कि वे सरकार को कहां तक मदद दे सकते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस बारे में पब्लिक से हम हर तरह की सलाह, सहायता लेंगे, उससे सरकार का बोझा हल्का ही होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को क्रिश्चियन समाज की ओर से कोई पत्र या सुझाव प्राप्त हुये हैं कि वे काफी मदद ईसाइयों के लिये देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर अपना विचार पूर्ण कर लिया या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कौंसिल की तरफ से एक पत्र मेरे कमरे में दत्ता जी दे आये हैं। वही मैंने देखा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

महोली मिल में गन्ने की खरीद पर आपत्ति

*१—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महोली चीनी मिल, सीतापुर, बेहटी, जिला खीरी तथा बबौना, जिला सीतापुर से गन्ना बिना गन्ना सोसाइटी बनाये खरीद रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, क्योंकि बेहटी और बबौना क्षेत्र किसी गन्ना सोसाइटी के अन्तर्गत नहीं हैं ।

*२—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उपरोक्त मिल का यूनियन सेक्रेटरी बिना सोसाइटी बनाये गन्ना खरीद करवाकर मिल मालिकों को लाखों रुपये का मुनाफा कराकर गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन दयनीय बना रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

अध्यक्ष महोदय, ५ तारीख को जब यह प्रश्न स्थगित हुये थे तब तीन प्रश्न थे लेकिन आज केवल दो ही हैं । तीसरे प्रश्न का क्या हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

आश्वासन समिति को भेजा है । माननीय सदस्य को भी उसके बारे में एक पत्र भेजा जा रहा है ।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सोसाइटी का कितना क्षेत्र है ?

डाक्टर सीताराम—

बाई-लाज के मुताबिक १५ मील का क्षेत्र होता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस बात को देखते हुये कि जहां गन्ना सोसाइटीज नहीं हैं वहां पर मिलें मनमानी करती हैं, क्या माननीय मंत्री जी वहां पर जल्द से जल्द गन्ना सोसाइटी स्थापित कराने का प्रयत्न करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना सोसाइटी को अधिकार है कि जिन गांवों में गन्ना सोसाइटीज नहीं बनी हैं उन गांवों में जाकर फौरन गन्ना सोसाइटी बनावें और उन गांवों के गन्ने को अपने थ्रू फैक्टरी को सप्लाई करें। लेकिन मैंने अभी बतलाया कि महोली फैक्टरी में उसके १५ मील के एरिया के बाहर के भी गन्ने आते हैं । चूंकि वहां पर कोई गन्ना सोसाइटी नहीं बनी हैं इसलिये वहां पर डाइरेक्ट

मिल को गन्ना सप्लाई होता है। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि जिन गांवों में अभी तक गन्ना सोसाइटीज नहीं बनी हैं वहां पर सोसाइटीज बन जायेंगी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि बाईलाज के सेक्शन ११-ए के मुताबिक केन कमिश्नर ने एक आदेश वहां भेजा है, तो इन गांवों में भी सोसाइटीज बन जायेंगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि गन्ना सोसाइटी का सेक्रेटरी नान रिजर्व्ड एरिया से गन्ना खरीद कर खुद अपनी मार्फत मिल को गन्ना सप्लाई करता है और बजाय इसके कि उसका मुनाफा सोसाइटी को जाय, खुद अपनी कमाई कर रहा है? यदि हां, तो सरकारी सर्विस में रहते हुये भी जो वह अपने लिये मुनाफे की कमाई कर रहा है, क्या सरकार उस सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

डाक्टर सीताराम—

रिजर्व्ड एरिया के बाहर का गन्ना डाइरेक्ट मिल को सप्लाई होता है। गन्ना सोसाइटी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे इसका कोई पता नहीं है कि गन्ना सोसाइटी का सेक्रेटरी गन्ना खरीद कर खुद मुनाफा उठाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकारी सर्विस में रहते हुये सेक्रेटरी को अपनी तरफ से गन्ना खरीद कर मिल को सप्लाई करने व उनसे मुनाफा कमाने का हक है?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नान रिजर्व्ड एरिया के जिन गांवों में गन्ना सोसाइटी बनाने का नोटिफिकेशन हो चुका है, उन गांवों में अभी तक गन्ना सोसाइटी क्यों नहीं बनायी गयी हैं?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया है।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा—

चूंकि इसका सम्बन्ध मारकेटिंग से है इसलिये मैं माननीया मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता जी से पूछना चाहता हूं कि जब वे सीतापुर गयी थीं तो एक शिष्ट मंडल भी उनसे मिला था और उन से निश्चित रूप से शिकायत की थी कि उनका गन्ना खरीदने में बेइमानी की जा रही है, तो क्या वे इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगी कि गन्ना सोसाइटीज क्यों नहीं बनायी जा रही हैं और किसानों के लाखों रुपये का नुकसान क्यों किया जा रहा है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें गन्ना किसानों के नुकसान का प्रश्न नहीं है। एक नियम आप समझ लें कि जहां सोसाईटियां हैं वहां मिल वाले सोसाइटियों को कमीशन देते हैं, गांव वालों को वही दाम मिलते हैं चाहे वह डाइरेक्ट गन्ना सप्लाई करें या सोसाइटियों के मारफत दें। लेकिन यहां की स्थिति दूसरी है हव बाहर का क्षेत्र था, वहां सोसाइटी नहीं थी हमने चाहा कि वहां सोसाइटी काम करे लेकिन उसने मना कर दिया कि हम वहां का गन्ना नहीं लेंगे और फिर गन्ना डाइरेक्ट लेना आरम्भ कर दिया गया। अब क्योंकि वह सोसाइटी तैयार नहीं हुई है इसलिये कोई

दूसरी सोसाइटी बनाने का इरादा है उस से गन्ना लेंगे। सोसाइटी रहे या न रहे उसमें किसी को पैसा नहीं मिलता क्योंकि मिल स्वयं सोसाइटी को कमीशन देती है किसी इनडिविजुअल को देने का सवाल नहीं है।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं क्या मंत्री जी उस क्षेत्र को सोसाइटी में ला कर जो धांधली हो रही है उसको रोकने का प्रयत्न करने की सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि हमने एक सोसाइटी से कहा था उन्होंने इनकार कर दिया और अब उनका इरादा है कि दूसरी सोसाइटी बनवा दें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

अभी मंत्री जी ने बताया कि नान रिजर्व एरिया से गन्ना खरीदा जा रहा है तो क्या सरकार ने इस बात की संतुष्टि कर ली है कि रिजर्व क्षेत्र का बान्डेन्ड गन्ना सब यह फैक्टरी खरीद चुकी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आज कल तो गन्ने की कमी है, रिजर्व क्षेत्र का गन्ना खत्म करके कोशिश की जा रही है कि मिलें बाहर से भी गन्ना लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुये कि जब सोसाइटी के द्वारा गन्ना सप्लाई होता है तो सोसाइटी को कमीशन मिलता है और इस सेक्रेटरी ने व्यक्तिगत रूप से इस कमीशन का लाभ उठाया है तो क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे कि प्राइवेट कान्ट्रेक्ट के द्वारा कमीशन का रुपया इस सेक्रेटरी ने खा लिया है ?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी बात नहीं है, यह बिलकुल निराधार है।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या रिजर्व क्षेत्र का गन्ना समाप्त हो गया है ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

दफा १४४

*३—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस-किस जिले की पूरी एरिया में और किस-किस शहर में १४४ धारा ता० रा० हि० इस समय लागू की गयी है और क्यों ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५५-४५६ पर)

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि यह २-३ जिलों में जो दफा १४४ लगाई गई थी उसमें से जो सूचना है उसके अनुसार ४ को छोड़कर बाकी जगहों में दफा१४४ समाप्त थी तो उस समय इन सभी की टर्म एक्सटेंड की गई या कुछ की ? और वह अभी कितने जिलों में लागू है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

कुछ को ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार की जानकारी है कि बरेली में दफा १४४ दो मास से लागू है, ईद व होली दोनों त्योहार भी शान्ति से समाप्त हो गये वहां पर मीटिंग करने और जनता के विचार व्यक्त होने की परेशानी है तो क्या सरकार वहां से तुरन्त दफा १४४ हटाने का आदेश देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी को यह सूचना नहीं है कि कई जिलों में १४४ अभी तक लागू है तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १४४ लगाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कौन-सी एबनार्मेलेटी पड़ गई कि वह लगानी पड़ती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

आपने यह पूछा था कि कितने जिलों में बढ़ा दी गई है उस पर मैंने कहा था कि इसकी इत्तला मुझे नहीं है। जिलाधीश वहां की हालत देख कर जैसी आवश्यकता होती है करते हैं और उनको अधिकार है कि वह १४४ को हटायें या लगायें ।

कितने जिलों में बढ़ी है यह नहीं मालूम ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

व्यवस्था का सवाल है। जो प्रश्न है इसका उत्तर आज की तारीख में और अब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

पहली मार्च तक है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

श्रीमन्, प्रश्न आप पढ़ लें। प्रश्न यह है कि किस-किस शहर में १४४ धारा ता० रा० हि० इस समय लागू की गई है और क्यों ? इस समय तक मैं जानना चाहता हूं कि दफा १४४ कहां है ? मंत्री जी कहते हैं कि जो सूचना दी गई है। तो आप कहिये ठीक जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष---

जब आप अपने पत्र में लिखेंगे कि इस समय तक तो मतलब यह है जब से सूचना दे रहे हैं। यह नहीं कि जिस रोज वह उत्तर दे रहे हैं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) ---

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जिलों में धारा १४४ लगी है यह वही जिले हैं जहां से कुछ शिकायतें मिली थीं कि साम्प्रदायिक तनाव है, या प्रिवेन्टिव मेजर्स के रूप में लगायी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अभी मंत्री जी ने कहा १४४ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने जिले में स्थिति अनुसार लगाते हैं, माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार ने आदेश जारी किये सब जिलाधीशों को। यही मतलब है ?

श्री झारखण्डेराय---

जी हां ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह बतलाना जनहित में नहीं होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में जो १४४ लगायी गयी वह कब से लागू है और क्या कारण है ? क्या विश्वविद्यालय में गड़बड़ी है इसलिये लगी है या कोई और कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

१४ जनवरी, १९६४ से लगायी गयी है और उसके बहुत से कारण हैं ?

श्री झारखण्डेराय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें आजमगढ़ का भी नाम है ? मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में १६ तारीख को एक छोटे से तनाव की बात थी, मैं वहां मौजूद था और सब पार्टी के लोगों ने मिल कर के जिलाधीश से कोआपरेट करके उसको ठीक करा दिया, तो उसके बाद क्या जरूरत है १४४ जारी रखने की ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उसके बाद, तारीख तो मुझे याद नहीं लेकिन डाक्टर जेड० ए० अहमद और माननीय चन्द्रजीत यादव मेरे पास आये और जो स्थिति उन्होंने बतायी उसमें यही उचित समझा कि धारा १४४ लगायी जाय ।

श्री कल्पनार्थासिंह---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर धारा १४४ साम्प्रदायिक तनाव की वजह से लगायी गयी है विभिन्न स्थानों में, तो क्या पोलिटिकल जलूस, सभायें तथा लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की छूट साधारणतया उन स्थानों पर है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि जिनसे बरेली में दफा १४४ खत्म नहीं की जा सकी है जब कि साम्प्रदायिक तनाव की कोई स्थिति वहां पर बाकी नहीं रह गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वह व्यवस्था आई है या नहीं आयी है वह तो हम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सरकार को समझना है, माननीय सदस्यों को नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

श्रीमन्, यह तो गलत जवाब है । मैं इसको रिजेक्ट करता हूं । यह जवाब नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष, आप जवाब ठीक से दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उत्तर नहीं देना चाहिये। उनको केवल यह कहना चाहिये कि (शेम-शेम) सरकार के खयाल से जो स्थिति अब है, उस स्थिति में दफा १४४ को लगाना जरूरी है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, मैं नहीं समझ सका कि जो मैंने कहा और जो स्पष्टीकरण किया गया, उसमें क्या अन्तर हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आपने फरमाया कि माननीय सदस्य नहीं तय करेंगे बल्कि हम तय करेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसलिये कि माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यह अवस्था आ गयी है कि वह उठा देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो केवल यह कहा है जो बात आपने कही वही मैंने भी कही। इसलिये कि तनाव पैदा न हो आपको कह देना चाहिये था कि आप जो कहते हैं वह ठीक नहीं मालूम होता और सरकार की यह राय है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्था इस सदन के सभी सदस्यों को चाहे वे सरकार के पक्ष में हों और या बाहर, सब को शिरोधार्य है। सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियमों के अनुसार आपकी व्यवस्था के विरुद्ध कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने आपकी व्यवस्था के विरुद्ध आप से स्पष्टीकरण मांगा है वह एक क्वेश्चन है। अतः आप से निवेदन है कि या तो उसे प्रोसिडिंग से निकाल दें या उन्हें सदन छोड़ने को कहें या उसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

वह केवल अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो मेरी सूचना है कि २३ जिलों में जाने का मौका मिला? जिलाधीशों को सरकार ने आदेश दिये हैं कि पूर्वी बंगाल दिवस मनाते समय कुछ साम्प्रदायिक स्थिति तनावपूर्ण न हो जाय इसलिये जहां वाजिब समझें इसको देखते हुये दफा १४४ लगा दें। आज स्थिति यह है कि २३ जिलों में लगभग ४ दर्जन जगह हैं जहां पर दफा १४४ लगी हुई है। पिछले दो महीनों से इस बीच में हमारे प्रदेश में स्थिति सामान्य मालूम होती है और संसदीय प्रथा के अन्दर बढ़ती हुई महंगाई, भूमि कर के खिलाफ आन्दोलन हो रहे हैं या कानपुर में मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में आन्दोलन हो रहा है उसको रोकने के लिये ही सरकार ने यह दफा लगाई है तो क्या सरकार अपने आदेश को उठा लेगी ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार न हो?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह अनुमान गलत है कि केवल सामान्य तनाव की वजह से दफा १४४ लगायी गयी है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

साम्प्रदायिक तनाव के अलावा और किस कारण से दफा १४४ लगाई गई है कई स्थानों पर ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि जनहित में उचित नहीं है कि मैं बतलाऊं ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

यह अनुमान गलत है कि केवल साम्प्रदायिक तनाव के ही कारण १४४ लगाई गई ।

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं कहा । उन्होंने कहा कि यह अनुमान गलत है कि केवल साम्प्रदायिक तनाव के कारण ही दफा १४४ लगाई गयी ।

श्री भीखालाल--

तो क्या यह अनुमान सही है कि विरोधी दलों का आन्दोलन जो सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहा है उसको दबाने के लिये यह लगायी गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह बिलकुल गलत है ।

श्री कल्पनाथसिंह--

परसों और कल इसी लखनऊ शहर में पी० डब्लू० डी० इम्पलाइज यूनियन का जलसा उठा जिसमें श्री जगन प्रसाद रावत को उद्घाटन के लिये बुलाया गया था और उनको भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिये छूट नहीं दी गयी थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सा जन हित इंवाल्व था ?

(मंत्री को उत्तर के लिये नहीं बुलाया गया)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री माननीय गृह मंत्री को, जो रोज सदन में तनाव पैदा करते हैं, होम डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो दिये हुये हैं उनसे ले लेने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*४---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

[हटा दिया गया ।]

मुरादाबाद जिले में दफा १४४

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद के १४४ के विरोध में धनौरा ग्राम गांधी मेमोरियल कालेज के छात्रों ने कोई जलूस २० फरवरी, १९६४ को निकाला था ? यदि हां, तो उस जलूस के साथ वहां के अधिकारियों ने क्या व्यवहार किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मुरादाबाद के धनौरा ग्राम में इस समय भी १४४ लगी हुई है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जिलाधीश ने इसलिये लगा दिया था कि इसके बाद कोई शरारत न होने पावे ।

कछौछा निवासी, मौलाना मुजफ्फर हुसैन की गिरफ्तारी

*६--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद), श्री श्यामलाल (जिला बस्ती) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में हजरत मौलाना सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौछवी, मेंबर लोक सभा, को फैजाबाद में गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों और अब वह किस जेल में हैं ? क्या गिरफ्तारी के वक्त हजरत मौलाना के सख्त चोटें आयीं ? यदि हां, तो कहां-कहां और किस तरह ये चोटें आयीं और सरकार इस सिलसिले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

*७--क्या सरकार को ज्ञात है कि हजरत मौलाना साहब कछौछा शरीफ के सज्जादा नशीन भी हैं और हजारों लोग उनके मुरीद हैं और उनकी गिरफ्तारी से लोगों में सख्त हिरास और गम व गुस्सा फैला हुआ है और सरकार को बहुत सी संस्थाओं ने प्रस्ताव भी भेजे हैं ? अगर ऐसा है, तो क्या सरकार उनको छोड़ने पर विचार करेगी ?

श्री हलीमुद्दीन--

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन पहले सुन लें....

श्री अध्यक्ष--

पहले वह उत्तर तो पढ़ लें ।

श्री हलीमुद्दीन--

इससे पहले की बात है, जरा आप सुन लें । मुझे जवाब इस वक्त तक नहीं मिले हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं रिपोर्ट मंगा लेता हूं कि कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके उत्तर कल सायंकाल ५ बजे तक नहीं पहुंचे थे और उससे मालूम यह हुआ कि इन प्रश्नों के जवाब आ गये थे । हो सकता है कि आपके कमरे में जवाब डाल दिया गया हो या कोई गलती हो गई हो । लेकिन इनकी गलती नहीं है । मैं उसे देखूंगा । माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दें ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सत्य है कि श्री मुजफ्फर हुसैन कछौछवी, मेंबर, लोक सभा को आपत्तिजनक कार्य (Prejudicial Act) करने के आरोप में धारा ४१ भारतीय सुरक्षा नियम के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट के यहां से भेजे गये वारंट पर दिनांक १५ फरवरी, १९६४ को सायंकाल साढ़े चार बजे ग्राम किछौछा थाना बसखारी जिला फैजाबाद में गिरफ्तार किया गया । वे इस समय फैजाबाद जेल में हैं ।

यह सत्य नहीं है कि श्री किछौछवी को गिरफ्तारी के अवसर पर चोटें आईं । उनकी गिरफ्तारी के बाद जब वे थाने को एक इक्के में ले जाये जा रहे थे कि लगभग १५० गज चलने के उपरान्त वे इक्के से गिर पड़े थे । उनको जाहिरा कोई चोट नहीं आई थी पर उन्होंने सीने

तथा कूल्हे पर दर्द की शिकायत की। तत्काल ही उनकी स्थानीय डाक्टर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा की गई। जिलाधीश को भी इसकी सूचना दी गई तथा जिलाधीश ने आदेश दिया कि बसखारी के मेडिकल आफिसर द्वारा श्री किछौछवी की जांच की जाय और यदि वे सफर करने लायक हों तो उनको मोटर द्वारा फैजाबाद लाया जाय। बसखारी के मेडिकल आफिसर ने उनकी जांच की और उनके शरीर पर किसी प्रकार के चोट का निशान नहीं पाया। उन्होंने सलाह दी कि श्री कछौछवी यात्रा करने के लायक हैं। तथापि उनको उस रात को उनके ही घर पर रखा गया और दूसरे दिन उन्हें पुलिस पिकअप में फैजाबाद लाया गया। जेल में प्रवेश होने के समय भी उनकी डाक्टरी जांच की गई। उस समय भी उन्होंने केवल दाएं सीने तथा दायें कूल्हे पर दर्द होना बताया जिसके लिये उन्हें जेल में भी चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। एक दो दिन बाद उन्हें चिकित्सा की जरूरत न समझी जाने के कारण उनकी चिकित्सा रोक दी गई है। शासन को जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार श्री कछौछवी सज्जादय नशीन नहीं हैं। शासन को उनके छोड़े जाने के संबंध में कुछ प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुये हैं, किंतु वे एक सब्स्टैंटिव कागनीजिबिल आफेंस के लिये गिरफ्तार किये गये हैं और उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में सरकार की ओर से उन्हें छोड़े जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री हलीमुद्दीन--

क्या माननीय मंत्री बताने की मेहरबानी करेंगे कि बकौल आपके जब वह इक्के पर ले जाये जा रहे थे तो उस पर पुलिस के अधिकारी भी बैठे होंगे, तो किसी पुलिस अधिकारी को भी चोट आई या सिर्फ उन्हीं को चोट आई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह आपत्तिजनक कार्य क्या था जिसके कारण वह पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

आपत्तिजनक भाषण टांडा में दिया था।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह सत्य है कि जो उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिया था उसमें साम्प्रदायिकता को उभाड़ने की बातें उन्होंने कही थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

चूंकि यह मामला अदालत के सामने है इसलिये हम कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

क्या सरकार यह बतायेगी कि एम० पी० की गिरफ्तारी के सिलसिले में जिला पुलिस की कार क्यों नहीं इस्तेमाल की गई ? और क्या पुलिस के अफसरान अपने घरों पर सोये रहे जो उनको गिरफ्तार करने के लिये महज कांस्टेबिलों को भेजा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जो कायदे के अनुसार था वही किया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख को मुजफ्फर हुसैन साहब के खिलाफ मैजिस्ट्रेट ने वारंट आफ अरेस्ट जारी किया था और क्या उसके बाद उनके ह्वेरएबाट्स के बारे में मंत्री जी को कोई सूचना नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष---

इससे क्या मतलब निकलता है ।

श्री रियासत हुसैन---

वारंट आफ अरेस्ट पहले जारी हुआ था लेकिन उनको डेलीबरेटली ईद के दिन पकड़ा गया और उनको नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

२५ जनवरी को उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और १५ फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई ।

यह मालूम नहीं है कि वारंट कब ईश्यू हुआ ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भाषण टांडा में उन्होंने दिया था उसमें दो तीन आपत्तिजनक फिकरे वह सुना देंगे कि कौन सी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, वह भाषण तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन हमारे ला डिपार्टमेंट ने कहा कि यह भाषण आपत्तिजनक है और इसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है । लिहाजा उनको पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाया गया ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, वारंट आफ अरेस्ट किस दिन को ईश्यू हुआ था क्योंकि उसके बाद भी वे लखनऊ आये, कलकत्ते गये ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा तो कि २५ जनवरी को वारंट जारी हुआ था । क्या बात थी मंत्री जी फिर बतावेंगे ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने बताया था कि वारंट किस तारीख को जारी हुआ इसकी सूचना नहीं है लेकिन १५ फरवरी को वह गिरफ्तार हुये और २५ जनवरी को केस रजिस्टर हुआ था ।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या माननीय डिप्टी मिनिस्टर पुलिस यह बतायेंगे कि लोक सभा सदस्य के लिये गाड़ी या दूसरी सवारी में नहीं इक्का लेकर ही उनको क्यों गिरफ्तार किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक भाषण के लिये वह गिरफ्तार किये गये या और भी भाषण उन्होंने इस प्रकार के दिये थे ? अगर हां, तो कहां कहां दिये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ये एम० पी० इक्के से गिर गये क्या वह पहले से बीमार थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एम० पी० पकड़े गये हैं उन्होंने हिन्दुस्तान के विरोध में भाषण दिया था और पाकिस्तान का समर्थन किया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने पहले बता दिया कि वह भाषण हमारे पास नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मौलाना मुजफ्फर हसन साहब का सम्बन्ध किन-किन पार्टियों से है, क्या किसी साम्प्रदायिक संस्था से भी उनका संबंध रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री चन्द्रजीत यादव---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या उनको इक्के पर ले जाया गया जब कि वह पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो गृह मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि जिस सवारी के वह अधिकारी थे उस पर उनको भेजा गया..

श्री अध्यक्ष---

उनका उत्तर यह था कि जो कायदा कानून है उसके मुताबिक हुआ ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

हम भी सदस्य हैं तो हम भी उन कायदे और कानून को जानना चाहते हैं कि जिनके मुताबिक जिले में जीप और पिकअप रहते हुये उनको इक्के पर ले जाया गया, इसका क्या कारण है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे देश द्रोही के साथ सरकार ने इतनी सहूलियतें क्यों बरतीं और जो उनको छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं उनको सरकार क्यों नहीं पकड़ती है ?

(व्यवधान ---अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

जो सरकार को उत्तर देना था वह उसने दे दिया। अगर आप उसको कायदे कानून का तरीका नहीं समझते हैं तो आप वह कार्यवाही कर सकते हैं तो संसदीय कार्यवाही हो सकती है ?

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। हम गृह मंत्री जी से कुछ नहीं जानना चाहते हैं। आप इस सदन की मान मर्यादा के रक्षक हैं। हम लोग भी इस विधान सभा के सदस्य हैं। आपने यह कहा कि जो उनके योग्य सवारी थी वह उनको दी गई।

श्री अध्यक्ष--

आपका खयाल कुछ है, कुछ सदस्य कह रहे हैं कि देश-द्रोही है; कोई कुछ कह रहा है, इसलिये अब यह प्रश्न समाप्त।

दुद्धी थाने में लाशों की बरामदगी

*८--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या यह सत्य है कि फरवरी, १९६४ के अंतिम सप्ताह में मिर्जापुर जिला स्थित थाना दुद्धी के ग्राम नगवा के पास जंगल में पुलिस द्वारा ६ लाशें बरामद की गयीं ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ग्राम नगवा, थाना दुद्धी के पास ६ नहीं बल्कि ५ लाशें पाई गयीं। घटना तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५७ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग नहीं मरे और जिनके ऊपर शुबहा किया जाता है कि भाग गये उनमें औरत और बच्चे भी थे तो वह ज्यादा दूर नहीं जा सके होंगे भाग कर, तो सरकार ने उनको पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जिससे जल्दी पकड़े जायं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जो संभव कार्यवाही हो सकती थी वह की गयी और अब भी की जा रही है। चूंकि वह अनजान लोग हैं इसलिये उनके पकड़ने में मुश्किल हो रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को शिकायती पत्र

*१--श्री बंशीलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कप्तान, आजमगढ़ के पास ग्राम मीरपुर एवं करौंदी नारायनपुर, थाना मधुवन के निवासियों ने क्रमशः ४ मार्च, १९६३ तथा ८ मार्च, १९६३ को शिकायती-पत्र भेजा है, जिसमें निरपराध चालान करने-छीने हुये सामानों तथा रुपया

नोट--तारांकित प्रश्न ८ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री बंशीलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय]

को न देने, अकारण दो दिनों तक थाने की हवालात में बन्द रखने आदि की शिकायत है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा प्रार्थियों से भी बयान, साक्ष्य आदि लिये गये हैं ? यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कानपुर जिले में थानों की इमारतें

*२---श्री हमीद खां (जिला जौनपुर)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला देहाती क्षेत्र में कौन-कौन स पुलिस स्टेशन की इमारत पुरानी है ? क्या किसी पुलिस स्टेशन की इमारत के निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होना है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जिला कानपुर के देहाती क्षेत्र के अधिकांश थानों की इमारतें पुरानी हैं। उनकी दशा देखते हुए इस समय यह कहना कठिन है कि किस इमारत का नव निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा।

*३---श्री हमीद खां---

क्या मूसानगर पुलिस स्टेशन, जिला कानपुर से भवन निर्माण के लिये जगह नियत की जा चुकी है ? यदि हां, तो इसके निर्माण-कार्य में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ? क्या सरकार शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

पुलिस स्टेशन मूसानगर, जिला कानपुर के भवन निर्माण के लिये जगह नियत की जा चुकी है। परन्तु इस संकटकालीन स्थिति में धनाभाव के कारण निर्माण कार्य की स्वीकृति देना संभव नहीं हो सका है। वर्तमान स्थिति में कब कार्य प्रारंभ होगा---कहना कठिन है ।

किरावली तहसील में श्री रतनसिंह द्वारा पत्थर बेचना

*४---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९६० में ग्राम डावर, परगना किरावली, जिला आगरा में कृषि योग्य भूमि में पत्थर की खान खोदने के लिये उस ग्राम के ग्राम प्रधान को तत्कालीन परगनाधीश द्वारा कोई Declaration दिया गया ? यदि हां, तो वह किस आधार पर दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

१५ फरवरी, १९६० को परगनाधीश किरावली ने श्री रतनसिंह जो ग्राम डाबर के प्रधान उस समय थे के प्रार्थना-पत्र पर जांच करने के बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अन्तर्गत यह डिक्लेरेशन दिया कि श्री रतनसिंह के कुछ भूमिधरी खेतों का इंडस्ट्रियल प्रयोग हो रहा है ।

*५---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या Declaration की सहायता से उस ग्राम प्रधान ने लगभग १० लाख रुपये मूल्य का पत्थर उन कृषि योग्य भूमि में से निकाल कर बेच दिया और राज्य सरकार को एक नया पैसा भी रायल्टी नहीं दी गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

श्री रतनसिंह ने कुछ पत्थर इस भूमि से निकाले। उस समय पत्थर निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं था इसलिये इसका मूल्य नहीं आंका गया। १० लाख की रकम असंभव प्रतीत होती है। उस समय रायल्टी वसूल करने का भी कोई नियम नहीं था। अतः कोई रायल्टी नहीं ली गई थी।

राइफल क्लब

*६---श्री दलजीतसिंह तथा श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राइफल क्लब कब से खोले गये हैं जो कारतूसों का वितरण करते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सुचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५८ पर)

अभियोगों की वैज्ञानिक जांच

*७---श्री रियासत हुसैन---

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि यू० पी० पुलिस के अधीन जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसमें कितने अभियोगों की वैज्ञानिक जांच हर साल होती है ? क्या इस मुहकमें से सरकार को कोई आर्थिक फायदा भी होता है ? यदि हां, तो सालाना कितना ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

औसतन प्रत्येक वर्ष लगभग १,७४८ अभियोगों की वैज्ञानिक जांच होती है जिससे सरकार को औसतन २८,९५३ रुपये का लाभ प्रति वर्ष हुआ।

*८---श्री रियासत हुसैन---

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि यह सही है कि इस विभाग में एक मुकदमे की वैज्ञानिक परीक्षा में एक साल या उससे भी ज्यादा लग जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सामान्यतः इतना समय नहीं लगता है। केवल विवादग्रस्त प्रलेख परीक्षा में जब कि बहुत बड़ी होती है तो कुछ परीक्षाओं में एक वर्ष या उससे अधिक समय लग जाता है।

भुता थाने का रजिस्टर नं० ८

*९---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना भुता, जिला बरेली का रजिस्टर नं० ८ और उसका भाग १ जो अत्यन्त महत्वपूर्ण रिकार्ड है, खो गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं।

*१०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उपरोक्त रजिस्टर अन्तिम बार चकबन्दी अधिकारी द्वितीय, फरीदपुर, बरेली, की अदालत से ग्राम कछा के "गेंदासिंह बनाम वीरावती" नामक मुकदमे में पेश हुआ था जिसमें इस रजिस्टर को पन्ना बदल कर पेश करने की शिकायत की गई थी और तभी से यह रजिस्टर खोया हुआ बताया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी आवश्यक जांच करके अपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सत्य है कि उपरोक्त रजिस्टर चकबन्दी अधिकारी द्वितीय फरीदपुर बरेली की अदालत में गेंदासिंह बनाम वीरावती के मुकदमे के सम्बन्ध में पेश हुआ था परन्तु पुलिस रिकार्ड के अनुसार इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिल पाया है कि जिस समय यह रजिस्टर चकबन्दी अधिकारी के समक्ष पेश हुआ तो यह आरोप लगाया गया हो कि रजिस्टर नम्बर ८ का तथा इसके भाग १ का पन्ना बदल कर पेश किया गया है। अतः अदालत की फाइलों के मुआयने के बाद ही इस बात का ठीक से पता चल सकता है। इस सिलसिले में आवश्यक आदेश पुलिस महा-निरीक्षक को दे दिये गये हैं।

हरिजन पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों का चुनाव

*११—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में १९६३ में कुल कितने पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों का चुनाव (सेलेक्शन) हुआ और उनमें से कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१९६३ में कुल ४५५ पुलिस सब इन्स्पेक्टरों का चुनाव हुआ जिनमें से २१ हरिजन तथा ४४ पिछड़े वर्ग के थे।

उन्नाव जिले में हरिजन कूप निर्माणार्थ अनुदान

*१२—श्री भीखालाल—

क्या समाज कल्याण मन्त्री प्रश्न-संख्या १८ व १९, दिनांक १९ सितम्बर, १९६२ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के कुएं पूरे बन गये हैं उनको पूरा अनुदान अब तक दे दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। जिला स्तर पर पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था।

*१३—श्री भीखालाल—

क्या समाज कल्याण मन्त्री उन लोगों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें पूरा धन अब तक नहीं दिया गया और वह भी बतायेंगे कि उन्होंने कार्य के पूरा होने की सूचना जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को कब दी ?

डाक्टर सीताराम—

तालिका 'अ' संलग्न है। ऐसे लोगों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४५९ पर)

पटेल जांच समिति की सिफारिशें

*१४--सर्वश्री कृष्णानन्दराय आदि (जिला गाजीपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि पटेल जांच समिति ने चार जनपदों के विकास के लिये जो सिफारिशें की हैं उन्हें आधार मानकर क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वे कार्य किये जायेंगे ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि अनुमानत: व्यय होगी और सरकार इस धनराशि को प्राप्त करने का क्या-क्या प्रयास कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

चार पूर्वी जिलों से सम्बन्धित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि समिति की सिफारिशें किस हद तक अन्य जिलों के लिये लागू होंगी। जैसे जैसे धन उपलब्ध होगा, समिति की सिफारिशों के अनुसार यथासम्भव कार्य किये जायेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे १५ जिलों के लिये कुल धन की आवश्यकता अभी तक नहीं आंकी गई है। अत: उस धन को प्राप्त करने के लिये कदम उठाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[१९ मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

[८वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आर० एस० शुगर फैक्ट्री, मैनपुरी

*३--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी में कोई आर० एम० शुगर फैक्ट्री है जिसमें शकर नहीं बनायी जाती है ? यदि उपरोक्त फैक्ट्री में शकर बनती है, तो जिस दिन से यह फैक्ट्री चालू हुई है, उस समय से अब तक कितनी शकर तैयार की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सन् १९६१-६२ में यह चीनी मिल केवल १ माह चल कर बन्द हो गई। इस बीच जो शकर बनी उसका उत्पादन एवं बिक्री विवरण मिल ने प्रेषित नहीं किया।

*४--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्ट्री को अनुदान तथा ऋण के रूप में कितना रुपया सात वर्ष के अन्दर किस कार्य के लिये दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन द्वारा १ लाख रुपये का ऋण फैक्ट्री की स्थापना के लिये दिया गया। सरकार द्वारा कोई धन अनुदान के रूप में नहीं दिया गया।

परगनाधीश भोगांव के विचाराधीन बन्दूक लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र

*५--श्री गणेशचन्द्र काछी--

विधान सभा के ३१ अक्तूबर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भोगांव तहसील के हाकिम परगना के यहां जो ४८७ बन्दूकों के लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं वे किस-किस सन् के प्रार्थना-पत्र हैं और अब तक उन प्रार्थना-पत्रों पर फैसला न देने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

भोगांव तहसील के हाकिम परगना के पास ४८७ नहीं बल्कि ५०२ प्रार्थना-पत्र बन्दूकों के लाइसेन्स के लिखित विचाराधीन थे। इनमें से १ सन् १९५८ का, १८ सन् १९५९ के, ६५ सन् १९६० का, २४३ सन् १९६१ के और १६५ सन् १९६२ के थे। इनमें से ३४६ प्रार्थना-पत्रों पर फैसला हो चुका है जिनमें १९५८-६० तक के समस्त प्रार्थना-पत्र शामिल हैं। शेष प्रार्थना-पत्रों पर फैसला न किया जा सकने के मुख्यतः कारण यह हैं कि किसी में तहसील रिपोर्ट नहीं आई है और किसी से पुलिस रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

*६---८---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

[२ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

नबीपुर में डकैती

*९---श्री नवीनसिंह (जिला मथुरा)---

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसीकलां, थाना जिला मथुरा के अन्तर्गत नबीपुर में जनवरी १८ व १९ की रात को कितनी डकैती पड़ी उसमें क्या नुकसान हुआ, कितने घायल हुए तथा क्या उस गांव में कोई बन्दूक नहीं थी ?

*१०---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि कोई आदमी उस डकैती में मारा गया ? यदि हां, तो पुलिस ने क्या किसी को पकड़ा और इसमें क्या जांच की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

१८/१९-१-६४ की रात में मौजा नबीपुर थाना कोसी के निवासी श्री कृपाल सिंह पुत्र राम स्वरूप के यहां डकैती पड़ी। वादी की रिपोर्ट के अनुसार डाकू २७,४८४ रु० की कीमत का माल लूट ले गये। इस डकैती में ४ व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से १ की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अब तक ५ डाकू गिरफ्तार किये हैं। जांच जारी है।

इस गांव में कोई आग्नेयास्त्र का लाइसेन्सदार नहीं है।

*११---श्री नवीनसिंह---

[हटा दिया गया।]

*१२---१४---श्री मार्कण्डेयप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

[२ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५---श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

[१७ मार्च, १९६४ को प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

लखनऊ जिले में बन्दूक लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र

*१६---श्री दिनेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार कृपा बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले के जिलाधीश के पास बन्दूक के लाइसेन्स की कितनी अर्जियां १९६१ से अब तक विचाराधीन पड़ी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस जिले में बन्दूक के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु १९६१ से फरवरी, १९६४ तक २९२ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

*१७--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक इन प्रार्थना-पत्रों पर विचार न होने तथा लोगो को बन्दूक का लाइसेन्स न देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इन प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है।

*१८--श्री द्विजेन्द्र नारायण--

क्या सरकार उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके शीघ्रातिशीघ्र लोगों को बन्दूक के लाइसेन्स प्रदान करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, यदि जांच से उनकी मांग नियमानुकूल सही पाई जावेगी।

*१९-२०--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

[२ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में पुलिस तथा भाले, बरछी पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार

*२२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर नये पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां स्थापित करने की योजना वर्तमान पंचवर्षीय योजना काल में है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जिला आजमगढ़ में नये पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां स्थापित करने की कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है।

*२३--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चौकीदारों के स्थान पर ग्राम कांस्टेबिल रखने की योजना पूरे प्रदेश में कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

उक्त योजना अभी शासन के विचाराधीन है।

*२४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए कत्ल आदि का ध्यान रखते हुए भाले, बरछे आदि पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगाने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी हां।

*२५--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

[१७ मार्च, १९६४ को प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

रुद्रपुर थाने के खिलाफ शिकायतें

*२६—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ अक्तूबर, १९६३ से २५ जनवरी, १९६४ तक रुद्रपुर थाने के पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कितनी, किन-किन की दरख्वास्तें उनको, पुलिस कप्तान देवरिया, जिलाधीश देवरिया को मिली है ? उन दरख्वास्तों पर कौन सी कार्यवाही की गई ? क्या उन दरख्वास्तों की सी० आई० डी० द्वारा जांच बैठायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१ अक्तूबर, १९६३ से २५ जनवरी, १९६४ तक रुद्रपुर थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त दरख्वास्तों तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिया हुआ है।

सब शिकायतों के बारे में जांच हो चुकी है अतः सी० आई० डी० द्वारा जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६०–४६२ पर)

*२७—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने में १ अक्तूबर, १९६३ से २५ जनवरी, १९६४ तक चोरी नकबजनी, राहजनी, डकैती, बलवे और कच्ची फसलों की चराई-कटाई की कितनी सूचनायें मिली हैं और उनको रोकने के लिये कौन सा कदम उठाया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

१ अक्तूबर, १९६३ से २५ जनवरी, १९६४ तक थाना रुद्रपुर में चोरी की १२, नकबजनी की ९, डकैती की १, व बलवे की ३ और कच्ची फसलों की चराई-कटाई की ३३ सूचनायें प्राप्त हुयीं। इस अवधि में राहजनी की घटना की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई। अपराधों को रोकने के लिये सी० आर० पी० सी० की preventive sections के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और रात्रि में गश्त का भी प्रबन्ध किया गया है।

फरेंदा तहसील की केन सोसाइटियों में कटौती

*२८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना मन्त्री जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तथा बृजमनगंज केन सोसाइटियों के मार्फत किस-किस प्रकार की कटौतियां की जा रही हैं तथा किस आर्डर या प्रस्ताव के अनुरूप यह कार्य किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

गोरखपुर जिले की फरेंदा तथा बृजमनगंज केन सोसाइटियों के मार्फत निम्न प्रकार की कटौतियां की जा रही हैं :—

(१) फरेंदा केन सोसाइटी—

स्कूल, अस्पताल एवं सघन गन्ना की खेती की योजना में अनुदान हेतु।

(२) बृजमनगंज केन सोसाइटी:—

औषधालय, समिति के भवन निर्माण एवं सघन गन्ना की खेती की योजना में अनुदान हेतु।

ये कटौतियां निम्नलिखित प्रस्तावों पर की जा रही है :—

(१) फरेंदा केन सोसाइटी द्वारा स्कूल एवं अस्पताल के लिये कटौतियां वहां के संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या ४ दिनांक ७—१—६४ के अनुसार तथा सघन गन्ने की योजना हेतु कटौती सम्बन्धित ग्राम समितियों के प्रस्तावों पर वहां के संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या ६ दिनांक २८—९—६३ के आधार पर हो रही है।

(२) बृजमनगंज केन सोसाइटी द्वारा औषधालय के लिये कटौती केन सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के प्रस्ताव संख्या ५ दिनांक १५—२—६३ के निश्चयानुसार तथा भवन निर्माण के लिये कटौती वहां के संचालक मण्डल के प्रस्ताव संख्या ९ अन्य (ब), दिनांक ८—१—६४ के अनुसार एवं सघन गन्ने की खेती सम्बन्धी कटौती ग्राम समितियों के प्रस्तावों पर गन्ना समिति के संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या ९, दिनांक २८—३—६३ के आधार पर हो रही है।

*२९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना मन्त्री यह भी जांच कर बतायेंगे कि बृजमनगंज केन सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत दुबौलिया, फुलमनहा आदि ग्रामों को जो सघन गन्ने का खेती हेतु चुना गया है वहां गन्ने के दाम में किस प्रकार का विशेष कटौती की जा रही है तथा ऐसा करने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

बृजमनगंज केन सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत दुबौलिया, फुलमनहा आदि ग्रामों में गन्ने की सघन विकास योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित गन्ना उत्पादकों की ग्राम बैठकों के प्रस्तावों के आधार पर ७ नये पैसे प्रति क्विन्टल गन्ना की पूर्ति पर कटौती की जा रही है।

बड़ाहार ग्राम की डकैती

*३०—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकाम ताल खन्ना (बरुआ सागर), जिला झांसी में सन् १९६२ के अन्त में या १९६३ में कुछ ढीमरों के घर भीषण डकैती पड़ी ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति जान से मारे गये व कितने व्यक्ति जख्मी हुए व मारे हुये व्यक्ति व जख्मी हुए व्यक्तियों के किन-किन हथियारों से उनके शरीर पर घाव आये व अपराधियों पर क्या कोई मुकदमा चला ? यदि हां, तो निर्णय क्या हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, दिनांक १४/१५—१२—६२ की रात्रि में ग्राम बड़ाहार ताल रमला (बरुआसागर) जिला झांसी में चुखर ढीमर के यहां एक डकैती पड़ी जिसमें २ व्यक्ति मारे गये तथा ३ व्यक्ति घायल हुए। इन पांचों व्यक्तियों के शरीरों पर बन्दूक से चोटें लगी थीं। इस घटना के सम्बन्ध में ४ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३९६ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा न्यायालय भेजा गया था किन्तु चारों अभियुक्त सेशन न्यायालय से बरी हो गए।

*३१—श्री लखपतरामशर्मा—

क्या सरकार ऐसे घायल व्यक्तियों को जो काम योग्य नहीं रह गये हैं उन्हें जीवित रहने के लिये कोई माहवारी सहायता देगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसके बारे में विचार हो रहा है।

*३२-३३---श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

[२४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३४---श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री मुकुटबिहारीलाल तथा श्री जगन्नाथ राव---

[२ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५-३६---श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)---

[१६ मार्च, १९६४ को प्रश्न संख्या ९-१० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

दुधारा थाने में श्री रऊफ की हत्या

*३७---श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि दुधारा थाना, जिला बस्ती में श्री रऊफ को चाकू से मार डाला गया और नामजद सूचना होने पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह सही है कि दुधारा थाना जिला बस्ती में श्री रऊफ पर छूरे से प्रहार किया गया था जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई पर यह सही नहीं है कि इस मामले में नामजद रिपोर्ट की गई थी और कोई कार्यवाही नहीं हुई। सूचनाप्राप्त होने पर धारा ३०७ भा० दं० विधान का अभियोग अंकित किया गया था जिसे श्री रऊफ की मृत्यु पर धारा ३०२ भा० दं० विधान में परिवर्तित किया गया और विवेचना की जा रही है।

*३८---श्री रणबहादुरसिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बस्ती के दुधारा थाने में १९६३ के जनवरी से दिसम्बर १९६३ तक कितने कत्ल और डकैतियां हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जिला बस्ती के दुधारा थाने में १-१-६३ से ३१-१२-६३ की अवधि में हत्या की २ घटनायें हुईं। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

बरेली में रबर फैक्ट्री की जमीन का मुआवजा

*३९---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में नये हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहण करायी गयी भूमि के मुआविजे की दर तथा सिन्थेटिक्स व रबर के निकल्स बरेली को अधिग्रहण करायी गयी भूमि के मुआवजे की दर में बहुत अधिक अन्तर है ? यदि हां, तो कृषकों को इस भारी हानि जो रबर फैक्टरी द्वारा बहुत कम मुआविजा दिये जाने के कारण हुई है, को हवाई अड्डे की भूमि के अनुसार मुआवजा देकर पूरा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

बरेली में हवाई अड्डे और रबर फैक्ट्री के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे की दरों में अन्तर अवश्य है क्योंकि हवाई अड्डे के लिए ली गई भूमि नगर के निकट है अतः उस भूमि के लिए स्पेशल दर पर राजस्व परिषद् की स्वीकृति से मुआवजा दिया गया है और रबर फैक्ट्री के लिए ली गई भूमि बरेली नगर से लगभग १२ मील दूर है अतः उस भूमि का मुआवजा एग्रीकल्चरल रेट पर दिया गया है।

चूंकि नियमानुसार निर्धारित मुआवजे की धनराशि अधिकांश कृषक प्राप्त कर चुके हैं अतः फिर से मुआवजे का रेट तय करने का प्रश्न नहीं उठता है।

एटा जिले में लहराघाट की धर्मशालायें

*४०--श्री वेदराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घाट लहरा, गंगा जो जिला एटा में १९६२ में जो बाढ़ आयी थी, उसमें धर्मशालायें व्यक्तियों को ठहरने को बता दी गयी थीं ? यदि हां, तो वह धर्मशालायें अब तक खाली करा लीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कितनी धर्मशालाओं पर लोग नाजायज कब्जा किये हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४१--श्री बेदराम--

यह देखते हुए कि धर्मशालाओं में तीर्थयात्री ठहरा करते थे और अब नाजायज कब्जा होने के कारण तीर्थ यात्रियों को अब अत्यन्त असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार इन धर्मशालाओं को खाली कराने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिलों के कपड़े का दाम

*४२--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को मालूम है कि मिलों द्वारा बनाया हुआ कपड़ा उपभोक्ताओं को (stamped) कीमतों से अधिक दामों पर खरीदना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार के कोई ऐसी स्कीम विचाराधीन है जिससे कि कपड़ा नियंत्रित मूल्य पर जनता को मिल सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह सही नहीं है कि मिलों द्वारा बनाया हुआ हर किस्म का कपड़ा उपभोक्ताओं को छपी कीमतों से अधिक पर खरीदना पड़ता है। जिलाधीशों से प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि मोटा कपड़ा (Coarse Cloth) आम तौर पर छपे दामों पर उपलब्ध हो जाता है। जहां कहीं मिलों के अपने फुटकर बिक्री केन्द्र (Retail Depots) हैं, वहां पर छपे दामों पर हर प्रकार का कपड़ा उपलब्ध होता है। जिन स्थानों पर मिलों के बिक्री केन्द्र नहीं हैं तथा महीन (Fine) तथा अति महीन (Super Fine) किस्मों के कपड़े, किन्हीं-किन्हीं जिलों में छपे दामों से अधिक मूल्य पर मिलते हैं क्योंकि थोक तथा फुटकर व्यापारियों को मिलों से उचित लाभ की दरों पर कपड़े प्राप्त नहीं होते।

इस समय कपड़े पर छपे दाम कानूनी तौर से लागू नहीं हैं। कपड़े पर दाम छपने तथा छपे दामों पर बेंचने की व्यवस्था इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन की स्वेच्छा से दाम नियंत्रण योजना (Voluntary Price Regulation Scheme) के अन्तर्गत कार्यान्वित हो रही है। इस योजना के चलने के विषय में जिलाधीश अपनी रिपोर्ट टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई को भी सूचनार्थ भेजते रहते हैं। मिलों द्वारा बनाये कपड़ों के उत्पादन, वितरण तथा मूल्य का नियंत्रण इत्यादि, केन्द्रीय सरकार का विषय है। उक्त सरकार ने कपड़े के मूल्यों अथवा वितरण का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं किया है। परन्तु कपड़े पर छपे दामों पर कपड़े की उपलब्धि सुलभ करने के हेतु केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता भंडारों की स्थापना की एक योजना बनायी है। उपभोक्ता भंडारों को मिलों की निकासी के छपे दामों (Ex. mill rates) से ४ प्रतिशत अधिक पर कपड़ा मिल सकेगा। टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई ने मिल्स फेडरेशन से व्यवस्था की है कि मिलें अपने विभिन्न प्रकार के उत्पादन का १० प्रतिशत उपभोक्ता भंडार समितियों को उपलब्ध कर दें।

अवकाश प्राप्त आयु

*४३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५५ वर्ष से ५८ वर्ष की उम्र सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं में अवकाश हेतु की जाय इस हेतु सरकार ने कोई सर्कुलर जारी किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

नौकरी से अवकाश प्राप्त करने की आयु को ५५ वर्ष से बढ़ा कर ५८ वर्ष किये जाने के आदेश केवल सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही जारी किये गये हैं जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६३-४६६ पर)

*४४--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

[८ वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

विवाह संबंधी सुधारों के लिये सुझाव

*४५--श्री रघुनाथसिंह---

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महिला समाज का सभी दिशाओं में विकास करने के लिए क्या बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह कराने, अनमेल और बाल-विवाह रोकने आदि के काम भी हाथ में लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

प्रचलित अधिनियमों में इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम अभी हाथ में नहीं लिया गया है । इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के कार्यों को गैर-सरकारी सामाजिक संस्थायें अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं ।

*४६--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सरकार विवाह सम्बन्धी सामाजिक बुराइयों से महिलाओं को बचाने के लिए कल्याण बोर्ड द्वारा इस दिशा में आवश्यक कार्य कराने का विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम---

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना पेराई तथा चीनी मिलों पर बकाया

*४७--श्री गेंदासिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला देवरिया)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की चीनी मिलें इस वर्ष किस तारीख से चलना आरम्भ हुईं, प्रत्येक मिल में रिकवरी पहले दिन कितनी थी और ३१ जनवरी, १९६४ के दिन क्या थी ? ३१ जनवरी, १९६४ तक कुल कितना गन्ना पेरा गया और उसकी औसत रिकवरी क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

वर्तमान सीजन में प्रदेश में मिलों के चालू होने की तारीख, चालू होने के प्रथम सप्ताह एवं जनवरी ३१, १९६४ को समाप्त होने वाले सप्ताह की रिकवरी का प्रतिशत मिलवार संलग्न तालिका 'क' † में दिया हुआ है। निर्दिष्ट तारीख तक कुल ६९४.३२ लाख क्वींटल गन्ना पेरा गया और उसकी औसत रिकवरी ९.३६ प्रतिशत थी।

*४८---श्री गेंदासिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

किस मिल पर कितना बकाया सरकारी टैक्सों का, कितना बकाया केन यूनियनों के कमीशन और कर्जे का तथा गन्ना का दाम अब तक है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

३१ जनवरी १९६४ को प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर सेस, गन्ना-क्रय-कर, गन्ने के मूल्य तथा कमीशन की मद के अन्तर्गत जो रकम बकाया थी उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका 'ख' †में दिया हुआ है।

*४९---श्री गेंदासिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जिन मिलों में बकाया रखा है उनसे गन्ना की कीमत दिलाने के लिए कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

गन्ना आयुक्त ने अधिकांश चीनी मिलों के विरुद्ध गन्ने के मूल्य के बकाया रकम की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है।

उद्योग कार्यालय, आगरा के हेडक्लार्क

*५०---श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा में जिला उद्योग कार्यालय के हेड क्लर्क का स्थानान्तरण तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

लिपिक वर्ग के लिए ऐसे कोई राजकीय आदेश नहीं हैं कि उनका स्थानान्तरण ३ वर्ष के बाद हो जाना चाहिए।

*५१---श्री मनसाराम---

क्या यह सच है कि दो एक बार स्थानान्तरण आदेश जारी हो जाने पर उसको रोक दिया गया ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी नहीं।

सीतापुर कोतवाली में श्री भिखारीलाल वर्मा की रिपोर्ट

*५२---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ अक्तूबर, १९६३ को दिन दहाड़े डेढ़ बजे दिन को सीतापुर शहर के अन्दर कृषक साप्ताहिक के सम्पादक पर गुण्डों ने जान से मार डालने की कोशिश की और सम्पादक श्री बी० एल० वर्मा ने उस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट कोतवाली में लिखाई ? यदि हां, तो क्या उसकी नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

---

† छापी नहीं गई।

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्री भिखारीलाल वर्मा सम्पादक कृषक साप्ताहिक ने इस आशय की रिपोर्ट थाने पर लिखाई कि उन पर दो लड़कों ने ३१-१०-६३ को हमला किया रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६७ पर)

*५३---श्री मोहनलाल वर्मा---

सरकार ने इस सम्बन्ध में आज तक क्या-क्या कार्यवाही की और क्या रिपोर्ट में लिखे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस घटना के सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच कराई गई। रिपोर्ट में अंकित ४ अभियुक्तों में से २ गिरफ्तार हुए और १ अदालत में हाजिर हुआ। उनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। चौथे के विरुद्ध कोई सबूत न होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

पुलिस अधिकारियों को घोड़ा भत्ता

*५४---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आज कल पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों को घोड़ा रखने का भत्ता मासिक क्या दिया जाता है और पुलिस लाइनों में एवं मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज के प्रति घोड़े पर औसत मासिक खर्च क्या पड़ता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों को निम्नलिखित दर पर घोड़ा भत्ता दिया जाता है।

(१) पहाड़ी क्षेत्र में---५५ रु० प्रतिमास।
(२) जिलों के हेडक्वार्टर्स पर---५० रु० प्रतिमास।
(३) अन्य स्थानों पर---४५ रु० प्रति मास।

घोड़ों की रखरखाव पर पुलिस लाइनों में ७२.१८ न० पै० तथा पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में १२७ रु० प्रति घोड़ा औसत मासिक लिक खर्च पड़ता है। इन खर्चों में सईसों और घसियारों का खर्चा भी शामिल है।

*५५---श्री उमाशंकर---

क्या सरकार यह बता सकती है कि एस० पी० को मासिक घोड़ा भत्ता कितना दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

एस० पी० को प्रदेश के सभी जिलों में ६० रु० प्रतिमास घोड़ा भत्ता दिया जाता है।

विकास कार्यों से जनलाभ

*५६---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस प्रकार का कोई सन्देश भेजा है कि विकास कार्यों से जनता को लाभ का पता लगाया जाय ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि प्रत्येक राज्य में योजनागत कार्यक्रमों का रोजगार, उपभोग और जीवन के स्तरों पर असर, प्राप्त लाभों का वितरण तथा कृषि और ग्राम उद्योगों में उन्नत विधियों के प्रयोग के बारे में जांच की जाय।

*५७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि उक्त सन्देश के आधार पर राज्य सरकार ने जनलाभ का मूल्यांकन कराने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आर्थिक बोध एवं संस्था निदेशक को एक परियोजना बनाने के लिये लिखा गया है और उसको तैयार किया जा रहा है ।

*५८--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

[हटा दिया गया ।]

*५९--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

[२ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में दौरे

*६०--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में १६ जनवरी, १९६४ से २२ जनवरी, तक कितने मन्त्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों के दौरे हुए हैं तथा उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४६८ पर)

गन्ना तौल का प्रबन्ध

*६१--श्री मोहनलाल वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ने के तौल के कांटे को चेक करने के लिए आनरेरी शुगरकेन इन्स्पेक्टर जो सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं उनकी नियुक्ति का क्या तरीका है और उन्हें क्या अधिकार प्राप्त होते हैं और क्या सरकार उनके दौरे का भत्ता इत्यादि देती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ क नियम २९ के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि गन्ना कमिश्नर किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी और गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भी हैं, जिन्हे वह यह प्राधिकार दे सकता है कि वे तौल, वेब्रिज, बांटों पर निगाह रखे अथवा उनकी जांच करें और उन पर्चों का भी निरीक्षण करें, जिनमें गन्ने की तौल तथा मूल्य दर्ज किया जाता हो। इनके दौरे के लिये कोई भता आदि नहीं दिया जाता है ।

*६२--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

[१६ मार्च, १९६४ को प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

हरिजनों के लिये पोलीटेक्निक

*६३--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हरिजनों के लिये किस पोलिटेक्निक को खोलने की घोषणा की है, वह किस स्थान पर खोला जायगा, कितने छात्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उक्त विद्यालय में होगी तथा उक्त विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

डाक्टर सीताराम---

राज्यपाल के अभिभाषण में वर्णित पोलीटेक्निक लखनऊ में खोला जायगा। उसमें ३६० छात्र शिक्षा पायेंगे और उन्हें निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त मुफ्त भोजन अथवा आवास इत्यादि की सुविधाएं दी जायंगी ।

हिन्दी

*६४--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह २६ जनवरी, १९६५ से हिन्दी को साधारण राजकाज की भाषा बनाने जा रही है और समस्त सरकारी कार्य हिन्दी में किये जाने की व्यवस्था भी कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हिन्दी सन् १९४७ में इस प्रदेश की राजभाषा बनाई गई थी, तभी से राज्य का साधारण राजकाज हिंदी में होना शुरु हो गया है ।

राज्य सरकार इस बारे में बराबर प्रयत्नशील है कि राज्य का अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में ही होने लगे ।

*६५--६७--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

[१ अप्रैल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६८-७०---श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

[२४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये]

इटावा जिले में पुलिस के विरुद्ध मांगपत्र

*७१--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६ फरवरी, १९६४ को इटावा जिले के थाना सहसों के पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार में सहयोग न देने वाले निरपराध प्रतिष्ठित नागरिकों को गिरफ्तार करने के विरुद्ध कोई मांग-पत्र कुछ ग्रामीणों द्वारा दिया गया तथा यह मांग की गई कि पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां ।

*७२--श्री रक्षपालसिंह तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

यदि हां, तो उपरोक्त मांग-पत्र में मुख्य रूप से क्या बातें कही गई थीं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मांग-पत्र में मुख्य रूप से पुलिस के विरुद्ध रिश्वत लेने तथा अनेक सम्भ्रान्त व्यक्तियों को जेल में भेजने का आरोप लगाया गया है और इस संबंध में किसी न्यायाधीश अथवा सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की मांग की गई। थानाध्यक्ष व उप-पुलिस अधीक्षक के कार्यक्षेत्र बदलने की तथा थानाध्यक्ष के मुअत्तल करने की भी प्रार्थना की गई। आरोपों की जांच की जा रही है।

सार्वजनिक सम्पत्तियां

*७३---श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख १३ फरवरी, १९६३ को पूछे गये प्रश्न संख्या १७-१९ के संदर्भ में समाज-कल्याण विभाग द्वारा समिति के समक्ष दिये गये उत्तर में सार्वजनिक संपत्तियों की जिस सूची के तैयार हो जाने की बात कही गई है क्या उसे वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७४---श्री ऋषिनारायण शास्त्री---

क्या सरकार इन संपत्तियों के रख रखाव में भारत सरकार से भी सहायता लेने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अनुसूचित जाति के लिये संरक्षण

*७५---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए, सरकारी नौकरियों में संरक्षण को पूरा कराने के लिये, एक अलग से डिप्टी सेक्रेटरी की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो उनकी कार्यप्रणाली क्या होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। राधाकिशन कमेंटी की ५१ सिफारिशें हैं। हर एक को वे Examine कर रहे हैं और उन पर फैसला लिया जा रहा है।

हिन्दी टाइपराइटरों संबंधी टिप्पणी

*७६---श्री कल्पनाथसिंह---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक लेखा समिति ने अपने अक्तूबर, १९६३ के प्रतिवेदन में हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद पर जो टिप्पणी की है उस पर सरकार का ध्यान गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सरकार ने इस संबंध में कौन सी कार्यवाही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। उक्त टिप्पणी सरकार के विचाराधीन है।

पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, कंधरापुर द्वारा भैंस की बरादमगी

*७७--श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री ३१ अक्तूबर, १९६३ के प्रश्न ५-७ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित भैंस की बरामदगी नरोतम अहीर से हुई ? यदि हां, तो कब और उसकी नीलामी कब और कितने रुपये में किसके हाथ हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उस भैंस का निश्चित पता अभी तक नहीं लगा। इस संबंध में जांच जारी है।

*७८--श्री राजनारायणसिंह तथा श्री दौलतलाल--

क्या यह सच है कि उक्त भैंस और उसकी पड़िया जो नरोत्तम अहीर को सुपुर्द की गई थी उसमें से भैंस उसने १६० रुपये में बेच दी और उसकी पड़िया (जो आजकल बियाई है) उक्त संबंध में प्रश्न पूछने के बाद नरोत्तम अहीर के घर से बरामद की गई। यदि हां, तो इस समय उक्त पड़िया कहां है और उसका नीलाम क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस संबंध में अभी जांच हो रही है, अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह भैंस १६० रु० में बेच दी गई। प्रश्न पूछने के बाद पुलिस ने जो भैंस बरामद की है यह उसी भैंस की पड़िया है जिसे पुलिस ने बरसाती अहिर से २२ जून, १९६१ को बरामद किया था अथवा कोई अन्य भैंस है इस संबंध में भी जांच हो रही है। यह भैंस बरसाती अहिर की सुपुर्दगी में है और उसका नीलाम इसलिये संभव नहीं हो सका क्योंकि अब तक की जांच से सही तथ्यों का पता नहीं चल सका।

*७९--श्री राजनारायणसिंह तथा श्री दौलतलाल---

क्या जिलाधीश आजमगढ़ को दिनांक २४, २५ नवम्बर, १९६३ को श्री उमा शंकर जी का कोई पत्र उक्त भैंस के संबंध में जिसमें संबंधित तथ्यों का पूर्ण उल्लेख है मिला है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्री उमा शंकर जी का पत्र दिनांक २६ नवम्बर, १९६३ जिशाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने मतानुसार तथ्यों का उल्लेख किया है। उस संबंध में जांच जारी है।

*८०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[२ अप्रेल, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

एस० के० इन्टर कालेज, बदायूं में गबन

*८१--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीकृष्ण इण्टर कालेज, बदायूं के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध चल रहे किसी गबन के मामले में पुलिस ने किस-किस व्यक्ति को हिरासत में लिया था और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एस० के० इण्टर कालेज बदायूं की कुछ रकम के गबन के एक मामले के संबंध में उक्त कालेज के भूतपूर्व एकाउंट्स क्लर्क राधे श्याम तथा प्रबंधक के कार्यकर्त्ता डी० पी० मिश्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा प्रबंधक गोपीनाथ और भूतपूर्व प्रधानाचार्य एस० डी० पाठक ने न्यायालय में आत्मसर्मपण किया। ये चारों व्यक्ति जमानत पर छूटे हुए हैं और मामले में अभी जांच हो रही है ।

फिरोजाबाद में कोयले के चूरे की बिक्री

*८२—श्री भगवानदास यादवेंन्द्र (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद में कांच व चूड़ी के कारखानों में कोयले की खपत होने के बाद कोयले का जो चूरा बच रहता है उसकी बिक्री करने के संबंध में रसद विभाग ने कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जानकारी कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं बने हैं, तो क्या सरकार इस ओर आवश्यक कदम तुरंत उठाने की कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नहीं। कोयले की खपत होने के बाद बच रहे कोयले के चूर की बिक्री के लिये अलग से कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। जो नियम कोयले की बिक्री के संबंध में उत्तर प्रदेश कोयला कन्ट्रोल आर्डर सन् १९५९ के सातवें अधिनियम में दिये गये हैं वे ही नियम बचे हुये चूरे की बिक्री में भी लागू किये जाते हैं ।

अतारांकित प्रश्न

१—३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[६ ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५८—६० के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

४—५—श्री हरिमैनराम (जिला वाराणसी)—

[२ अप्रेल, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

६—९—श्री हरिगैनराम—

[हटा दिये गये ।]

बृजमनगंज चिकित्सालय

१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज केन सोसायटी के अन्तर्गत जो दवाखाना चल रहा है उसकी इमारत बनवा दी जाय ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

जरीफनगर थाने में अपराध

११—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के थाना जरीफनगर में दिसम्बर, १९६३ तथा जनवरी, १९६४ में कत्ल, डाके, राहजनी, चोरी और पशुओं की चोरी की कितनी घटनायें हुई तथा यह घटनायें किन थाना इंचार्ज के काल में हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४६९ पर)

१२-१४---श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४-६ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

ग्राम पुलिस

१५---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या गृह मंत्री दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि आई० जी० पुलिस से कब विचार मांगे गये थे और सरकार को कब प्राप्त हुये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

दिनांक ४ सितम्बर, १९६३ को आई० जी० पुलिस से विचार मांगे गये थे जो आई० जी० पुलिस के पत्र दिनांक २० सितम्बर, १९६३ में प्राप्त हुए थे ।

बाराबंकी जिले में एस० डी० एम० व जुडीशल अफसर

१६---श्री द्विजेंद्रनारायण---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिलें में इस समय एस० डी० एम० और जुडिशिएल आफिसर कब-कब से काम कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

६ एस० डी० एम० नीचे लिखी तारीखों से काम कर रहे हैं :---

२४ दिसम्बर, १९६० ।
२ अगस्त, १९६१ ।
१२ जनवरी, १९६२ ।
१० जुलाई, १९६२ ।
२६ अगस्त, १९६३ ।
३ फरवरी, १९६४ ।

३ जुडीशिएल आफिसर नीचे लिखी तारीखों से काम कर रहे हैं :---

२२ नवम्बर, १९६२ ।
९ जुलाई, १९६३ ।
६ मार्च, १९६४ ।

पुलिस कर्मचारियों का वेतन

१७---श्री द्विजेन्द्रनारायण---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, सन् १९३५ में सर्किल इंसपेक्टर एस० ओ० हेड कांसटेबिल, कांस्टेबिल और चौकीदार के वेतन-क्रम क्या-क्या थे और अप्रैल, १९४९ में उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन-क्रम क्या-क्या हो गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सूचना अभी एकत्रित नहीं हो पायी है, क्योंकि सन् १९३५ के रिकार्ड बहुत पुराने हैं। उस समय के बहुत से रिकार्ड रद्द हो चुके हैं। बाकी रिकार्डों की छान-बीन की जा रही है।

१८---श्री द्विजेन्द्रनारायण---

क्या सरकार पुलिस विभाग के उक्त कर्मचारियों, विशेषकर चौकीदार के वेतन में, वृद्धि करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

पुलिस विभाग के सब-इंसपेक्टर, हेड कांस्टेबिल, कांस्टेबिल के वेतन-क्रमों में १ जनवरी, १९६२ से वृद्धि कर दी गई है। इंसपेक्टर और चौकीदार के वेतन-क्रमों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और न ऐसा करने का कोई विचार ही है।

मथुरा-फरह सड़क पर बस की लूट

१९---श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के अन्तर्गत आगरा की ओर जाने वाली एक बस को बैटरेनरी कालिज के सामने २०-२५ गुंडों ने बीच सड़क पर रोक कर लूट लिया और लूट करते वक्त बस में बैठी हुई सवारियों एवं बस कण्डक्टर और ड्राइवर को बुरी तरह घायल कर दिया ? यदि हां, तो कितनी सवारियों को घायल अवस्था में अस्पताल में भरती किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

१९ जनवरी, १९६४ को एक रोडवेज बस को, जो मथुरा से फरह जा रही थी, कुछ व्यक्तियों ने वैटेरनरी कालिज, मथुरा के सामने रोका और कण्डक्टर के यह कहने पर कि बस में जगह नहीं है, उन्होंने उसे तथा सवारियों को जिन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, मारा पीटा। कण्डक्टर को मिलाकर चार व्यक्तियों के चोटें आयीं, जिन्हें चोटों की जांच तथा उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया था।

इस घटना में कोई लूटा नहीं गया।

मौके पर ही दो सिपाहियों द्वारा जो गश्त से लौट रहे थे, ७ अभियुक्त पकड़ लिये गये और उनका चालान अदालत भेज दिया गया है।

आगरे में चोरियां

२०---श्री बनवारीलाल विप्र---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में पुलिस अकर्मण्यता के कारण दिनांक २० जनवरी, १९६४ की रात्रि में सुभाष बाजार के मेसर्स गोकुलचन्द उदयभान की दुकान से लगभग ढाई हजार का कपड़ा चुरा ले गये और उसी रात को नाई की मण्डी पुलिस चौकी के बिलकुल सामने महावीरप्रसाद कपड़े वालों की दुकान से करीब ५ हजार का कपड़ा की चोरी हो गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

दिनांक १९-२० जनवरी, १९६४ की रात में श्री गोकुलचन्द उदयमान की दुकान से कपड़ा व नकद मिलाकर १,०२३ रु० ४८ न० पै० की चोरी होने की सूचना वादी ने थाने पर लिखाई थी। थाने पर लिखाई गयी रिपोर्ट के अनुसार दूसरी घटना उस रात को नहीं वरन् दिनांक १८-१९, जनवरी, १९६४ की रात में हुई जिसमें श्री महावीरप्रसाद व सुनेरीलाल की कपड़े की दुकान से चोरी होना अंकित है। बाद में चोरी के सामान करीब १,९९० रु० की लिस्ट दी गई।

२१--श्री बनवारीलाल विप्र--

यदि यह सही है, तो क्या सरकार सन् १९६२-६३ में जितनी चोरियां हुयीं उनकी पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और इस संबंध में कितने चोरों को गिरफ्तार किया गया, उसमें से कितनों पर मुकदमें चलाये गये और उसमें कितनों को सजा हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

आगरा जिले में सन् १९६२ में कुल २,४६९ चोरी की रिपोर्टें दर्ज हुईं । कुल ६८९ चोरों को गिरफ्तार किया गया था । उनमें से ६७३ पर मुकदमे चलाये गये थे और ३६४ को सजा हुई थी । सन् १९६३ में कुल २,१०७ चोरी की रिपोर्टें हुईं । कुल ८११ चोरों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से ६६९ पर मुकदमें चलाये गये और २७५ को सजा हुई ।

२२--श्री बनवारीलाल विप्र--

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिन पुलिस वालों की लापरवाही के कारण उपरोक्त चोरियां आगरा शहर में हो रही हैं उनके विरुद्ध पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

किसी कर्मचारी के विरुद्ध निश्चित लापरवाही का आरोप सिद्ध नहीं हुआ । अतः किसी के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

गोरखपुर में 'इन्द्रलोक' सिनेमा

२३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, नवम्बर, सन् १९६३ ई० में गोरखपुर शहर में किन-किन व्यक्तियों के नाम पर कहां-कहां सिनेमाघर खोलने की इजाजत किन-किन तारीखों में दी गई और क्या इनमें से किसी के बारे में जनता ने सरकार के पास कोई रिप्रिजेंटेशन भी दिया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

केवल श्री लक्ष्मन दास को गोरखपुर शहर के मुहल्ला पुरदिलपुर में स्थित "इन्द्रलोक" नामक सिनेमाघर के चलाने की इजाजत दिनांक २७ नवम्बर, १९६३ को दी गई थी । इस सिनेमाघर के बारे में जनता द्वारा कोई रिप्रिजेन्टेशन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

२४--श्री रघुनाथ--

[१६ मार्च, १९६४ को प्रश्न ४१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

आगरा जिले में मल्लाह विद्यार्थियों से फीस

२५--श्री बनवारीलाल विप्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के अन्तर्गत मल्लाह जाति के विद्यार्थियों से प्राइमरी स्कूलों को छोड़कर सभी कालेजों और यूनिवर्सिटी में पूरी फीस ली जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां । मल्लाह जाति अनूसूचित जातियों में नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में आती है जिन के लिये कक्षा ६ के बाद निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान नहीं है ।

२६--श्री बनवारीलाल विप्र--

क्या सरकार कोई ऐसा निर्देश शीघ्रातिशीघ्र समस्त कालेजों एवं यूनिवर्सिटी में भेजने की कृपा करेगी कि मल्लाह जाति के विद्यार्थियों से फीस न ली जाय और नियमानुसार उन्हें वजीफे दिये जायं ताकि वह भी योग्य नागरिक बन सकें ?

डाक्टर सीताराम---

फीस न लेने के संबंध में निर्देश देने का प्रश्न नहीं उठता। मल्लाह जाति के छात्रों को अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के लिये निर्धारित धनराशि से उस वर्ग की अन्य जाति वाले छात्रों की भांति वजीफा देने का प्राविधान है।

मुरादाबाद जिले में पुराने पुलिस कर्मचारी

२७---श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में कौन-कौन थानेदार और एच० सी० ६ साल से ज्यादा एक स्थान पर काम कर रहे हैं ? क्या उनको फौरन वहां से स्थानान्तरित किया जायेगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मुरादाबाद जिले में कोई भी थानेदार अथवा हेड कांस्टेबिल ६ साल से अधिक एक स्थान पर काम नहीं कर रहा है।

मुरादाबाद में पुलिस अधिकारियों के दौरे

२८---श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह---

क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९६२ से आज तक मुरादाबाद जिले में कितने दौरे आई० जी०, और डी०आई० जी० ने किये और कब-कब जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जनवरी १, १९६२ के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने ६ तथा पुलिस उप महा निरीक्षक, बरेली ने २२ बार मुरादाबाद का दौरा किया, जिसकी सूची संलग्न है।

मुरादाबाद जिले के अधीक्षक द्वारा आमन्त्रित जन प्रतिनिधियों से हर बार आई० जी० एवं डी० आई० जी० मिले इसके अतिरिक्त भी जो लोग आये उन से भी भेंट की। जिन-जिन तिथियों पर डी० आई० जी० ने जन प्रतिनिधियों से भेंट की उसकी सूची भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४७० पर)

डी० आई० जी०

२९---श्री द्विजेंद्रनारायण---

क्या सरकार बतायेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस पी०ए०सी० तथा इसी शाखा से संबंधित अन्य विभाग में डी० आई० जी० के पद पर कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं और अपने इन पदों पर कब-कब से हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है :

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४७१ पर)

३०-३१---श्री श्रीराम तिवारी---

[१८ मार्च, १९६३ को प्रश्न ४-५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

३२-३३---श्री लखीसिंह---

[हटा दिये गये]।

३४--श्री लखी सिंह---

[७ वें गुरुवार के लिये तारांकित प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

३५--श्री मोहनलाल वर्मा--

[स्थगित किया गया]

३६-- श्री श्रीराम---

[स्थगित किया गया]

बरेली जिले में परगनाधीश

३७--श्री वेदराम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में कितने हाकिम परगना तीन वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं और अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनके स्थानान्तरण न करने के कारण क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

केवल एक । उन्हें प्रशासकीय कारणों से वहां से स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

३८-३९--श्री श्रीराम--

[७ वें बुधवार के लिये प्रश्न ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बभनान-हरैया सड़क

४०--श्री रामलखनसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन यूनियन बभनान, जिला बस्ती के अन्तर्गत यूनियन भवन के पास से बभनान-हरैया रोड में जो सड़क मिलाई गई है उसकी लम्बाई क्या है और उसके बनवाने में इस बार कितना रुपया लगा है और उसके कितने दिन पहले कितनी लागत लगाकर पहली बार सड़क बनवायी गयी थी ?

डाक्टर सीताराम---

केन यूनियन बभनान के भवन के पास से बभनान-हरैया रोड में जो सड़क मिलाई गई है उसकी लम्बाई १,६०० फीट है । इस बार उसके बनवाने में अब तक ३,१०२ रु० व्यय हुआ है । इसके पूर्व सन् १९५९-६० में इस पर १,२५१ रुपये का व्यय हुआ था ।

बस्ती तथा गोंडा जिले में गन्ना हड़ताल

४१--श्री रामलखनसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती तथा गोंडा जिले के गन्ना हड़तालियों ने बैलगाड़ी से गन्ना लाने वाले किसानों को हाल में मारा-पीटा व रजाई व बैलों को खिलाने वाला दौरा छीन लिया व किसानों का गन्ना लूट लिया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

१-१२-६३ को थाना छपिया, जिला गोंडा पर ग्राम मझौला, थाना सादुल्लापुर के निवासी रामफेर द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार २९-११-६३ को गनपतसिंह व भगवान सिंह नामक

दो व्यक्तियों ने उसे मिल को गन्ना ले जाने से मना किया और उसके न मानने पर उसे थप्पड़ों और मुक्कों से मारा। कुछ छीने जाने व लूटे जाने की कोई सूचना नहीं है ।

जिला बस्ती में ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

४२---श्री रामलखनसिंह--

यदि हां, तो क्या सरकार उन गरीब गाड़ी वालों को इस सर्दी से बचाने के लिये उनकी रजाई दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

प्रश्न नहीं उठता ।

४३---श्री रामलखनसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन हड़तालियों के खिलाफ जिनकी उपरोक्त रजाई वगैरह लूट लेने की रपट की गयी थी क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

रिपोर्ट नान काग्निजेबुल थी । अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

खाण्डसारी इंस्पेक्टर्स

४४---श्री अहमद बख्श---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विभाग में खांडसारी इन्स्पेक्टरों की कितनी जगहें हैं और इस वक्त कितने खांडसारी इन्स्पेक्टर्स काम कर रहे हैं और कम से कम उनकी शिक्षात्मक योग्यता क्या रखी गयी है ?

डाक्टर सीताराम---

दिनांक ९ मार्च, १९६४ को स्थिति निम्न प्रकार थी :---

(क) चीनी आयुक्त के अधीनस्थ खांडसारी निरीक्षकों के पदों की संख्या ५३ है। इसके अतिरिक्त ९ पद ऐसे हैं जो केवल सीजन के लिये लघुकालीन हैं ।

(ख) इस समय कोई पद रिक्त नहीं है ।

(ग) खांडसारी निरीक्षकों के लिये शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक है ।

४५---श्री अहमद बख्श---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पदों पर जो कर्मचारी काम कर रह हैं उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति ली गयी है ? यदि हां, तो क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है ? उनकी कितनी संख्या है, कितने दिनों से वे काम कर रहे हैं और इनकी कम से कम योग्यता कितनी है ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां । ७ जगहों पर जो केवल सीजन के लिये ही हैं पुराने निरीक्षक कार्य कर रहे थे इन पुराने निरीक्षकों का कार्य अवधि काल लगभग १ वर्ष से ४ वर्ष के बीच था तथा इनमें से दो की योग्यता जो विभागीय थ इन्टरमीडिएट थी और शष की स्नातक या उच्चतर ।

४६—श्री अहमद बख्श—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हाल में यानी दो तीन महीने के अन्दर कितने खांडसारी इन्स्पेक्टरों की सेवायें आवश्यकता न होने के कारण समाप्त कर दी गयीं और उनकी शिक्षात्मक योग्यता क्या थी ?

डाक्टर सीताराम—

१४ पुराने निरीक्षकों की सेवायें इसलिये समाप्त की गईं क्योंकि उनके स्थान पर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित निरीक्षको ने कार्य ग्रहण कर लिया। इनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक या उससे उच्चतर थी।

घोसी थाने में कथित पुलिस केस

४७—श्री उमाशंकर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के थाना घोसी में, पिछले वर्ष स्टेट बनाम शिव पूजन, स्टेट बनाम अमरजीत, स्टेट बनाम सज्जन पर भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत घोसी थाने के अन्तर्गत पुलिस ने कोई मुकदमा चलाया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६३ में वह मुकद्दमा माननीय न्यायालय ने यह लिखते हुये छोड़ा कि मुकदमा फर्जी बनाया गया है, नजरी नक्शा फर्जी बनाया गया है और फर्जी अंगूठा का निशान का बनाया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत जिला आजमगढ़ के घोसी थाने के अन्तर्गत पिछले वर्ष पुलिस ने प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया। प्रश्न नहीं उठता।

४८—श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि किस कर्मचारी के विरुद्ध यह आरोप माननीय न्यायालय ने लगाया है और सरकार ने कौन सी विभागीय कार्यवाही उसके विरुद्ध की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारा प्रश्न संख्या १४ पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में है जो पिछले सप्ताह आ गया था लेकिन इसलिये स्थगित हो गया कि माननीया मुख्य मंत्री दिल्ली चली गयी थीं और केन्द्रीय जांच आयोग से उन्होंने बात-चीत की थी। अब यह प्रश्न जिस संख्या में पिछले सप्ताह रखा गया था अब बाद को रख दिया गया और वह समाप्त होने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी जनसंख्या से संबंधित है। क्या आप इसको प्रश्न ५० के अन्तर्गत या अनुसूचित तारांकित प्रश्न के अन्तर्गत एक स्टेटमेंट माननीया मुख्य मंत्री जी से दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यहां पर हम कह दें कि स्वीकार करते हैं और अगर नियमों के अन्दर न आता हो तो हम दिक्कत हो सकती है। अब यही इलाज है कि नियम ४४ का पालन किया जाय। आप हमारे पास आयें, तब हम आपसे परामर्श करके निश्चित करें कि क्या होना चाहिये। और इसके अतिरिक्त तो मैं क्या निवेदन कर सकता हूं ?

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, जरा मुझे एक अपने प्रश्न के संबंध में.....

श्री अध्यक्ष--

अब तक तो विरोधी दल वाले खड़े होते थे, अब उधर से भी खड़े होने लग गये। इसका मतलब यह है कि मैं समझता था कि इन लोगों की थोड़ी सी बात मैं सुन लूं, लेकिन यहां से खड़े होंगे प्रश्नों के संबंध में ? अब यहां कोई बात न कही जाय। मैं समस्त सदस्यों का आभारी हूंगा अगर वह आकर मुझसे बात-चीत कर लें और जो कुछ मेरे इमकान में होगा मैं उनकी सहायता हर प्रकार से करने के लिये तैयार हूं, लेकिन प्रश्नों के संबंध में यहां कोई बात उठाना अनुचित है, नियम ४४ का पालन किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रश्न उठाया उसमें सरकार की तरफ से दो उत्तर दो समय पर दिये गये हैं, तो मुख्य मंत्री जी जरा इस सवाल पर प्रकाश डालने के लिये कहें क्योंकि वह दिल्ली से बात करके आयी हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह--

यहां पर इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं हो सके, यह इसीलिये स्थगित कराया गया था कि मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली से लौटेंगीं तो उस पर प्रकाश डालेंगी, मैं, मान्यवर, उसको लिखकर भेज दूंगा, आप उसे देख लें।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें, मैं स्पष्टीकरण करा दूंगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न था, मुजफ्फर हसन अभी तक शिकन्जे में नहीं आ सके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने उस पर अपने आदेश दे दिये हैं, कृपा करके आप उसे देख ल।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

हमारा एक प्रिविलेज का मोशन था.....

श्री अध्यक्ष--

हमारे आफिस की उसके ऊपर मेरे पास रिपोर्ट आई है, मैं उससे अभी संतुष्ट नहीं हूं, मैंने उनसे विस्तारपूर्वक रिपोर्ट भेजने को कहा है।

प्राक्कलन समिति का बिक्री-कर विभाग से संबंधित प्रतिवेदन*

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से प्राक्कलन समिति का यह प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं जो बिक्री-कर विभाग से संबंधित है। यह प्रतिवेदन ४

*छापा नहीं गया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

भागों में विभाजित है । इस प्रतिवेदन में समिति ने आमदनी बढ़ाने, टैक्स की बकाया वसूल करने और चोरी कम करने तथा विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के सुझाव दिये हैं ।

समिति इस निश्चय पर आयी कि उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की दर इतनी अधिक होते हुये भी जो आय हो रही है वह निश्चित ही कम है और उचित व्यवस्था करने से बिना किसी नये कर को लगाये तथा बिना टैक्स की दर बढ़ाये हुये भी आमदनी में काफी बढ़ोत्तरी हो सकती है ।

समिति का यह भी अनुमान है कि टैक्स की वसूलयाबी भी बढ़ सकती है । यदि समिति के सारे सुझावों पर निष्ठा के साथ कार्यान्वयन किया गया तो ४ से ५ करोड़ रुपये की आय अवश्य बढ़ सकती है । समिति ने कर की चोरी को रोकने और बिना कर बढ़ाये आमदनी बढ़ाने के सुझाव भी दिये हैं ।

समिति ने गहन चिन्ता प्रकट की है १० करोड़ की बकाया के बारे में जो पिछले ३--४ साल में दुगुनी हो गयी है और कुल आय के अनुपात में दूसरे समस्त प्रदेशों की अपेक्षाकृत भी बहुत ज्यादा है । समिति ने उसकी वसूली के लिये ठोस सुझाव दिये हैं । समिति ने इस विषय में भी चिंता प्रकट की है कि इस समय सेल्स टैक्स अधिकारियों के फैसलों के प्रति भारी संख्या में अपीलें और रिवीजन्स पड़े हुये हैं । पेंडिंग अपीलों की संख्या ७०,०९१ है और रिवीजन्स की संख्या १२,७७७ है । फिर उनके निस्तारण के अनुपात में इन्स्टीट्यूशन ज्यादा हैं । इस परिस्थिति पर काबू पाने के लिये अविलम्ब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर समिति ने जोर दिया है ।

समिति ने इस बात पर भी चिन्ता प्रकट की है कि बहुधा विभागों द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में अवांछनीय विलम्ब किया जाता है जिसके फलस्वरूप उनका लक्ष्य ही निरर्थक हो जाता है ।

मैं आशा करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सिफारिशों का सम्बन्ध आमदनी बढ़ाने से है और इस संकटकालीन अवस्था में हमें सारी शक्ति अपने साधनों के जुटाने में लगाना है, इन सिफारिशों को कोल्ड स्टोरेज में बहुत समय तक नहीं रखा जायगा और सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिये अविलम्ब कदम उठाये जायंगे ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुलम्बित किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव आये हैं उनमें से एक माननीय नरसिंहनारायण पांडेय का है और उसी सम्बन्ध में माननीय काशीनाथ मिश्र का है । उनको मैं नियम ५२ में ले रहा हूं । माननीय शिक्षा मन्त्री जी विषय को देखते हुए उस पर शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य दें । वह इस प्रकार है---

"गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने दिनांक १७ मार्च, १९६४ को यूनियन के उपाध्यक्ष श्री सुरेश पांडेय, श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री राम हरख यादव को अकारण विश्वविद्यालय से १९६४-६५ के वार्षिक साल के परीक्षा से अलग करके अनुपस्थित कर दिया है तथा ६० विद्यार्थियों को जो पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के तथा ३०० विद्यार्थियों को जो स्नातक कक्षाओं के हैं, इस वर्ष परीक्षा में बैठने से रोक रखा है । इस परिस्थिति के कारण विश्वविद्यालय क्षेत्र तथा शहर में दफा १४४ लगा दिया गया है तथा परिस्थिति चिन्तनीय हो गयी है ।"

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

श्रीमन्, यह विषय विद्यार्थियों और उपकुलपति से सम्बन्धित है, लेकिन इसको चूंकि आपने स्वीकार कर लिया है। वहां से सूचना मंगानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना शनिवार तक मंगा लें तो अच्छा है। उनका कहना यह है कि सोमवार से परीक्षायें हो रही हैं, उसके पहले आ जाना चाहिये। यह बहुत इम्पार्टेन्ट है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, कल मेरा जो नियम ५२ का था, उसमें तारीख नहीं बतायी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

आप तारीख पूछ लीजियेगा।

थाना इन्चार्ज, इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद द्वारा दो गिरफ्तार व्यक्तियों को पीटने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी तो यहां हैं नहीं। श्री काशीनाथ ने एक दूसरा कामरोको प्रस्ताव दिया है। उसको मैंने केवल वक्तव्य के हेतु स्वीकार कर लिया है, उनका कहना यह है कि—

"थाना इंचार्ज, इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद ने दिनांक १७-३-६४ को हवालात में जो दो गिरफ्तार व्यक्ति थे उनको बुरी तरह से पीटा। जिसके कारण एक की मृत्यु वहीं हवालात में हो गयी। इस घटना से वहां की क्षेत्रीय ग्राम जनता में महान क्षोभ एवं रोष का वातावरण व्याप्त है। शासन के प्रति महान निराशा व्याप्त है। यदि शीघ्र ही कोई समुचित व्यवस्था न की गयी तो स्थिति भयंकर रूप ले सकती है।"

माननीय गृह मन्त्री इस पर अपना वक्तव्य कब देंगे।

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

कम से कम ३-४ रोज तो चाहिये ही।

श्री अध्यक्ष—

मंगलवार को दे दीजिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब एक श्री सालिग्राम जायसवाल, श्री सत्यनारायण पांडेय और श्री कल्याणचन्द मोहिले ने नैनी इंडस्ट्रियल स्टेट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना भेजी है। यद्यपि इसमें यह कहा गया है कि इससे स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है और तन्त्काल ध्यान नहीं दिया गया तो जीवन की सुरक्षा तथा हजारों मजदूरों की रोजी खतरे में पड़ सकती है—तो इसको मैं सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं कि वे इस पर शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री नाथूराम शिक्षक का भी इसी सम्बन्ध में है, जो इसके साथ नत्थी है।

[श्री अध्यक्ष]

एक श्री भगवानदास यादवेन्दु जी का है। उनका कहना है कि "फिरोजाबाद के कांच उद्योग में बहुत परेशानी है, सोडा ऐश के अभाव के कारण वहां का बिजनेस बहुत गड़बड़ हो रहा है। चूंकि वहां का प्रिंसिपल बिजनेस कांच का ही है इसलिये वहां के लिये सोडा ऐश का इन्तजाम किया जाय। अगर सोडा ऐश का इन्तजाम नहीं किया गया तो बड़ी परेशानी हो सकती है"।

इसको मैं माननीय मन्त्री जी के पास शीघ्र उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मैंने भी एक नियम ५२ की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष---

आपके अलावा और लोगों के भी हैं, लेकिन क्या किया जाय ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

वह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष---

कौन-सा जरूरी नहीं है।

२० फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न २२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उप-मन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २० फरवरी, १९६४ को अपने तारांकित प्रश्न सं० २२ के सम्बन्ध में श्री गणेशचन्द्र काछी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या सरकार बतलायेगी कि हजारों प्रार्थना-पत्र जिलों में बन्दूक के लाइसेन्स के लिये पड़े हुए हैं, इसे दृष्टि में रखते हुए वह हाकिम परगना को यह अधिकार देगी कि वह लाइसेन्स दिया करें और जो लाइसेन्स हाकिम परगना अस्वीकार कर दें उसकी सुनवाई जिला जज किया करें।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "एस० डी० एम० को अपने क्षेत्र में और जिले में जिलाधीश को लाइसेन्स देने का अधिकार दिया गया है ...."

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है "एस० डी० एम० को अपने क्षेत्र में या जिले भर में और जिले के बाहर प्रदेश के लिये या समूचे भारत के लिये जिलाधीश को लाइसेन्स देने का अधिकार दिया गया है...."

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४७२ पर)

कतिपय विषय के संबंध में जानकारी

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं और बड़े अदब के साथ आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आमतौर से जिस तरह से कि यह सदन चल रहा है, मैंने यह देखा है कि जिन जिलों के सम्बन्ध में बजट में व्यवस्था होती है, वहीं के प्रतिनिधियों को सदन में अधिक समय दिया जाता है। मैंने इसकी आवाज आपके चेयर तक पहुंचाई और यह कहा कि जो इस मुल्क के पिछड़े हुए इलाके हैं, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझ गया, आप बैठें।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

मैं आप से कानूनी बात पूछ रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट के कानून के मातहत जो प्रतिनिधि जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि हर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवाज इस सदन में पहुंचावे। अगर उन व्यक्तियों को समय नहीं दिया जाता जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसके माने यह है कि उनकी आवाज को सुनवाई इस सदन में नहीं की जा सकती और कानून का मकसद डिफीट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि समझा यह जाता है कि जो लोग केवल ग्रामोफोन रिकार्ड की तरह यहां बोल जाते हैं उन्हीं को समझा जाता है कि वे कौम व राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, यह आक्षेप है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

समझा जाता है कि वही लोग इस राष्ट्र की सेवा अधिक करते हैं लेकिन हम लोग देश की और प्रदेश की कमियों और खामियों को बता कर मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या यह समझा जाता है कि वह लोग देश की सेवा नहीं करते, वह प्रतिनिधि नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, बस हो गया अब आप समाप्त करें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप इस तरह से लेक्चरबाजी करने लगे, यह सब नहीं, आप व्यवस्था क्या चाहते हैं ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---

मैंने दो बातें पूछी हैं....

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

न दें, लेकिन अगर यह कानूनसाज सभा है और यह लेजिस्लेचर है तो जरूर सुना जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको बता दूं, आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रसिंह रातव---

आपने तीसरा सवाल पूछने का मुझे समय ही नहीं दिया।

(एक सदस्य के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप की वकालत की जरूरत नहीं है, उन के कंधे स्वयं ही काफी चौड़े हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

श्रीमान्, मैं स्वयं वकील हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप शांतिपूर्वक अपनी तीसरी बात कह दीजिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

बड़ी शांति के साथ और बड़े अदब के साथ मेरा नम्र निवेदन है कि किसी क्षेत्र के लोगों को बजट में भाग लेने से महरूम करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और क्या ऐसा कर के ज्यादती नहीं की जाती ?

श्री अध्यक्ष---

मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं, आप बैठ जायं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---

अभी आप बैठें। यह बजट का दिन आप का है, इस तरह से आप समय लेंगे तो आप ही का समय कम होता है।

यह बिल्कुल सत्य है कि जो लिस्ट मुझे दी जाती है उसी पर चलने के लिये मैं बाध्य नहीं हूं, मैं उसके अलावा भी किसी को बुला सकता हूं लेकिन साधारणतया यह कोशिश की जाती है कि दोनों पक्षों के विचार सदन के सामने भाषणों के द्वारा आ जायं, और इसी विचार से, जो नाम आते हैं उन के बारे में प्रयत्न किया जाता है कि उन को प्राथमिकता दी जाय हम उन नामों से कोई बंधे नहीं हैं, लेकिन जो नाम आते हैं उन के अनुसार बुलाने की कोशिश की जाती है। तो रावत जी, मैं जरूर मौका दूंगा। इस पर आप ध्यान दें, कि किसी तरह भी कोई विशेष व्यक्ति जान बूझकर एक्सक्लूड नहीं हो सकता। अगर किसी को शिकायत हो कि जान-बूझकर एक्सक्लूड किया जा रहा है तो अध्यक्ष का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसकी बात सुने और उसको मौका दे।

श्री चन्द्रसिंह रावत---

श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष---

अब इस पर बहस नहीं होगी, आप बैठ जायं।

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

अब सभापति, विशेषाधिकार समिति संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"चूंकि दिनांक १९ फरवरी, १९६४ को सदन में सर्वश्री श्यामनारायणसिंह तथा हुकमपाल दुबे की शास्ति के अवसर पर श्री जन्द्रबलीसिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा कही गई बातों से सम्बन्धित सदन के अवमान का प्रश्न १९ फरवरी, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

दिनांक २० फरवरी, १९६४ को परिवहन मन्त्री, श्री मुजफ्फर हुसन, के सम्बन्ध में श्री मैनेजरसिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन में एक आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न २० फरवरी, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

माननीय अध्यक्ष के इस निर्णय के विरोध-स्वरूप कि श्री केशवसिंह को सदन में उपस्थित कराने के लिये वारेन्ट जारी किया जाय और १८ मार्च, १९६४ को उनकी शास्ति की जाय, सर्वश्री उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा, लक्खीसिंह, शिवनाथसिंह तथा रामआसरे, सदस्य, विधान सभा, द्वारा सदन का परित्याग किये जाने से सम्बन्धित सदन के अवमान का प्रश्न ३ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री नित्यानन्द पांडेय, सदस्य, विधान सभा, के विधान सभा में दिये गये भाषण पर आक्षेप करते हुए एक पर्चा छपवा कर जनता में वितरित करवाने के सम्बन्ध में श्री रामपालसिंह यादव, मन्त्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ५ मार्च, १९६४ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था, और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था, किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार समाप्त नहीं कर सकेगी;

अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय तीन महीने तक बढ़ा दिया जाये।"

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

आपने कहा था इसके बाद मुझे सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो समाप्त हो जाय।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है प्रक्रिया नियमावली में जो परिभाषा संकल्प की की गई है आप उसे देखें उसमें लिखा हुआ है "संकल्प का तात्पर्य उस प्रस्ताव से है जो सामान्य लोक हित के लिये किसी विषय पर चर्चा करने के लिये किया जाय।" मेरा ऐसा मत है कि सामान्य लोकहित की चर्चा का कोई विषय सभापति विशेषाधिकार समिति ने नहीं प्रस्तुत किया है। इसलिये इस पर न तो कोई चर्चा हो सकेगी और न यह संकल्प के रूप में प्रस्तुत ही किया जा सकता है। अगर प्रस्तुत किया जा सकता है तो किसी प्रस्ताव की शकल में जिसमें संशोधन हो सकता है उसके बाद यह सदन उसको पारित कर सकता है।

दूसरी तरफ २६८ को परन्तुक में दिया गया है "किन्तु अध्यक्ष अथवा सदन, यथास्थिति समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे।" इसमें

[श्री कल्पनाथसिंह]

यह नहीं है कि कहीं कोई संकल्प प्रस्तुत किया जायगा या प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायगा इसमें आपकी भी शक्ति निहित है और सदन को भी यथा स्थिति है। यह सदन में आने के बाद है। मैं इस मत का हूं कि इस पर कोई संकल्प नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है और आप अपनी व्यवस्था दें कि संकल्प के रूप में आयेगा या प्रस्ताव के रूप में आयेगा। अगर संकल्प के रूप में आना है तो इस स्थिति में नहीं आना है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, ४, ५ विशेषाधिकार के सवाल एक ही साथ पेश किये गये हैं। १९०९ में हाउस आफ कामन्स में प्रस्ताव हुआ है, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में है। इसमें यह प्रस्ताव है कि स्पीकर के लिये कहा गया कि प्रैक्टिस रहेगी कि कम से कम प्रिवेलेज के सवालों को वह हाउस में आने दें। इतने ज्यादा प्रिवलेज के सवाल जनतन्त्र की मर्यादा के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न जो है, आप उस वक्त करते जब प्रिविलेज मोशन सदन में प्रस्तुत हुए। या उस वक्त करें जब प्रतिवेदन पेश हों और बहस में आएं। यह परम्परा गलत है। इस समय माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति, ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि समय बढ़ा दिया जाय। माननीय कल्पनाथसिंह जी, संकल्प की व्याख्या, जो हमारे नियमों में है, कि संकल्प का अर्थ होता है प्रस्ताव से। प्रस्ताव का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा सभा के विचारार्थ की गयी प्रस्थापना से है और उसमें संकल्प तथा प्रस्ताव के संशोधन भी सम्मिलित हैं।

दूसरी बात यह है कि सदन के द्वारा यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है तो किस प्रकार से समिति इस सदन से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाय। कौन तरीका है? वह यह है कि प्रस्ताव कर के अवधि विस्तृत कर ले। आपकी सारी बहस का सार यह है कि शब्द 'प्रस्ताव' का प्रयोग होना चाहिये था, संकल्प का नहीं। तो आपकी सिर्फ शाब्दिक आपत्ति है और कुछ नहीं है। बात यह है कि संकल्प का तात्पर्य प्रस्ताव से है। जहां तक आपकी आपत्ति का सवाल है वह ठीक है कि संकल्प के स्थान पर प्रस्ताव होता तो ज्यादा अच्छा होता। प्रश्न यह है कि यहां माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति ने जिन प्रश्नों का उल्लेख अपने प्रस्ताव में किया है उनके सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति को अपना प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३ माह के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१२३,

विपक्ष में--३६।

कतिपय विषय के संबंध में जानकारी--(क्रमागत)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में कहा कि लिस्ट से आप बाध्य नहीं हैं यहां तक तो ठीक है लेकिन लिस्ट की नई परम्परा जो डाल रहे हैं यह सही नहीं है। मैं समझता हूं कि बिना किसी लिस्ट के जिस को आप चाहें बुलवा सकते हैं। लिस्ट के लिये आप स्वयं अपनी तरफ से सदन में कहते हैं यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय विकल जी गलत सोच रहे हैं। यहीं नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में कायदा है और अगर आप ५२ से ६२ तक का संकलन पढ़ें तो माननीय खेर साहब की रूलिंग इसी विषय पर है उनमें वही बात कही है जो मैं कह रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मैं आपकी आज्ञा से विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूं। अखबारों में जो ज्योतिषी का बयान निकला है उसे बनारस के पी० टी० आई० ने छापा है और पायनियर में निकला है। मैंने सदन में तथा मुख्य मन्त्री जी से कहा था कि मेरे पास जो सूचना आई है वह बिलिट्ज में निकली है और विशन कपूर उसके विशेष सम्वाददाता हैं। उन्होंने मुझसे, माननीय ऊदल और भगवानदास यादवेन्दु के समक्ष जो कहा था उसी आधार पर मैंने कहा था कि प्रदेश की बड़ी बदनामी हो रही है....

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप लिख कर भेज दें।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३६--संचार साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण-मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६---संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १,१४,१७,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १,१४,१७,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री जगनप्रसाद रावत---

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७---सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १,४१,६५,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७---सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १,४१,६५,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, एक सूचना आप दिला दें तब माननीय मंत्री जी को आगे की ग्रान्ट पेश करने की आज्ञा दें। माननीय मुख्य मंत्री अभी बैठी हुई हैं। असेम्बली कब तक चलेगी और फिर कब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

बैठेगी इसके बारे में कल आपने कहा था बताने को, तो नेताओं की मीटिंग भी हो चुकी है यह आप उनसे सूचना दिला दें नहीं तो फिर माननीय मुख्य मंत्री चली जायंगी ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, वह अभी बता देते हैं ।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५१---सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २०,३६,२३,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१---सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २०,३६,२३,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन के कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

श्रीमन्, कार्य-क्रम इस प्रकार से है कि २८ तारीख तक तो यह बजट चलेगा और अप्रोप्रियेशन बिल २८ तारीख को होगा । २९ को रविवार है और ३० को गैर-सरकारी दिवस है । ३० को सदन स्थगित होगा और फिर १३ अप्रैल को पुनः अधिवेशन होगा जो १७ तक चलेगा और १७ अप्रैल भी नान-आफिशियल डे रहेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम लोगों को यह सूचना मिली थी और आपके द्वारा मिली थी कि ३ फरवरी से यह सदन १७ अप्रैल तक चलेगा । तो इस बीच में बगैर किसी सूचना के या और किसी आपत्ति या संकट के आये केवल सरकारी पक्ष के लोग अपनी सुविधा के लिये १३ व १४ दिन सदन स्थगित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यह नहीं होगा कि सत्तारूढ़ दल की मातहती में सारा सदन चल रहा है । लोक सभा में ऐसा कभी नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष---

मैं बता दूं ? पहली बात---साधारणतया सदन का कार्यक्रम सरकार ही निश्चय करती है । मेरे पास जब यह सूचना आयी तो मैंने यह समझा कि यद्यपि यह बात ठीक है कि सरकार कार्य-क्रम निश्चित करे लेकिन मेरी बगैर अनुमति के नहीं होना चाहिये । यह सरकार ने स्वीकार किया । मैंने यह मुनासिब समझा कि इस आदरणीय सदन के जो नेतागण हैं उनको आमंत्रित करूं, उनको सूचना दे दूं, उनकी अनुमति ले लूं और कल मैंने इसीलिये सारे नेताओं की मीटिंग की थी । सारे नेता आये थे और यह जो बात आयी है यह सारे सदन की बात है । आप नहीं आये, हमें खेद है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हमने इसका विरोध किया था । यह तो आप की ही मर्यादा का सवाल है, आप एक बार नोटिस निकाल चुके तो आपकी और सदन की मर्यादा का सवाल है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, एक सूचना और दिला दें कि १७ के बाद सदन बैठेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह इतनी जल्दी नहीं बता सकते ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह तो जब बनारसीदास चाहेंगे, तब बैठेगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, यह तो अपना-अपना टेस्ट है । आपका टेस्ट यही कहता है कि आप हर बात में कुछ कहिये, मुझे इसका बड़ा खेद है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि गुड फ्राईडे को छुट्टी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

हां है, बिलकुल है ।

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

श्रीमन्, मैं यह मांग पेश करने के पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि यह जो पुस्तिका बंटी है उसमें एक छोटा-सा सुधार माननीय सदस्य कर लें । पृष्ठ २६७ पर कालम १४ में यह लिखा हुआ है—६६ में आकांक्षित । उसके स्थान पर—६३ में स्वीकृत—यह पढ़ लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत ८,२२,९०,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो ८,२२,९०,७०० रुपये की मांग है इसका ब्रेक अप आपके द्वारा मैं सदन को संक्षेप में बतला दूं कि ओरिजिनल वर्क्स बिल्डिंग नान-प्लान में ७ लाख २७ हजार २ सौ और प्लान में ७८ हजार दो सौ रुपया कुल मिलाकर ८ लाख ५ हजार ४ सौ रुपया । कम्युनिकेशंस में जो ओरिजिनल वर्क्स हैं उनमें ८० हजार दो सौ नान-प्लान में और १८,७५,२०० प्लान में । मिसलेनियस में नानप्लान में १० हजार ९ सौ और रिपेयर्स में नान-प्लान में १६ लाख ९९हजार ७ सौ(१६,९९,७००)है । सड़कों की मरम्मत में ५,०८,६३,५०० रुपये, पब्लिक वर्क्स के लिये १,२२,०१,००० रुपये आदि इस तरह से ८,२२,९०,७०० का यह ब्योरा है ।

अधिष्ठाता महोदय, १९६३-६४ में ४८६ लाख ८७ हजार रुपये रिपेयर्स तथा मेंटिनेन्स आफ बिल्डिंग्स और रोड्स के लिये स्वीकृत हुआ था, ६४–६५ में यह ५३५ लाख २७ हजार कर दिया गया यानी ४८ लाख ४० हजार उसमें बढ़ाया गया है । इसका कारण यह है कि इमरजेन्सी के दौरान में बिल्डिंग्स में जो रिपेयर्स होती है वह दो साल के बाद होती है और इस मर्तबे उनकी मरम्मत की बारी है, इसलिये १०.३० लाख रुपया बढ़ गया है । २५ लाख रुपये का जो प्रोविजन है वह हैवी ट्रैफिक की वजह से किया गया है और जो डेमेजेज की रकम ३० लाख १३ हजार २ सौ थी उसको भी बढ़ा कर ५० लाख इस बजट में किया गया है । इस साल जो बजट का ईयर है उसमें ११,३८० मील मेटल्ड रोड्स हैं जिसमें नेशनल हाइवेज एक्सक्लूडेड हैं, ४९० मील सी०

[श्री जगनप्रसाद रावत]

सी० ट्रैक्स भी ऐक्सक्लूडेड हैं और ५७९ मील श्रमदान की रोड्स भी ऐक्सक्लूडेड हैं। ४,४२५ मील अन मेटेल्ड रोड्स भी ऐक्सक्लूडेड हैं। इसके अलावा ११,३८० मी० हैं इसको मेन्टेन करना है।

ओरिजिनल वर्क्स पर १९६४-६५ में ६६५ लाख ९८ हजार, बिल्डिंग्ज के कंस्ट्रक्शन के लिये रखा गया है जो ६३-६४ में ५०२ लाख ९२ हजार था। इसमें ४३३ लाख ४२ हजार की रकम प्लान बिल्डिंग्स के लिये और २३२ लाख ५६ हजार नान प्लान बिल्डिंग्स के लिये। तो यह रकम जो है ६६५ लाख ९८ हजार उसमें ७६ लाख ३५ हजार की वह रकम भी शामिल है जो नान-प्लान के लिये है और बाकी रुपया जो पुरानी बिल्डिंग्स बनाने के लिये जो शुरू की जा चुकी हैं उनको पूरा करने के लिये है। २४ लाख का प्रावीजन अगले साल के बजट में जो पैन्टून ब्रिजेज कुम्भ मेला में १९६६ में बनेंगे उनके लिये किया गया है। सड़क और पुलों के सम्बन्ध में ६३-६४ में ७३५ लाख ६ हजार की रकम थी। यह उम्मीद की जाती है कि इसमें ४०२ मील नई सड़कें और १२५ मील पुरानी सड़कों का सुधार और २३ पुलों का निर्माण इस फाइनेन्शल इयर के समाप्त होते होते खत्म हो जायेंगे। ७३१ लाख ३७ हजार की रकम ६४–६५ के लिये रखी गयी है। इसमें ६९ लाख ८२ हजार नान-प्लान वर्क्स ६६१ लाख ५५ हजार प्लान वर्क्स के लिये रखा गया है। उसका अधिकतर भाग जो काम चालू है उनको पूरा करने के लिये है। इस्टेबलिशटमेंट के सिलसिले में मैं यह निवेदन कर दूं कि ६४–६५ में हम जो काम करने का प्रारम्भ करने जा रहे हैं उनका अनुमान २३ करोड़ ८ लाख होगा। ६३–६४ में यह रकम १९ करोड़ ९२ लाख थी। तो यह काम इतना बढ़ गया है। इसलिये जो आपने पहले १९६३–६४ में १,३१,४०,००० रुपया मंजूर किया था वह अब १९६४–६५ में १,४१,६६,००० रुपया हो गया है। इस सारे एक्सपैन्डीचर का रेशियो ६.१ परसेन्ट आता है। यह हमारा रेशियो देश के और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम है। यह रेशियो राजस्थान में ७.४ परसेंट है, बिहार में ८·१ परसेन्ट आता है, आन्ध्र में ६·४ है, महाराष्ट्र में ४३·२९, पंजाब में ९·२, केराला में ८·८, मद्रास में ७·२ है और उत्तर प्रदेश में यह रेशियो ६·१ है जो सबसे कम है।

अब मैं उन कामों के सम्बन्ध में बतलादूं जो हमने किये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश में १०,०५१ मील पक्की सड़कें थीं। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने १४८३ मील नयी पक्की सड़कें बनाई। २,१०० मील मौजूदा सड़कों का सुधार करके आधुनिकीकरण किया और २६ पुल बनाये पहली योजना के अन्त तक। रोड माइलेज ११,५३४ मील हो गया। दूसरी योजना में २,२७६ मील नई पक्की सड़कें बनीं। २०२ मील पहाड़ी सड़क बनी। ८८ नये पुल बने। १,२०६ मील पुरानी सड़कों का सुधार किया गया। दूसरी योजना के अन्त तक रोड्स का माइलेज १४,४९७ मील हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो सालों में ६०९ मील नई सड़कें बनीं। ४९८ मील सड़कों का सुधार किया गया और ११ नये पुल बनाये गये। १९६३–६४ का जो लक्ष्य सड़कों का था वह ४०० मील था। और २३ पुल पूरे करने थे। हमको आशा है कि इस साल ४०२ मील पक्की सड़क हम पूरी कर लेंगे। जो २३ पुल बनने शुरू हुये थे उनको भी हम इस साल ट्रेफिक के लिये खोल देंगे। जो नया बजट साल आ रहा है इसके सिलसिले में २,१७१ मील हमको नयी रोड्स बनानी हैं। १,०६५ मील सड़कों का सुधार करना है। ७४ पुल और ८२० बिल्डिंग भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हमको पूरी करनी हैं। पुल और सड़कों की योजना तीसरी प्लान में जो हमको मिली है वह ६·५ करोड़ की हमको १९६४–६५ में करना है। आशा है ३०० मील नई सड़कों पर काम पूरा हो जायेगा और २५० मील पक्की सड़कों का सुधार भी हम कर लेंगे और १५ नये पुल अगले बजट साल में हम पूरा कर लेंगे.....।

(इस समय १२ बज कर ५३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्दराय, पीठासीन हुये।)

इसके अलावा ५० मील और दूसरी सड़कें भी हम पूरी करने की आशा रखते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० को कुछ और भी काम करने होते हैं जिसका खर्चा ५ करोड़ के लगभग है। डिपाजिट वर्क्स ५० लाख के नेशनल हाई वे में २१२ लाख खर्च करना है। रिहैबिलीटेशन में ३ लाख रुपया। फ्लैड कन्ट्रौल में ८० लाख रुपया। फैमिन रिलीफ में

५ लाख रुपया। रूरल मैन पावर योजना के अन्तर्गत १५० लाख। १९६२-६३ रूरल मैन पावर योजना में १ लाख ६१ हजार रुपया खर्च किया गया था और ६३-६४ में २१ लाख खर्च किया है। अब ६४-६५ में अभी तक हमको प्लानिंग डिपार्टमेंट से रकम नहीं मिली है लेकिन आशा यह है कि इस साल ज्यादा खर्च होगा। हमारे यहां पहले रिसर्च का काम होता था, उसी इंस्टीट्यूट में हम टेस्ट का काम करा लेते थे, यानी जो सामग्री पुलों और सड़कों पर लगती है उसका टेस्ट रिसर्च विभाग द्वारा कर लेते थे। लेकिन इस बीच में यह काम बढ़ गया, इसलिये इस काम के लिये एक नया विभाग खोला है जिसके जरिये से हम अपने और दूसरे विभागों का काम भी टेस्ट करायेंगे।

इसके अलावा वर्क चार्ज्ड इस्टेब्लिशमेंट में हमारे यहां लगभग २० हजार आदमी काम करते हैं। मुझे खेद है और मैं महसूस करता हूं कि उनकी हालत काफी कमजोर है, तनख्वाह कम है, उनके लिये रियायतें भी कम हैं। पिछले दिनों कुछ सुविधायें दी गयी थीं, जैसे त्योहारों के लिये १० दिन की छुट्टी, जो महीनावारी काम करते हैं उनको १४ दिन की कैजुअल लीव। उनमें रोलर, ड्राइवर, सी० सी०, मिक्सर, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि हैं। इनमें से १,०५१ व्यक्तियों को परमानेन्ट किया है।

हमारे यहां काम करने की एजेन्सी कंट्रेक्टर है। उसके सिलसिले में बहुत शिकायतें होती हैं। आमतौर से जनरल डिस्कशन में करप्शन और बहुत बातों की चर्चा हुई। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कंट्रेक्टर्स को पकड़-धकड़ करने से काम नहीं बनता, और जो सिस्टम है उसमें हम सुधार कर सकें तो उस करप्शन को रोका जा सकता है। विभाग भी सोच रहा है कि क्या व्यवस्था करें परन्तु उसके लिये समय की आवश्यकता है। अब माननीय सदस्य जो टीका करेंगे उससे हम लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन वह सिस्टम के सम्बन्ध में होनी चाहिये। ठेकेदारों के अलावा हम कुछ और एजेन्सीज को भी काम में ला रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटियां, लेबर यूनियंस, विलेज पंचायत, भारत सेवक समाज आदि। उसको प्रोत्साहित करने के लिये हर तरह का सहयोग देने के लिये तैयार हैं और आदेश जा चुके हैं कि भारत सेवक समाज के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेन्ट्रल यूनियन हैं उन से हम काम लें। जो डिस्ट्रिक्ट में यूनिट्स हैं उनको १ लाख तक का काम, स्टेट यूनिट्स को ५ लाख का और सेन्टर यूनिट्स को ५ लाख से अधिक का काम दिया जाय। इस सम्बन्ध में उनको सहूलियतें यह हैं कि सिक्योरिटी या अरनेस्ट मनी के सिलसिले में भारत सेवक समाज पर जोर न दिया जाय। वह जो टेंडर दें तो उन्हें काम करने से पहले एक चौथाई तक एडवान्स दे दिया जाय जितना काम हो उसके हिसाब से इंस्टालमेंन्ट्स में जो वह काम करते जायं उसके हिसाब से रुपया दिया जाय। एडवान्सें पहले इंस्टालमेंट में ५० फीसदी तक और जब काम खत्म हो जाय तो उसके बाद पूरा हिसाब दिया जाय।

इसके अलावा विभाग के द्वारा भी काम कराये जाते हैं सड़कों पर। इस मर्तबा दो पुलों पर भी काम कराया और उसमें बचत हुई। अब काम के सिलसिले में जो कठिनाइया होती हैं उसके बारे में मैं कुछ निवेदन कर दूं। वह दो तीन कारणों से होती हैं। एक तो कारण हमारे विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की इन-एफिशियेन्सी हो सकती है। इस कारण से जो देरी होती है उसका पूर्ण दायित्व हमारे ऊपर है और हम जहां तक संभव होगा इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

एक देरी जमीन न मिलने के कारण होती है। बिल्डिंग्स बनाने के लिये हमको दे दी जाती हैं मगर जमीन नहीं होती। उसके एक्वायर करने में हमको देरी होती है। मुकदमें और रिटें तक दायर हो जाती हैं। तो इसके कारण जो देरी होती है, उसमें हम बावजूद कोशिश के कुछ सफलता नहीं पा सकते।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

एक कारण यह है कि बहुत से विभाग हमको काम करने के लिये दे देते हैं, लेकिन बाद को वह अपना नक्शा वगैरह बनाते हैं और जमीन देते हैं। विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल भी मिलने में देरी हो जाती है। जमीन हाथ में आ जाय, और रुपया हाथ में आजाय, उसके बाद कोई देरी न हो, इस बात की हम कोशिश करेंगे।

इसमें बहुत कुछ काम टैक्निकल भी होता है। उसके लिये हमें टैक्निकल लोगों की जरूरत होती है। उसके लिये हमने यह किया है कि काम की संभावना को देखते हुये हम पहले से रिक्रूटमेंट करें और उनको उस काम की ट्रेनिंग दें। अपने इंजीनियर्स की योग्यता बढ़ाने के लिये हम यह भी कर रहेहैं कि उनको दूसरे प्रदेशों में भी जहां पर हम समझते हैं कोई नये किस्म का काम हो रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिये भेजते हैं। हर जगह इमारतों आदि के लिये नये-नये डिजाइन बनते हैं, उनको देखने के लिये हम उनको बाहर भेजते हैं।

अब एक प्रश्न करप्शन को रोकने का है। इस समय तक हमारे यहां एक ऐन्टी करप्शन कमेटी है जिसके चेयरमैन हमारे डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं तथा दो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर उसमें होते हैं। जो केसेज उनके सामने आते हैं वे उसकी जांच करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह काफी नहीं है। काम ज्यादा बढ़ने के कारण शिकायतें भी ज्यादा आती हैं। हम यह कोशिश करेंगे कि इस कमेटी को बढ़ायें या और कोई रास्ता निकालें।

इस सिलसिले में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक बार इस हाउस में यह कहा गया था कि यदि कोई माननीय सदस्य कोई शिकायत लिख कर देता है तो उसको पार्टी बना लिया जाता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे अगर कोई माननीय सदस्य शिकायत लिख कर देंगे तो मैं उसको पार्टी हरगिज नहीं बनाऊंगा, उसे मैं पर्सनल रिकार्ड में रखूंगा और केस का ऐक्सट्रैक्ट लेकर उसको जांच के लिये भेज दूंगा। उस से हम को यह पता लग सकेगा कि जिस सोर्स से शिकायत आई है वह कितनी वजनदार है। बहुत से एनोनीमस लेटर्स आते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं लगता कि किसने भेजा है। अगर जांच में कठिनाई होगी तो आप की मदद ली जा सकती है लेकिन यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटा जायगा। इस वजह से भी आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं कि आपका नाम मालूम होने पर जिसकी शिकायत है वह आपके पास दौड़ा न जाय और आप पर प्रेसर पड़े और आपको हो फिर से आना पड़े कि इसको माफ कर दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि आप जो शिकायत देंगे उसके सम्बन्ध में आप जो मदद दे सकेंगे वह भी हमें देंगे।

एक टैक्निकल आडिट सेल भी हमने क्रियेट की है। उसने भी कुछ काम किया है। १३१५ मामले जिनमें १६,८९,००० रुपयों का मामला था उसके सामने आये। चीफ टैक्निकल ऐक्जामिनर के पास १९५९ से १,९९४ मामले पहुंचे। ९७९ मामलों की जांच की जिन में १२,७०,००० रुपये का मामला था। इनमें से १,५०,००० रुपये के २२४ मामलों में कोई तथ्य नहीं पाया गया लेकिन ११,२०,००० रुपये के ७५५ मामले ऐसे हैं जिनको विभाग ने भी मंजूर किया। इसमें से २,८६,००० रुपया वसूल हो गया है, बाकी रुपया वसूल करने की कोशिश की जा रही है। टैक्निकल आडिट सेल वाले लोग स्थान-स्थान पर जा कर काम के सैंपिल लेते हैं, उसकी जांच करते हैं। अगर कहीं कमी होती है तो काम के रुपये में कटौती करते हैं।

इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नजदीक आ रही है उसको तैयार करने के लिये हमने एक वर्किंग ग्रुप एप्वाइंट किया है। उसमें पी० डब्लू० डी०, नियोजन और ट्रांसपोर्ट के लोग हैं। उनको हमने भिन्न-भिन्न काम दिये हैं। जैसे तीसरी प्लान को रिव्यू करना, डेटा तैयार करना, तीसरी प्लान में जो काम हुये हैं उनसे क्या कोई मदद चौथी योजना में ली जा सकती है, चौथी प्लान के बारे में वे प्रोपोजल लायें, ऐसे तरीके भी सजेस्ट करें जिससे काम में तेजी आ सके और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। उसके लिये प्रशासन में या कानूनी कोई हेर फेर करने हों तो वह भी सजेस्ट करें। उसकी कई सब कमेटीज बनायी गयी हैं, वे हमें अपनी रिपोर्ट देंगी।

इसके अलावा सरकार यह भी चाहती है कि जो हम सड़कों के नये काम करने वाले हैं उनमें जनता और माननीय सदस्यों की राय और सहयोग प्राप्त हो। मैंने माननीय सदस्यों से एक परिपत्र के द्वारा सुझाव मांगे हैं, उसके बाद जिला परिषदों से भी हम सलाह लेंगे और फिर विभाग के द्वारा जांच करायेंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि जिससे माननीय सदस्यों को यह शिकायत न हो कि काम आर्बीट्रेरिली हाथ में ले लिये जाते हैं। हम सब्जैक्टिव तरीके से कोई काम नहीं करना चाहते हैं बल्कि आब्जैक्टिव तरीके से जनता की राय से काम करना चाहते हैं। हम जनता की राय और काम की यूटिलिटी पर अधिक एम्फेसिस देना चाहते हैं।

इसके अलावा कुछ प्राथमिकता भी हमने दी है। जैसे एक दो सड़कें बढ़ाई जा रही हैं और एक छोटा टुकड़ा दोनों सड़कों को मिलाने के लिये बनाना जरूरी है तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये। कहीं पर एक कृषि का क्षेत्र है जहां गल्ला बहुत ज्यादा होता है। आज देश को गल्ले की जरूरत है तो वहां के लिये भी सड़कें जरूरी हैं। इस तरह से और भी प्राथमिकता दी है। ये सारी बातें उस परिपत्र में दी हैं। आपकी जानकारी के लिये एक छोटा सा प्रयास इस पुस्तिका द्वारा भी किया है जिसमें सूबे का नक्शा सन् ४७ से अब तक का दिया है और इस वर्ष हम क्या करने जा रहे हैं, उसका भी थोड़ा-सा संकेत इसमें दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करके इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, किसी देश की स्थिति का ज्ञान उसकी सड़कों को देख कर ही ठीक प्रकार से हो जाता है। वास्तव में किसी देश की समृद्धि और विकास का इतिहास उसकी सड़कों के निर्माण का इतिहास होता है। जैसे-जैसे सड़कों के निर्माण में वृद्धि होती है वैसे ही वैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, यातायात आदि की वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप राज्य की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ हो जाती है। परन्तु खेद है कि भारतवर्ष अन्य देशों की अपेक्षा सड़क निर्माण के कार्य में बहुत पीछे है और भारत में भी उत्तर प्रदेश कई अन्य राज्यों से बहुत अधिक पीछे है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं।

प्रति १०० वर्गमील क्षेत्र के लिये सड़कों की लम्बाई अमेरिका में १००, ब्रिटेन में २३०, फ्रांस में ३६० और जापान में ४२० है। अर्द्ध विकसित देशों में भी जैसे स्पेन और लंका में क्रमशः ४१ और ७१ है और भारत में केवल ३६ है। यदि प्रति एक लाख की जनसंख्या के आधार पर लें तो ब्रिटेन में ४१०, जापान में ६४१, फ्रांस में १,६८३ और अमेरिका में १९६३ है और अर्द्धविकसित देशों में––जैसे स्पेन और लंका में क्रमशः २६४ और १९६ है जबकि भारत में केवल ९४ है। यदि उत्तर प्रदेश की स्थिति को अन्य राज्यों से मुकाबिला करें तो प्रति १०० वर्ग मील के आधार पर सड़कों की लम्बाई मद्रास में ५९, बिहार में ७५, केरल में ८२, पश्चिमी बंगाल में ११९ और उत्तर प्रदेश में ५२ है। हमारा राज्य इस अर्थ में मद्रास और बिहार से भी पीछे है। यदि प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर लें तो हमारे प्रदेश का नम्बर सारे भारत में आठवां आता है और यह राजस्थान और उड़ीसा से भी बहुत पीछे रह जाता है।

श्रीमन्, १९४३ में नागपुर में मुख्य अभियन्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें एक योजना बनायी गयी थी कि एक कृषि विकसित क्षेत्र के प्रत्येक गांव से पक्की सड़क की दूरी ५ मील होगी। पहले इसकी अवधि कम रखी गयी थी लेकिन बाद में बढ़ा दी गयी। सन् १९६१ तक भारत के अन्य राज्यों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया परन्तु जब कि हमें १६,५५३ मील सड़क का निर्माण करना था, हम केवल १४,५०० मील सड़क ही तैयार कर सके और करीब

[श्री बसंतसिंह]

२ हजार मील नहीं बना सके। फिर जब बम्बई में दूसरी कांफ्रेंस हुई तो सन् ८३ तक के लिये योजना बनायी गयी । उसके अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले ४,५०० मील का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसके बाद कुछ कारणों से यह लक्ष्य १,६०० मील रखा गया लेकिन जैसा कि सरकार बताती है तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल १,४४० मील सड़क ही निर्मित हो सकेगी। इस तरह से अगर हम अपने राज्य की दूसरे राज्यों से तुलना करें तो हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५,००० मील सड़क कम बना पायेंगे। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सड़क निर्माण के काम में इतने पीछे हैं फिर भी जहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६.५ प्रतिशत योजना का धन रखा गया था उसे घटा कर ३.५ तृतीय योजना में कर दिया गया।

सड़कों के अभाव के कारण रोड ट्रांसपोर्ट में यू० पी० पिछड़ा हुआ है और राज्य की बहुत कम आय इससे होती है। सारे भारत में यू० पी० का आठवां नम्बर है, पहला पश्चिमी बंगाल का है और प्रति यूनिट के हिसाब से वेहिकिल्स की संख्या में हमारा १३ वां स्थान है और १,८०० व्यक्तियों के पीछे एक मोटर वेहिकिल्स पड़ता है। इससे हमारी आर्थिक अवस्था पर बड़ा गहरा धक्का लगा है। बढ़ते हुये औद्योगीकरण की अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यातायात पूर्णतः असमर्थ रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३३ करोड़ टन का ट्रेफिक और बढ़ जायगा और सुरक्षा के कारण इससे ३८ करोड़ टन तक बढ़ने की सम्भावना है। रेल द्वारा केवल २६ करोड़ टन ढोया जा सकेगा। सड़कों और इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ४ करोड़ टन। इस प्रकार ८ करोड़ टन ट्रेफिक के लिये कमी बनी रहेगी। यू० पी० में इसका काफी भाग पड़ता है क्योंकि यह सीमा पर स्थित है और सुरक्षा का ट्रेफिक इसे ही काफी वहन करना है।

इसके अलावा हमारी सड़कों में काफी दोष हैं। हमारा सूबा सड़कों के निर्माण कार्य में ही पीछे नहीं है बल्कि सड़कों की पुख्तगी में भी पीछे है। राज्य की अधिकतर सड़कें सब स्टेंडर्ड सरफेस की हैं। वे डीजेल ट्रेफिक के लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं। वे आटोमोबाइल्स के भार को अधिक दिन तक वहन नहीं कर सकतीं और जल्द ही मरम्मत के काबिल हो जाती हैं। राज्य में ६ हजार मील लम्बी कंकड़ की सड़कें हैं। यदि उन्हें ठीक न किया गया तो वे शीघ्र ही कच्ची सड़कों से भी बदतर हो जावेंगी। अच्छी सड़कों के होने से ट्रान्सपोर्ट के ईंधन या फयूअल में २५ प्रतिशत तक तथा वीयर और टीयर में ६० से ७० प्रतिशत तक की बचत हो सकती है। खराब सड़कों के कारण सारे देश की करीब ६० करोड़ की प्रति वर्ष हानि हो रही है। दूसरा दोष हमारी सड़कों का यह है कि वह चौड़ी कम हैं। उन्हें टू लैन कैरिज वे बनाने के लिये कम से कम २२ फुट चौड़ा होना चाहिये। तीसरे मिसिंग लिंकस को भी जोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर सड़क हों और नदियों पर पुल न बनाये जायं तो सड़क का बनना ही निरर्थक हो जाता है। वह इस्तेमाल नहीं हो सकतीं और उनका लाभ नहीं उठाया जा सकता। बढ़ते हुये ट्रैफिक के कारण ओवर ब्रिजेज और ग्रेड सेपरेशन की समस्या बड़ी एक्यूट होती जा रही है। इसके कारण ट्रेफिक डिटेल्स का एसेसमेंट किया जाना चाहिये। सेपरेट रोड ब्रिजेज और ओवरब्रिजेज का निर्माण किया जाय जैसे मुरादा बाद में रामगंगा के रेल-कम रोड ब्रिज के लिये तथा मुरादाबाद---चन्दौसी--सम्भल लाइन के रेल रोड क्रासिंग पर।

इसके अतिरिक्त पूर्वी जिलों में विशेषकर गोरखपुर, गोंडा, बहराइच में पेरीनियल लिन्क की आवश्यकता है। लखनऊ से बिहार बोर्डर के लिये नेशनल हाईवे केवल खुश्क मौसम में ही खुला रहता है उसे सब मौसमों के योग्य बनाया जाय। कुछ पुल पुराने और कमजोर हैं उन्हें मजबूत बनाने या फिर से बनाने की आवश्यकता है अगर कमजोर हैं तो गिरा कर बनाये जायं।

श्रीमन्, यह विभाग भवनों का निर्माण भी कराता है। उसके टेक्निकल दोषों की तरफ न जाकर, समयाभाव के कारण, केवल इतना कहना पर्याप्त समझता हूं कि यदि इन भवनों के बनने के बाद इनको कोई टैक्निकल एक्सपर्ट देखे तो एक मात्र गिरा देने का आदेश ही जारी किया जायेगा। यही हालत है हमारी सड़कों की। मेटीरियल चोरी किया जाता है चाहे कोयला

हो, सीमेंट हो, कोलतार हो या लोहा हो। यह सब बाजार में बेंच दिया जाता है। इस पर कठोर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि दिल्ली की तरह से हमारे प्रदेश में एक रोड रिसर्च इन्स्टीटचूट कायम किया गया है। जो कार्य दिल्ली के इन्स्टीटचूट में किए जा रहे हैं उसी प्रकार से इसमें भी किए जा रहे हैं।

आज हमारे प्रदेश में भी स्वायल स्टेबिलाइजेशन के ज्ञान की बहुत जरूरत है। सड़क के बेस को मजबूत बनाना है क्योंकि आज यह जरूरी नहीं है कि ७–९ इंच की मोटी सड़कें डीजल के ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सकें। आधुनिक रिसर्च के अनुसार यदि उनको २०–२५ इंच मोटा किया जाय तो इसके लिए बहुत खर्चे की आवश्यकता होगी। आवश्यक है इस ज्ञान प्राप्ति के निमित्त इंजीनियरों को दिल्ली रिसर्च इन्स्टीटचूट में रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाय। जो रिपोर्ट मिली है उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो लाभदायक हैं लेकिन व्यवहार में देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह लिख देने तक ही सीमित है। हमारे दूसरे प्रदेश इन खोजों से लाभ उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि रोड रिसर्च इन्स्टीटचूट जो दिल्ली में है हमारे प्रदेश से उसमें कितने लोग भेजे गये और कहां तक उन खोजों का इस्तेमाल किया गया और उस प्रयोग को अपने प्रदेश में किस हद तक लागू किया।

मैं यह चाहता हूं कि जो हमारी लेबोरेटीज में रिसर्च हो उसका विभाग से कोआर्डिनेशन किया जाय। अगर हमारे यहां कोई लेबोरेटरी हो और उससे हम प्रैक्टिकल लाभ नहीं उठाते तो उससे कोई अच्छी बात पैदा नहीं होती।

श्रीमन्, ग्रामीण सड़कों के लिए यह जरूरी है कि वहां स्टैन्डर्ड क्रास ड्रेनेज की व्यवस्था की जाय। इस व्यवस्था के अभाव में मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और साथ ही साथ फसल की बरबादी हो जाती है। इस सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूं कि वहां पर कोलोनाइजेशन के अन्तर्गत जो मीरापुर के निकट सड़क बनी है उसमें अच्छा ड्रेनेज न होने के कारण कई गांवों को परेशानी होती है। मैंने उसके बारे में सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है। देखभाल के लिए अधिकारी भी गये थे परन्तु २ साल बाद भी कोई इन्तजाम नहीं हुआ। सड़कों के निर्माण की जब इतनी महती आवश्यकता है तो हमारी जो आगामी योजनाएं हैं उन पर उन्हें पूरा करने के लिए २०० करोड़ रुपये का व्यय होगा। रोड से हमें कुछ साधन मिल पाते हैं मोटर आपरेटर्स के द्वारा। विकास के लिए और आज की इमरजेंसी में तो सुरक्षा के लिए बोर्डर स्टेट होने के नाते हमारे प्रदेश की सड़कों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। ऐसी दशा में साधन जुटाने के लिए पुलों पर भी लैवी लगा दी जाय। इसके लिए उन सब वेहीकिल्स पर, जो सड़कें इस्तेमाल करती हैं, टैक्स लगाया जाय।

इस विभाग में प्रशासकीय तब्दीलियां करना भी बहुत आवश्यक है। मैंने प्राक्कलन समिति की प्रथम रिपोर्ट को पढ़ा। उसमें कहा गया था कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का पद बिलकुल बेकार है। उसको अविलम्ब तोड़ा जाय। विभाग ने अपना कुछ स्पष्टीकरण दिया। कहा कि कुछ प्राविधिक कारणों से इस पद की आवश्यकता है कोआर्डिनेशन करने के लिए एक सर्किल की। परन्तु वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरे विचार में उसके अधिकार क्षेत्र के स्थान पर इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया जाय तो काफी खर्चा बच सकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने करप्शन दूर करने की ओर ध्यान दिया और आश्वासन दिया कि वह सचेष्ट हैं कि करप्शन दूर किया जाय। वास्तव में सभी सोचते हैं कि करप्शन दूर किया जाय लेकिन दूर हो किस तरह से? इसके लिये हमारे पास सुझाव आने चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि जो भी काम किये जायं उनके लिये स्टैन्डर्ड बनाये जायं और विभाग ही उनको पूरा करे। शुरू में ठेकेदारी प्रथा एकदम समाप्त नहीं की जा सकती। इस करप्शन का एकमात्र कारण ठेकेदारी प्रथा ही है और देश ने उसे समाप्त करने के लिये कदम भी उठाया है। विभाग के कर्मचारी परसेंटेज तय कर लेते हैं ठेकेदारों से और उनकी स्वयं की

[श्री बसन्तसिंह]

कोई जिम्मेदारी न होकर सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की हो जाती है। जो काम कराया जाता है उसके देखने के लिये एक कमेटी बनायी जाय। मैं नहीं समझता कि कोई टेक्निकल एक्सपर्टस की कमेटी है जो इस बात की जांच करती हो। साधारण आदमी भी किसी सड़क या भवन को देख कर बतला सकता है कि जितना मेटीरियल उसमें लगना चाहिये था वह नहीं लगा है। इस तरह कोई टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी विद्यमान है इसे मैं नहीं मानता। जो कमेटी बनाई जाय उस कमेटी में जन प्रतिनिधि भी हों और फिर दोनों मिल कर देखें कि अपेक्षित मैटीरियल लगा है या नहीं। जितने पुल, इमारतें बन रहीं हैं इनमें रद्दी ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी कारण निर्माण के थोड़े दिनों बाद ही मरम्मत की जरूरत पड़ने लगती है। आज से हजारों वर्ष पहले जो इमारतें बनी थीं क्या उस तरह की इमारत आज के टेक्निकल डेवलपमेंट के युग में बन रही हैं? इसलिये नहीं बन रही हैं कि वैसा मेटीरियल नहीं लगाया जाता। इसलिये ठेकेदारी को आप पहले समाप्त करें क्योंकि करप्शन का मूल कारण वही है।

किसी भवन या रोड का जब एस्टिमेंट बनता है तो उसकी आयु भी बतलाई जाय और विभाग का कर्मचारी जो उसको सुपरवाइज करे उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिये। कह दिया जाता है कि लैंड खराब था तो स्वायल कम्पेक्ट करने की भी जिम्मेदारी विभाग की होनी चाहिये। डेम्स पर रुपया खर्च करने के बाद कह दिया जाता है कि जमीन खराब थी इसलिये क्रेक हो गया तो यह सब बहानेबाजी है जब कि इतने टेक्निकल साधन उपलब्ध हैं कि हजारों फीट नीचे की हालात मालूम किये जा सकते हैं। इस सबका उत्तरदायित्व विभाग पर होना चाहिए, कानून में परिवर्तन करना पड़े तो किया जाय और सजा मुकर्रर की जाय उन अधिकारियों के लिए जिन को उसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाय वरना करप्शन रुक नहीं सकता।

मैं इस विभाग के कर्मचारियों के रवैये के बारे में भी कहना चाहता हूं। जब अंग्रेज हिन्दुस्तानियों को इंजीनियर बनाता था तो उसको इस तरह का इन्सान बना देता था कि वह जनता से ऊपर रहे और साहब के रूप में भूत जैसा लगे। आज भी वही प्रणाली हमारे विद्यालयों में जारी है, वही साहबी दिमाग का आदमी बनता है। अगर उसके दिमाग में परिवर्तन नहीं हुआ तो योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं। अधिकारियों का दिमाग आज इस तरह का है कि उनका रवैया छोटे कर्मचारियों के साथ बड़ा ही निन्दनीय है। मैं समझता हूं वह उस जमाने में रह रहे हैं जब दास प्रथा थी। वर्क चार्ज के कर्मचारी अगर उनका प्राइवेट काम न करें तो उनको निकाल दिया जाता है। मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों को परमानेंट कर दिया गया है। मैं पूछता हूं कि जब आपको रख-रखाव के लिये आदमी चाहिये तो जो लोग ३०, ४० साल से काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं स्थायी किया जाता। आप कहेंगे कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो कानून बदला जा सकता है जब हम संविधान को बदल सकते हैं। इसलिये जरूरी है कि उनको स्थायी किया जाये। ३५ रुपये पाने वाले मजदूर को बेकारी और दास प्रथा का प्रतीक बनाया जाय यह शोभा नहीं देता। स्वतन्त्र देश में उसको भी अहसास होना चाहिये कि वह स्वतंत्र देश का नागरिक है। वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता था मुझे मालूम हुआ कि हाफिज जी के समय तक तो वह दिया जाता रहा, उसके बाद वह भी बन्द कर दिया गया। आप बतायें इस महंगाई के जमाने में कैसे इतनी कम तनख्वाह में एक इनसान काम कर सकता है। आपने ८५० रुपया वेतन पाने वालों के लिये तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है लेकिन ३५ या ४० पाने वाले को स्थायी भी नहीं कर सकते और न उसका महंगाई भत्ता ही बढ़ाया। अगर वह लोग अधिकारियों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करें तो उन्हें निकाल दिया जाता है। इसलिये इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उनको अविलम्ब स्थायी किया जाय।

विभाग में वर्कशाप्स हैं लेकिन देखा जाता है कि काम बाहर से कराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे काम हैं जो वर्कशाप्स में नहीं कराये जा सकते? अगर इस नेचर के हैं तो जरूर बाहर से कराये जायं। लेकिन सिर्फ पैसे का गोलमाल करने के लिये ऐसा न किया जाय। मंत्री जी इसकी जांच करें।

परिवहन की कुछ गाड़ियां हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है और ऐसा बताया गया है कि यदि सामान ले जाने का काम किराये पर कराया जाता तो सस्ता पड़ता। तो फिर गाड़ियां रखने का औचित्य क्या है ? प्राक्कलन कमेटी की रिपोर्ट है कि मुख्यालय पर सरकारी गाड़ियां न दी जायं क्योंकि उनका दुरुपयोग होता है। काम को देर से करने के बारे में मंत्री जी ने मजबूरी जाहिर की कि लैंड ऐक्वीजीशन का काम उनके बस की बात नहीं है। लेकिन एक दिक्कत और है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर ३१ मार्च को समाप्त होता है। बजट में जो धन निर्धारित होता है उसकी सूचना डिवीजन तक मई-जून तक पहुंचती है। उसके बाद टेंडर वगैरह मांगे जाते हैं। फिर बरसात आ जाती है। नवम्बर से काम शुरू होता है और इस प्रकार मार्च तक पांच महीने कुल मिल पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि कोई धन जब पास हो जाय तो जो सर्किल्स हैं उनको उसे यूटिलाइज करने का अधिकार प्राप्त हो जाय और उसके लिए यहां से स्वीकृति देने की जरूरत न हो। जो अर्थ वर्क किया जाय बरसात से पहले ही पहले हायर एथारिटीज द्वारा उसकी चेकिंग हो जाय क्योंकि बरसात के बाद तो उसकी चेकिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए अर्थ वर्क के बारे में इस बात के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आयोजना आयोग ने यह शिकायत की है कि जो रुपया जिस काम के लिए निर्धारित किया जाता है वह उस काम में नहीं लगाया जाता। यह नितान्त आवश्यक है कि जिस चीज की ग्रान्ट हो उसी में लगायी जाय।

करप्शन दूर करने के लिए मंत्री जी ने कहा कि वे विचार कर रहे हैं कि ठेके भारत सेवक समाज को दिये जायं और कुछ कोआपरेटिव संस्थाओं को दिये जायं। ऐसा करने से कोई करप्शन नहीं रुकेगा। मैं कहता हूं कि भारत सेवक समाज खुद एक करप्शन का अड्डा है। इसके द्वारा जो कैम्प लगते हैं वे फर्जी होते हैं और उनके नाम पर जितना रुपया लिया जाता है वह सब बेकार जाता है। मैं कुछ ईमानदार आदमियों को चैलेंज नहीं करता। हो सकता है कि कुछ आदमी उसमें ऐसे भी हों जो केवल सेवा करने के लिए जुटे हों लेकिन अधिकांश व्यक्ति करप्ट ही हैं। इसलिए अगर भारत सेवक समाज को ठेका दिया गया तो और भी भयंकर करप्शन होगा। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि कुछ कार्य तो विभाग द्वारा कराये जायं, उसके लिए विभाग की जिम्मेदारी हो। बाकी जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं जो अपनी मशीनें वगैरह रखती हैं और यदि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि उन कार्यों को इतनी जल्दी हाथ में लेकर कर सकें तो वह उनको दिया जाय और उसकी चेकिंग करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय टेकनिकल एक्सपर्ट्स की। उस कार्य का पेमेंट तभी हो जब वह कमेटी उसको अप्रूव कर दे।

माननीय मंत्री जी को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने कुछ कदम ऐसे उठाये हैं कि जिनसे यह भावना प्रकट होती है कि वह सुधार करना चाहते हैं। मैंने उस पेम्फलेट को पढ़ा जिसको मंत्री महोदय ने सदस्यों के पास भेजा। यह बड़ी अच्छी भावना है। लेकिन इतना निवेदन करना मैं आवश्यक समझता हूं कि जो प्रदेश की इस समय स्थिति है, जो गुटबन्दी की स्थिति है अगर वह उससे ऊपर उठ कर काम लेंगे तभी सम्भव है कि अपनी उस बात को वह कायम रख सकें। अन्यथा अगर किसी की कोई शिकायत आयी और वह दूसरे आदमी के पास पहुंच गया, मामला दबा दिया गया तो इससे कोई सुधार नहीं होगा। लिहाजा यह जरूरी है कि जो भावना उन्होंने प्रकट की उसको वह आगे भी बनाये रखें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पब्लिक वर्क्स विभाग का नेतृत्व हमारे जगनप्रसाद जी रावत साहब कर रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि जो कमियां और खामियां उनकी नजर में आयेंगी उनको दूर करने का अवश्य प्रयास किया जायगा। मैं सबसे पहले सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं और ईमानदारी के साथ कह सकता हूं और दावा कर सकता हूं

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इस बात का, कि किसी कौम के विकास के इतिहास को पढ़ कर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि टुकड़खोरों ने, अवसरवादियों ने व चापलूसों ने कभी किसी राष्ट्र के इतिहास को नहीं बनाया, कभी किसी राष्ट्र का विकास नहीं किया। अगर हम चाहते हैं अपने देश को ऊंचा उठाना, अगर हम चाहते हैं मुल्क के अन्दर इत्तिहाद पैदा करना, अगर हम चाहते हैं सारी जनता का पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट ऐक्टिविटीज में आकर्षित करना, उनको अट्रेक्ट करना, तो नितान्त आवश्यक है कि जितने ये अवसरवादी लोग हैं जिनका जमघट पदधारियों के यहां होता है, जो उनके चारों ओर मंडराया करते हैं, मक्खियों की तरह भिनभिनाया करते हैं, उनको दूर रखा जाय। जब तक हम स्पष्ट और शुद्ध तरीके से अपने कार्य का संचालन नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे मुल्क के लोगों ने अपने उस रवैये से अवसरवादियों को मुंह लगा कर मुल्क के अन्दर अव्यवस्था पैदा की है। मुझे बड़ा खेद होता है कि उसने हमारे राष्ट्र का मारल डाउन कर दिया है। लोग चाहते हैं कि हमारे पास आयें, उनके पांव छुवें, माथा टेकें, उनके पांव दबावें और तब उनका काम हो सके लानत है उस देश पर और उस देश के पढ़े हुये लोगों की बुद्धि पर जो इस प्रकार की कार्यवाहियों को तरजीह देकर मुल्क और कौम के नवजवानों और उनके स्वाभिमान को पददलित करते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा निहायत अदब से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह सरकार तभी सफल हो सकती है जब कि हमारे माननीय सदस्य और हमारी जनता सरकार का साथ दे। अगर सरकार अपने कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ाना चाहती है और जनता पीछे रह जाती है तो मैं समझता हूं कि वह सरकार कभी उस मुल्क में टिक नहीं सकती। जिस सरकार के प्रति जनता का सहयोग नहीं है, जो सरकार उनके दिलों दिमाग से उतर जाती है वह सरकार जिन्दा रह नहीं सकती। इसलिये अगर आपको और हमको इस मुल्क की सरकार को जिन्दा रखना है, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें निहायत स्पष्टता के साथ काम लेना पड़ेगा। हमें पूर्ण आशा है कि हम सब इसमें सरकार का सहयोग करेंगे। हमारे चीफ इंजीनियर साहब बहुत पुराने अनुभवशील व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी सर्विस के पहले-पहले साल पहाड़ों में गुजारे हैं। उनको अनुभव है कि कोटद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक एक लकीर खिंची है। हमारे विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी, श्री दामोदरदास अग्रवाल, भी वहां गये थे उन्होंने देखा कि वहां सड़कें बहुत कम हैं। जब तक यातायात के साधन मुल्क के अन्दर नहीं होंगे तब तक राजनीतिक, सामाजिक उत्थान और सोशल जस्टिस की बात करना बिल्कुल खोखली बात है। अगर आप वहां के लोगों की सभ्यता और संस्कृति के केन्द्रों से उनका सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं और अगर प्रगति के प्रकाशमान कदमों से उनको अवगत कराना चाहते हैं तो बिना यातायात के पूर्ण साधनों के वह रोशनी वहां नहीं पहुंचाई जा सकती।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद मुल्क का निर्माण करने के लिये सरकारी खजाने में इतनी ताकत नहीं थी कि वह विकास के कार्यों में देश को आगे बढ़ा सकती तो यह योजना की गयी कि वालन्टरी लेबर के द्वारा जनता की तकलीफात को दूर करने के लिये जनता खुद योगदान करे। मुल्क वालों ने चारो ओर से हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ कुदाल, फरुवा और गैंती उठा कर पहाड़ों के चट्टानों को तोड़ने की कोशिश की। आप समझते होंगे कि मैं यह बात शेखचिल्ली की कह रहा हूं लेकिन जिन्होंने जनजागृति के बढ़ते हुए कदमों को देखा नहीं है मैं समझता हूं कि वे अपने साथ और मुल्क के साथ न्याय करने वाले नहीं हैं। मैं उनको बताऊं कि हजारों की तादाद में बुढ़िये, बच्चे और नौजवान औरतें और मर्दों ने अपने घरों को छोड़ कर रात दिन पहाड़ों के चट्टानों को तोड़ कर पथ का निर्माण किया और कई मील तक उन्होंने उस मार्ग का निर्माण किया। मैंने पंडित नेहरू को दरख्वास्त दी कि इस जनश्रम में लगे हुये लोगों के परिश्रम से सड़कों के तैयार किये जाने के बाद भी उन्हें वहां पहाड़ के रेनी सीजन की मरसी पर छोड़ दिया गया है जहां मूसलाधार पानी बरसता है और बरसात में पी० डब्ल्यू० डी० की पक्की सड़क दो मिनट में हजम हो जाती है। मैं दिमाग-

वालों से पूछना चाहता हूं कि जब पक्की सड़कों का यह हाल है तो बरसात गुजरने पर श्रमदान की इन कच्ची सड़कों का क्या हाल होगा, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। जनता ने श्रमदान दिया। सपोली बांघाट-पौड़ी से जो सड़क जाती है उसको चीफ इंजीनियर ने देखा है। जिस वक्त वह जिला इंजीनियर थे उस वक्त उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसको नापा है। वह कहीं पर १० फुट, कहीं पर ९ फुट और कहीं पर ६ फुट चौड़ी थी। जनता ने उसको मोटरेबिल बनाकर ठीक किया है जो सब जगह अब १८ फुट, २२ फुट चौड़ी है। इसी प्रकार से पौड़ी-देव प्रयाग सड़क जनता ने अपने श्रमदान से मोटरेबिल बनायी है। मुझे अफसोस है कि जब जनता अपने श्रमदान से सड़क को तैयार करती है और सरकार उसको सम्भालने का प्रयास नहीं करती तो जनता का दिल टूट जाता है और फिर वह श्रमदान देने के नाम पर थूकने लगती है और कहती है कि हमारी शक्ति को नष्ट कर दिया गया, कहीं दूसरी जगह काम करते तो कुछ लाभ होता।

आज के जमाने में खाने पीने की कमी है और कीमतें बढ़ती जा रही हैं और पहाड़ी इलाके में खासकर कुमायूं डिवीजन में गल्ले की बहुत कमी है। वहां पर प्लेन के जिलों से गल्ला जाता है। अगर यहां से सप्लाई बन्द हो जाय तो वे लोग भूखे मर जायं। वहां के लोग बाप दादा के जमाने से शरणार्थी हैं और इसी हालत में पहाड़ की चट्टानों पर बसे हुए अपनी जिन्दगी बशर करते हैं। हमारी सरकार ने पाकिस्तान से आये हुए लोगों की व्यवस्था करने का प्रयास किया लेकिन जो सदियों से इस देश में शरणार्थी हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिये। मैं स्पष्ट बतलाना चाहता हुं कि मानवीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में जहां शांति में बुद्धिमता से सरकारों ने काम लिया है वहां पर शांति के अन्दर ज्वाला मुखी भी छिपी रहती है। जब इन्सान परेशान हो जाता है और जिन्दगी से ऊब जाता है और जब वह देखता है कि मुल्क की हकूमत जो इन्साफ का दावा करती है वह लोगों के साथ इन्साफ करने से आंख मूदती है और कानून बनाकर वह चाहती है कि मुल्क की आवाज को रोका जाय, गरीबों की आवाज को और मुफलिसों की आवाज को सुना नहीं जाता है तो उस समय वह इस बात को सहन नहीं कर सकती। क्या सरकार यह बरदाश्त नहीं कर सकती कि जिन लोगों को इस तरह से इगनोर किया गया है उनकी चिल्लाहट को सुना जा सके। यह बेरहमी है और बेइन्साफी है और यह इन्सानियत का बर्ताव नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर निगाह रखें और देखना चाहिये कि झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा के शहरों से भी पिछड़ी हुई दशा पहाड़ की है जिसको देखना बहुत जरूरी है। सरकार ने कहा है कि पिछड़े इलाकों का ख्याल अवश्य करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि कम से कम जो श्रमदान के द्वारा काम हुआ है उसको अपने संरक्षण में ले और लोगों को यातायात की सुविधा दे।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सड़कों के निर्माण पर समय दिया। आगरे के संबंध में मुझे यह कहना है कि जो १५ वर्ष में पुरानी सड़कें थीं। उन सब का अभी तक नम्बर नहीं आया। तीसरी योजना के पिछले दो वर्ष में ३३१ मील तथा पक्की सड़कों का निर्माण कराया गया और यातायात चालू हो गया। चालू वर्ष में ४०२ मील लम्बी सड़कों का निर्माण और किया जायगा। एक सड़क है नाऊ की सड़क से जलेसर और एटा जाने वाली वह सड़क कम से कम ४००-३०० वर्ष पुरानी है, शाह जहांगीर के जमाने की है, उस पर यातायात काफी रहता है। कुछ दिन पहले माननीय निर्माण मंत्री को उसी के करीब गांव में दौरा करने का मौका मिला। उनको मालूम होगा मुड़ी-जहांगीरपुर जो जहांगीर ने बनवाया था उस पर इतने गड्ढे हो गये कि मौसा के पास उनको कार रोकनी पड़ी। उस सड़क का अगर निर्माण हो गया तो हजारों आदमियों के जी जान की सुरक्षा हो सकती है। वहां से आगरे को सीधा यातायात है। उससे व्यापार करने वाले व्यक्ति आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरी सड़क ऐतमादपुर तहसील के दरवाजे

[श्री शिवचरण]

से बहरामपुर खड़ौली, कांधली, मथुरा जाती है, वह भी जहांगीर के जमाने की है, वहां तीर्थ स्थान बलदाऊ जी का है जहां के लिये हर पूनों को यातायात रहता है। तीसरी ऐतमाद पुर जाने वाली नाला बीच, नारकी, कोटला होती हुई मैनपुरी जाती है। इन सब को अवश्य-बनवाने की कृपा करें। एक फिरोजाबाद से बछिगांव होती हुई जलेसर जाती है, पुरानी है। अगर बन जाय तो जनता सुखी रहेगी। एक मेरे पास लिखित आया है कि स्याना-बुगरास बुलन्दशहर की है, जो बननी जरूर चाहिये।

सड़कों के निर्माण का नक्शा है तकरीरों में तस्वीरों में,
निर्माण हुआ है कागज पर तामीर हुई तहरीरों में।
सड़कों के निर्माण करने वालों पर अब टूट पड़ा है धन कैसा,
इतने उजले कपड़ों में इतना मैला मन कैसा।
जिनको सड़क बनानी थी देहातों में वह ऐश के मारे सोते हैं,
शहरों के तारे हंसते हैं, गांवों के सितारे रोते हैं।

तो मैं अपील करूंगा कि इस ओर आप अवश्य ध्यान दें। इसलिये अन्त में मेरा निवेदन है कि मैंने जो सड़कें बतायी हैं उनकी ओर माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे यहां देहातों की हालत बड़ी शोचनीय है। इसलिये यह जरूरी हो गया कि मैं अपने यहां के बारे में कुछ निवेदन करूं।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना जब बनी, जिलों-जिलों में मीटिंग करके, जिला परिषदों वगैरह में विचार करके, एक सम्मति से हमने प्रस्ताव भेजे कि कहां-कहां पर सड़कें होना चाहिये और कहां-कहां पर पुल होना चाहिये। वह प्रस्ताव हमारे यहां से आये, मगर न जाने कैसे यहां आकर वह काट दिये गये।

अब मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। मेरा एक सुझाव यह है कि देहातों में अपने परिश्रम से जिन लोगों ने दिन रात एक करके सड़कों को बनाया है उनको आप पक्का करा दीजिये या तो आप उनको पक्का कराइये, वरना उनसे श्रमदान करने के लिये कहिये मत। यह बड़े दुख की बात है कि वह लोग मेहनत करके अपने श्रम से कोई काम को करते हैं और सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती। शहरों में तो आप रोज-रोज सड़कें बनाते चले जाते हैं, मगर देहात की तरफ आपकी नजर नहीं जाती। मेरे क्षेत्र में ८ वर्ष पूर्व जो एक सड़क श्रमदान द्वारा लोगों ने बनायी थी, वह आज तक पक्की नहीं हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार उसको तुरन्त पक्की कराये। यह मोदीनगर—धौलनी सड़क है, इस पर सरकार ध्यान दे।

एक सड़क और है जो खदरा से जाती है। वहां के निवासी बहुत परेशान हैं। इस सड़क को भी सरकार को पक्की कराना चाहिये।

इसके अलावा एक और सुझाव मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह जो आपके यहां सीमेन्ट और कोयले के बड़े-बड़े स्टाक जमा किये जाते हैं, और जनता को वह नहीं दिये जाते, यह ठीक नहीं है। जितना कोयला जाता है वह सब भाइयों की जेब में जाता है, प्लानिंग का काम होता है तो पी० डब्ल्यू० डी० को क्या जरूरत है कि वह उसके स्टाक को रखे। सरकार इसे देखे और जहां जरूरत हो वहां कोयला और सीमेन्ट भिजवाये। जो स्टाक वहां जमा है वह जनता को नहीं मिल रहे हैं। इस ओर सरकार का ध्यान देना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, एक तरफ तो मकानों के लिये ईटा नहीं है लेकिन दूसरी तरफ सड़कों में ईंटा लगाया जा रहा है। वहां तो पत्थर भी लगाया जा सकता है। अगर पत्थर लगाने में विभाग को कोई दिक्कत न हो तो ईटों को वह मकानों के लिये छोड़ दें। इस बात पर विचार किया जाय।

पी० डब्ल्यू०डी० का बहुत सा सीमेन्ट ब्लैक में जाता है और जनता को मिलता नहीं है। अगर कामों पर ठीक सीमेन्ट लगता है तो ब्लैक में कहां से आता है ? इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों की सोसाइटीज को ठेका देने के लिए कहा था लेकिन आपने सोसाइटी वालों को काम नहीं दिया। आप उनसे सिक्योरिटी मांगते है, मजदूर सिक्योरिटी कहां से देंगे ? यह सरकार मालूम पड़ती है मजदूरों की नहीं पूंजीपतियों की है। कमीशन और न जाने कौन कौन सी गंदगी है जिनकी वजह से यह नहीं होने पाता है। आप हर एक जिले में ३-३, ४-४ मजदूरों की सोसाइटी बनाइये और उनको काम दीजिये, उनसे सिक्योरिटी न लीजिये। जिससे उनमें जाग्रति आये तथा वे समझें कि यह कल्याणकारी सरकार है। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो गरीब मजदूरों के साथ इंसाफ करने वाले नहीं हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान की मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव आदरणीय सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे अफसोस है कि मैं ऐसे विभाग पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं जिसका संबंध जन-जीवन से अधिक है। अगर सही तरीके से इसको चलाया जाय तो जनता को बहुत सुख और शांति मिल सकती है। आज हमारे सामने औद्योगीकरण का सवाल है, कृषि उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, किसानों को सही मूल्य मिलने का सवाल है, ग्रामीण विकास का सवाल है तथा आम आदमी को राहत मिलने वाली योजनाओं को चलाने का सवाल है। अगर विभाग का कार्य ठीक तरीके से चले तो यह इसमें बहुत सहायता कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज इस विभाग का कार्य ऐसे मंत्री के हाथ में है जिन पर हमें पूरा विश्वास है और हम समझते हैं कि वे इस विभाग को ठीक तरीके से चलाने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन आज तक यह विभाग जिस तरीके से चलता रहा, उसको किसी भी प्रकार ठीक नहीं कहा जा सकता।

हमारा प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और जब तक यातायात के साधन बढ़ाये नहीं जायेंगे तब तक जनता को राहत नसीब नहीं हो सकती, जो उसका हक है। आज बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से कि ग्रामीण यातायात के साधन सही नहीं है, सड़के व मार्ग ठीक नहीं है, देहातों में रहना पसन्द नहीं करते। आज देहातों की तरक्की रुकी पड़ी है क्योंकि वहां सड़कें ठीक नहीं है और इसकी वजह से किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता है। इसलिये आज सड़कों का होना और उनका तेजी से बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सड़कों का चौड़ा करना सड़कों की रिमार्डालिंग बिलकुल जरूरी नहीं है क्योंकि जो पैसा हम सड़कों को चौड़ा करने पर खर्च करते हैं उससे कुछ नयी सड़कें बनवा सकते है। हमारे प्रदेश में जितनी नयी सड़कें बनेंगी उसी से तरक्की हो सकती है और उससे ही विकास हो सकता है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इस बात पर अवश्य विचार करें कि रिमार्डालिंग करना या सड़कों का चौड़ा करना इस वक्त बिलकुल गैर जरूरी है। क्योंकि आज हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि हम ऐसे कार्यों पर खर्च कर सकें। आज तो हमारा प्रसार नयी सड़कों को बनवाने, नयी सड़को को पक्का करवाने व नयी पक्की इमारतें बनवाने का होना चाहिये। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जो सड़कें किसी वजह से खराब हो जायं तो उनको जरूर दुरुस्त करवाना चाहिये, उनको मरम्मत करवाना चाहिये लेकिन सड़कों को चौड़ी या रिमार्डालिंग करने की अभी कोई जरूरत नहीं है।

श्रीमन्, मैं यह भी जरूरी समझता हूं कि नये पुल बनवाये जायं लेकिन ऐसे पुल न बनवाएं जायं जो कमजोर नहीं हुआ जिनको सिर्फ एक नयी शक्ल देने के लिये या रिमार्डालिंग के लिये ही

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

बनवाया जाय, इसको मैं गैर जरूरी समझता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह उचित समझता हूं कि अपने विधान सभा के क्षेत्र की सयाना बुगरास सड़क का जिक्र यहां जरूर कर दूं। इस सड़क के संबंध में मैंने मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को बार-बार लिखा और कितने ही सवालात भी किये। सन् ५४ में उस पर अर्थ वर्क केवल इस वजह से हुआ कि उस सड़क को तुरन्त पक्का किया जायगा और ३६ हजार रुपये खर्च करके पुलियां भी बनीं। लोगों को यह महसूस हुआ कि जब यह सड़क बन जायगी तो उस इलाके को नया जीवन मिल जायगा, लेकिन, मान्यवर, आज तक उस सड़क का कुछ नहीं हुआ। जो हजारों रुपया खर्च करके अर्थ वर्क हुआ था वह भी खराब हो गया और वह रुपया भी एक तरह से वेस्ट हो गया। इस वेस्टेज को बचाना विभाग के लिये बहुत जरूरी है। बराबर लोग इस उम्मीद में रहे कि यह सड़क बन जायगी लेकिन आज तक उस सड़क के बनने की नौबत नहीं आयी। पहले खयाल था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह सड़क बन जायगी लेकिन अब उसका तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनना नामुमकिन सा दिखायी देता है। अब मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको पहली प्राथमिकता दी जाय, उच्चतर प्राथमिकता दी जाय और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। वह इलाका ऐसा है जहां यातायात के कोई सही साधन नहीं हैं और उसके साथ-साथ उस इलाके में यह बात भी है कि वह बहुत ही जरखेज इलाका है, बागात का इलाका है और आम की विशेष मार्केट दिल्ली है। इसकी वजह से भी बुलन्दशहर जिले की इस सयाना बुगरास सड़क का बनना बहुत जरूरी है ताकि उस इलाके का लाखों मन आम दिल्ली की मंडी में आसानी से पहुंच सके। मेरे दोस्त श्री केशरी प्रसाद जी ने भी अपने क्षेत्र की इसी तरह की एक कैफियत का जिक्र किया। उनके क्षेत्र में एक सड़क गोधना मीरगंज इसी तरह से बनने को थी। उस पर कंकड़ पर पड़ गये थे। और लोगों को उसकी भी काफी आशा थी कि वह बन जायगी चूंकि मीरगंज तक बरसात के जमाने में जाने का कोई रास्ता नहीं रहता और वह टापू सा बन जाता है। सयाना बुगरास रोड का बनना बहुत जरूरी है। हमारे जिले में एक सड़क की मांग और भी की जाती है। विकासखण्ड ऊंचागांव में बार-बार नहर विभाग को लिखा, इस विभाग को भी लिखा और उनका जबाब भी आया। अनूपशहर ब्रांच गंगा नहर की पटरी पर सयाना अनीवास रोड़ भी बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि नहर विभाग से मशविरा कर के मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे और उसको बनवाने की शीघ्र से शीघ्र कोशिश करेंगे। इससे उस क्षेत्र का बड़ा कल्याण होगा। यह क्षेत्र भी सड़कों के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है।

इसके साथ-साथ मैं दो शब्द इस विभाग के छोटे कर्मचारियों की बाबत भी कहना चाहता हूं। इस विभाग के क्लर्कों का वेतन बहुत कम है इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। जैसे कि बेलदार, मेट आदि। छोटे मुलाजिमान हैं उनकी तरफ भी मंत्री जी गौर करें उनको भी स्थायी कर दिया जाय। इसके अलावा ठेकेदारी सिस्टम को विभाग को जरूर खत्म करना चाहिये क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार और करप्शन के जरासीम मौजूद हैं। ठेकेदार जो काम बनाते हैं उसमें खराब माल लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इस प्रथा को जल्द से जल्द खत्म किया जाय।

एक बार मैं मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह सयाना बुगरास रोड को जरूर बनवा दें और जल्द से जल्द काम आरम्भ करा दें, वह बहुत जरूरी सड़क है और हमारे साथी पान्डेय जी के यहां की सड़क भी उतनी ही आवश्यक है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इन सड़कों को जरूर बनवा देंगे। मुझे उनकी जात से पूरी उम्मीद है। अन्त में मैं फिर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती बृजरानी (जिला कानपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने निर्माण मंत्री जी को इस अनुदान को पेश करने के लिये बधाई देती हूं। सबसे पहले मैं अपने जिले कानपुर की कुछ सड़कों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी। हमारे यहां पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ सड़कें मंजूर की गई थीं और कुछ जो बनी भी थीं वह अधूरी पड़ी हैं। हमारे यहां बिल्हौर तहसील में एक तरफ तो अनुदान काट लिया गया, मैंने इस पुस्तक में बहुत कोशिश की लेकिन कहीं मुझे उसका नाम नहीं मिला। मुझे आशा है कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी जो बिल्हौर-नानामऊ, रसूलाबाद-मंगलपुर की जो सड़क है और जो कानपुर और इटावा जिले को मिलाती है और जिस पर पिछली योजना में काम भी हुआ था और दूसरी योजना में भी कुछ काम हुआ था उसको पूरा किया जायगा। कम्पलीट हो जाय ताकि यह हिस्सा हमारे जिले का जो ४ महीने बन्द सा रहता है और जिसमें आने जाने में किसानों को बड़ी मुश्किल होती है दूर हो जाय। माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरा जिला एक बहुत अच्छे ढंग का जिला है। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूं कि जिस ढंग के और जिले हैं उसी तरह से हमारा कानपुर जिला है। उसमें गांव भी हैं। जिस सड़क का मैं जिक्र कर रही हूं, वहां ४ महीने के लिये आना जाना बहुत मुश्किल बात है इसलिये मैं प्रार्थना करती हूं कि यह सड़क बहुत जल्द कम्पलीट करा दी जाय ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। यह तीन जिलों को मिलाती है उधर से इटावा को, कानपुर से हरदोई को, उन्नाव से और सिकन्दरा के बाद इटावा को।

आवश्यकता बहुत होने के कारण मैं प्रार्थना करती हूं कि बेला रोड जो कम्पलीट नहीं है उसे भी कम्पलीट कराया जाय और मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि इस ओर वे विशेष ध्यान देने का कष्ट करें। कानपुर जिले में एक पांडव है। लोगों को टिकरा से अकबरपुर तहसील में जाकर आना पड़ता है तो अगर सरकार इसको मंजूर करले तो ३-४ मील की दूरी कानपुर और अकबरपुर तहसील के क्षेत्र से रह जाती है। बारिश के दिनों में बड़ी तकलीफ होती है। दूसरी एक सेंगुर नदी है। उसके ऊपर १९५२ में एक पुल मंजूर हुआ था। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी इसे बनवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे।

अब मैं थोड़ा सा यह कहना चाहती हूं कि हमारे यहां शहर में कुछ एक हिस्सा है। कलेक्टर-गंज से किदवाई नगर, जो नया बसा है के बीच का। कुछ एरिया तो यहां पर पी० डब्ल्यू० डी० का है और कुछ नगर पालिका का आता है। इस जगह पर इतना तंग रास्ता है क्योंकि यह सड़क इतनी चालू हो गयी है कि यहां से बड़े-बड़े ठेले निकलते हैं रिक्शा और पब्लिक निकलती है। २-२ पुल काफी ऊंचे से पड़ते हैं और ढाल भी काफी है। इस तंग रास्ते की वजह से मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि जितनी जगह पी० डब्ल्यू० डी० की है उसको खाली कराने का प्रबन्ध करें ताकि लोगों को आने जाने की परेशानी दूर हो जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, इस विभाग का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बड़ा महत्व है और सड़कों का महत्व इससे भी ज्यादा है क्योंकि जिस तरह से इन्सान को जिन्दा रहने के लिये खून और नाड़ियों की जरूरत पड़ती है उसी तरह राष्ट्रीय जीवन को चलाने के लिये सड़कों की जरूरत पड़ती है इसलिये इनका महत्व है। हमारा प्रदेश सड़कों के मामले में पूरे देश के बहुत से प्रदेशों से काफी पिछड़ा हुआ है। मंत्री जी ने बताया कि पूरे देश में १४४ हजार मील पक्की सड़कें है और २५५ हजार मील कच्ची सड़कें है जो मोटर चलाने के काबिल नहीं हैं। दुनिया के अन्य बढ़े हुए देशों का मुकाबला करते हैं तो बहुत ही हम पीछे हैं। इंगलैन्ड का ६ प्रतिशत हमारे यहां पक्की सड़कें हैं पूरे देश की, अमरीका की १० प्रतिशत और जर्मनी की ७ प्रतिशत हैं। ज्यादा ध्यान शहरों के अन्दर केन्द्रित रहा है या राष्ट्रीय मार्गों के रख रखाव पर रहा है। जब प्रदेश कृषि प्रधान है तो गांव वालों को अपना सामान मंडियों तक ले जाने के लिये यातायात की सुविधा होना

[श्री ऊदल]

जरूरी है । इसके लिये मंडियों से गांवों को जोड़ा जाय इससे उद्योगीकरण की दिशा में भी तरक्की होगी । लेकिन १५, १६ साल में जितना प्रयास करना चाहिये था उतना नहीं कर पाये हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि कुछ अरसे के लिये सड़कों को चौड़ा करने या सीमेन्ट और कोल तार की बनाने का काम स्थगित करना चाहिये और गांवों को मंडियों से जोड़ने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

जब हम पूर्वी जिलों की बात करते हैं तो कुछ सदस्य सोचते हैं कि हम पश्चिम और मध्य क्षेत्र की उपेक्षा चाहते हैं । ऐसी बात नहीं है । गाजीपुर का हवाला देना चाहता हूं वहां १ लाख की आबादी पर १२ मील पक्की सड़क है और राज्य का पूरा औसत १७ मील का है और जो फार्मूला तैयार किया है उसके अनुसार साढ़े १९ मील होनी चाहिये । गाजीपुर को जोड़ने के लिये ताड़ीघाट पर पुल की बहुत आवश्यकता है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का पटेल आयोग आया, उसके पहले भी रेलवे इंजीनियर आये थे उन्होंने भी सिफारिश की थी कि इधर ध्यान दें । गाजीपुर में और बहुत से पुलों की आवश्यकता है । इसी तरह से ताड़ीघाट पर गाजीपुर में हमारे यहां कालिकाधाम पर पुल की आवश्यकता है वरुणा नदी पर । फिर शिवपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की आवश्यकता है । इसके बाद मढ़वाड़ीह में रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की आवश्यकता है । क्योंकि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों की तादाद में विदेशी यात्री बावतपुर एरोड्रोम से आते जाते हैं । रोजाना बीसों जहाज आते जाते रहते हैं और सवारियों को शिवपुर रेलवे क्रासिंग पर घंटों रुकना पड़ता है ।

इस किताब में सूबे भर के फीगर्स हैं । जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको प्राथमिकता देने के लिये फार्म मुझे भेजा गया है, वह फार्म मुझे मिला और मैंने अपने सुझाव लिख कर आपके दफ्तर में भेज दिये हैं । प्रदेश में तथा सरकार में कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिसका विभाग में कुछ लोगों पर इस तरह से गलत प्रभाव है कि वे ऐसी सड़कें बनवा देते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं है । चन्दोली और चकिया में सड़कें बनवा दी हैं जिन पर कोई रोडवेज की गाड़ी नहीं चलती । बनारस तहसील में वरुणा नदी के ऊपर उत्तर में तथा गाजीपुर से कटिहार तक कोई सड़क एक इंच भी नहीं बनी है । कुछ सड़कें जैसे मौजूवीर से केराकत तक, मीरशाह से मछियाहुं तक और बसनी से जमालपुर और बाबतपुर एरोड्रोम से कछवा चौमुहानी तक की सड़क नहीं बनी है । ये १६, १८ मील लम्बाई की सड़कें हैं । इन पर ८, १० प्राइवेट ट्रक भी चलती है सड़क बन जाने से रोडवेज की गाड़ियां चलने लगेंगी तो लाखों रुपये की आमदनी होने लगेगी और इससे किसानों की मंडियां चल जायंगी तथा पिछड़े हुए क्षेत्र में औद्योगीकरण होगा ।

विभाग के संबंध में मुझे यह कहना है कि ३५ साल से ऊपर के बहुत कर्मचारी काम कर रहे हैं । इस विधान सभा में एक कर्मचारी है जो बिल्डिंग्स को देखता है महावीर प्रसाद हेड मिस्तरी ३२ वर्ष से काम कर रहा है और दूसरा है शिव राज सिंह १९ वर्ष से काम कर रहा है । आपको ऐसे लोगों की जरूरत है और अगर वे ३०, ३५ साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें परमानेन्ट क्यों नहीं करते ।

दूसरी बात—पूरब के जो आपके कर्मचारी हैं इस विभाग के बेलदार, मिस्त्री, मेट इत्यादि इन लोगों को ३५ रुपया तनख्वाह दी जाती है और पश्चिम में इन्हीं लोगों को ४५ रुपया दिया जाता है । यह पूरब वालों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है और विभाग भी यह मतभेद करता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस भेद को खत्म किया जाय और उनकी गरीबी और मजबूरी को दूर किया जाय । कम से कम आपसे हमें यही आशा है कि आप इस अंतर को दूर करेंगे और इस विभाग को ठीक करेंगे और जितने कर्मचारी आपके यहां परमानेंटली लगे हुये हैं उनको परमानेंट करें ।

इसी के संबंध में राष्ट्रपति के एक पत्र का हवाला मैं आपको दे रहा हूं---दिसम्बर २९, १९६२ को उन्होंने फाइनेंस विभाग को पत्र भेजा, फाइनेंस विभाग ने चीफ इंजीनियर को

भेजा मार्च, सन् १९६३ में, और चीफ इंजीनियर ने सब अधीक्षक अभियन्ताओं को जुलाई, १९६३ में भेजा ताकि जितने वर्क चार्ज्ड के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जा सके, उनकी सर्विस कंडीशंस आदि तय की जा सकें लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । अन्त में मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको भी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और इस विभाग के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं श्री जगदीश प्रसाद जी, वह भी बहुत ही सुलझे हुये व्यक्ति हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनसे यह निवेदन करता हूं कि जितने अधीक्षक अभियन्ता और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको भी जरा अपनी नम्रता का पाठ पढ़ा दें क्योंकि उनके पास भी अधिकतर आना जाना पड़ता है ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान पी० डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर साहब ने हाउस के सामने पेश किया है, मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं इसमें कोई शक नहीं कि जहां जिंदगी की और जरूरियात इल्म हैं, खाना है, मकान है, चिकित्सा है, वहां उससे कहीं ज्यादा जरूरी चीज हमारी सड़कें भी हैं । इसलिये कि अगर यह नहीं होगी तो देहात के रहने वाले अपना कच्चा माल शहर में नहीं ले जा सकते, कोई अगर बीमार पड़ जाय तो मुनासिब और सही वक्त पर दवादारू हासिल नहीं कर सकता । मुझे यह कहने में भी कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों ने अपने दौराने हुकुमत में जितनी सड़कें बनवाईं उनसे कई गुना ज्यादा सड़कें आजादी के बाद इन चन्द सालों में बनी हैं । लेकिन प्रदेश हमारा इतना बड़ा है और उसी के साथ-साथ हमारी आमदनी के जरिये भी इतने कम हैं कि जिसको देखते हुए जाहिर है कि पांव उतना ही फैलाया जा सकता है जितनी बड़ी कि चादर हो । मगर हमें यह देखना पड़ेगा कि आया हम किस जगह से कुछ बचत करें ताकि इस इतने जरूरी काम में भी कुछ रुपया लग सके ।

इस सिलसिले में मैं इस मुहकमें का मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कुछ सड़कें यह सब कुछ होते हुए भी बनायीं । इसी के साथ-साथ मैं इस पर अफसोस जाहिर किये बिना नहीं रह सकता कि बमुकाबिले और मुहकमों से इतना आवश्यक मुहकमा यह होते हुये भी इसका बजट बहुत कम है क्योंकि किसी भी मुल्क में सड़कें या आमदरफ्त के रास्ते अगर नहीं होंगे तो वह मुल्क तेजी के साथ तरक्की नहीं कर सकता । इन अल्फाज के साथ अब मैं कुछ सुझाव जो जनहित के हैं देने की कोशिश करूंगा । मिसाल के तौर पर इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी टेक्निकल हेड्स कहलाते हैं । उनके इस्टीमेट बनाने के बाद हम जैसे लेमैन यह नहीं कह सकते कि यह इतने में नहीं इतने में बनना चाहिये क्योंकि वह इस मामले में एथारिटी होते हैं । लेकिन अगर उनकी बनाई हुई चीज जितने दिन चलनी चाहिये उससे कम मुद्दत में खराब हो जाती है तो उसके लिये उनके ऊपर कुछ ऐक्शन भी होना चाहिये । इसके लिये एक ऐक्शन कमेटी होनी चाहिये जो यह देखे कि इतना रुपया सर्फ करने के बाद इतना फायदा होना चाहिये था और इतने अर्से तक यह चलना चाहिये था, उससे पहले अगर वह चीज खराब हो गई तो उन पर ऐक्शन भी लिया जाय । मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि उस ऐक्शन कमेटी में कौन-कौन किस-किस किस्म के आदमी होने चाहिये । वैसे विभाग और माननीय मंत्री जी को अख्तियार है, वह जिस किस्म के आदमी चाहें उसमें रखें, लेकिन बहरहाल एक ऐक्शन कमेटी चाहिये ।

इसके साथ-साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि सड़कों का काम जो प्लानिंग के मातहत चल रहा है इसमें भी प्लानिग की जरूरत है । मिसाल के तौर पर किसी जिले में अगर १० मील सड़क बननी है तो २ मील एक तरफ, १ मील एक तरफ और ३ मील तीसरी तरफ और फिर ३ या ४ साल बाद उस १ या २ मील के बाद नम्बर आता है । उसके माने यह होते हैं कि जितना रुपया उस १ मील के बनाने में सर्फ हुआ वह जाया चला जाता है और अजसरे नौ रुपया सर्फ करने की जरूरत पड़ती है । तो बेहतर यह है कि जितनी भी सड़कें बनें वह एक दफा ही बनाई जायें ताकि उनके मेंटिनेंस पर अजसरे नौ रुपया न लगाना पड़ें ।

[श्री अहमद बख्श]

इसके साथ-साथ मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि आमतौर पर देखा गया है कि सड़कें बनती हैं पुल नदारद रहते हैं। और पुल के न बनने से आमदरफ्त की सहुलियत मुअस्सर नहीं हो पाती जो पुल के होने से होती है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। रुड़की के पास जो पुल सलोनी नदी पर है उसके लिये एक अरसे से कोशिश की जा रही है, आमदरफ्त वहां बिल्कुल ब्लाक हो जाता है तो रास्ता बहुत देर तक तय करना होता है। गोवर्धनपुर से पुरकाजी और लक्सर के दरमियान रास्ता निकलता है जिससे बराहरास्त ज्वालापुर-हरिद्वार जाता है। अगर लक्सर से गोवर्धनपुर सड़क बन गई है और उस पर पुल बन जाता है तो रुड़की के पुल पर भार हल्का हो जायगा और जनता को बहुत सहूलियत होगी। जब चीन का हमला हमारे सामने आया तो मशीनें ले जाने के लिये दुश्वारियां हमारे सामने आयीं। कुंभ मेले में भी ट्रैफिक इतना हो जाता है कि मुश्किलात सामने आ जाती है। अगर यह पुल बन जायगा तो यह सारी दुश्वारियां दूर हो जायेंगी। अगर यह पुल नहीं बनता है तो देहली से हरिद्वार आने में दुश्वारियां आती हैं, इसके बन जाने से वह तकलीफ भी रफा हो जायगी।

इसके अलावा हम काफी रुपया सड़कों के किनारे दरख्त लगाने पर खर्च करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब सड़कें बनने लगती हैं तो सड़कों के किनारे के हरे दरख्त तारकोल गरम करने के लिये काटे जाते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसके लिये सूखा ईंधन मुहइया किया जाय। जो दरख्त सूख जाते हैं उनको काट कर रखा जाय ताकि सरसब्ज दरख्तों का सत्यानाश न हो सके।

आम तौर पर देखा गया है कि पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर एन्क्रोचमेन्ट बहुत हो रहा है। इधर सरकार का ध्यान जाना चाहिये इस लिये कि अगर जमीन एक बार हाथ से निकलती है तो हमें अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो बात यह है कि सड़कें प्लान के जरिये से हों और उसके साथ-साथ एन्क्रोचमेंट उन पर रोका जाय।

हमारे जिले की जो हालत है वह मैं कहता हूं। बहुत से ब्लाक ऐसे हैं जो पुख्ता सड़कों से नहीं मिलते। तो आज जब प्लानिंग का जमाना है तो कम से कम वह सड़कें तो बननी ही चाहिये जो ब्लाक हेडक्वार्टर से मिलाती है। देखने में तो यह आया है ऐसी जगह जो तहसील हेड-क्वार्टर्स से नहीं मिलती वहां पर कोशिश होनी चाहिये कि वह पुख्ता सड़क से मिल जाय जिससे काश्तकार को कच्चा माल ले जाने के लिये सहूलियत हो इसके लिये ब्लाक हेडक्वार्टर्स और तहसीलहेडक्वार्टरों को मिलाने के लिये सड़कें बहुत अच्छी और मुक्कदम होनी चाहिये।

तीसरी गुजारिश यह कि आम तौर से यह देखा गया है कि पी० डब्लू० डी० में इस किस्म की आम चर्चा होती है कि इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन का जहां तक सवाल है कोई विभाग उससे बरी नहीं है। करप्शन कहकर करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना यह है कि जो करप्शन के तरीके हैं वे कैसे दूर हों। जो जिम्मेदार आफिसरान हैं देखना चाहिये कि उनका जो स्टेटस है वह स्टेटस उनकी तनख्वाह और दीगर बातें उनकी इक्तसादी हालत को मुताबकत करती हैं और वह उनके लिये पूरा प्राविजन कर सकते हैं या नहीं। यह एक साइकालोजीकल चीज है कि आमदनी कानून की तहत में किसी बुराई को रफा नहीं करा सकता जब तक वह जहनी तबदीली न पैदा कर दें। जहनी तब्दीली पैदा करने के लिये अपने अन्दर तब्दीली पैदा करनी होगी और जब आप में तब्दीली होगी तो आप दूसरों को भी मजबूर कर सकते हैं कि वह तबदीली हो। रहन सहन का जहां तक ताल्लुक है यह आम तौर से देखा गया है कि इंजीनियर लोग पास करने के बाद सिविल साइड को ज्यादा पसन्द करते हैं। उनकी यह कोशिश इसलिये होती है कि अगर और जगह में पहुंचे तो उनके कपड़े सफेद नहीं रहेंगे और उनकी पतलून को क्रीज खराब होगी। इसलिये वे ज्यादातर इस साइड में आने की कोशिश करते हैं। अगर हम सादगी ला सकें तो जनता की शिकायतें दूर होंगी और भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं उनको भी कमी आयेगी। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान की ताईद करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर कटौती का प्रस्ताव इस बात का प्रतीक होता है कि सरकार की नीति की आलोचना की जाय। परन्तु यह बात उसमें नहीं होती है कि जो रकम सरकार की ओर से मांगी गयी है उसका किसी रूप में विरोध ही करें। बल्कि यह होती है कि सरकार को बता दें कि कहां-कहां कमियां हैं। उनकी नीतियां किस प्रकार जनाहित में ठीक नहीं है।

यह बात सही है कि जो धन बजट में मांगा जाता है उसको इंजीनियर लोग पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं। जो यह बात सोचते हैं कि वे इनएफिशिएंट हैं यह बात भी नहीं है और यह बात भी नहीं है कि वह अपने काम को पूरा नहीं करना चाहते हैं या उनको किसी बात का अनुभव नहीं है। इस कारण या तो निश्चित धन व्यय नहीं हो पाता या जिसमें प्रोविजन नहीं है उसमें खर्चा होता है आज बहुत सी शिकायतें होती हैं कि किसी कारण से ऐसे काम पूरा होने से रह जाते हैं। ऐसी भी शिकायत हुई है कि सड़कें बनीं और थोड़े दिनों के बाद वह टूट गई। आडिट रिपोर्ट को देखने से मालूम हुआ कि बजट में जितना प्रोविजन किया गया है उसके अनुरूप खर्च नहीं हो पाता है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि बजट में उसका प्राविजन नहीं है लेकिन वह काम भी हो जाता है। इसका कारण केवल यह है कि उसके पीछे कोई पोलिटिकल प्रेशर होता है जिसके कारण ऐसे काम हो जाते हैं कि जिनका प्राविजन है उस पर खर्च नहीं हो पाता है। इसके पीछे पोलिटिकल प्रेशर ही हो सकता है। मैंने देखा कि १, २ लाख के ऐसे काम हुए हैं जिनका प्राविजन नहीं था लेकिन उन कामों पर रुपया खर्च किया गया। इन सारी बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने उस नीति से काम नहीं लिया जिस नीति से उसको जनता के हित की बात को देखना था। प्रदेश में बहुत जगह पर इसकी मिसाल मौजूद है। जैसे कि मिसाल के रूप में बहराइच का नाम लेता हूं। वहां पर तृतीय प्लान में एक रोड लिया गया; वहां पर इंटीरियर में जो ट्रांस राप्ती का एरिया है उसमें एक रोड नहीं है। वहां पर सड़क और पुल की बहुत आवश्यकता है लेकिन उस काम को वहां पर नहीं किया गया। अगर वहां कोई सड़क होती तो वहां इस तरह से असुविधा नहीं हो सकती थी जो बार्डर एरिया में हुई।

हम सभी चाहते हैं कि देहातों की पैदावार अच्छी हो और उनकी दशा अच्छी हो लेकिन जब तक देहातों को शहरों से नहीं मिलाया जायगा तक तब देहात के किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता है। देहात के लोगों को तभी लाभ होगा जब कि यातायात के साधन सुधरेंगे। तभी अपनी उपज का मूल्य पा सकेंगे।

मान्यवर, जहां पर बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं वहां पर पुल बनाये गये हैं और इन के अलावा जहां पर पोलिटिकल प्रेशर पड़ा और आवश्यकता कम थी वहां पुल बनाये गये। यह विचार नहीं किया गया कि अधिक जनता का लाभ कहां है। लेकिन बुंदेलखण्ड में जहां पर नदियां भी हैं और बीहड़ इलाके भी हैं वहां पर यातायात के साधन न होने के कारण सरकार वहां की जरूरयातों पर काबू नहीं कर पा रही है। यद्यपि सरकार के सामने स्टार ग्रिड फार्मूला है फिर जहां पर आवश्यकता हो वहां पर उसको लागू करने पर जोर देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि किस बात की कहां पर आवश्यकता है। मैं इस बात पर जोर देता हूं और मेरा यह सुझाव है कि सड़कों को देहात और मंडी का ध्यान रखते हुये मिलाना चाहिये। इस विभाग में अब ऐसे अफसर आ गये हैं जिनके काम को देखते हुए मैं यह कहूंगा कि वे हमारे देहात की तरफ अधिक ध्यान देंगे और देहात से मिलाने वाली सड़कों और पुलों के काम की तरफ विशेष ध्यान देंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, लाल बत्ती को बन्द कर दें तो मैं जल्दी से अपनी पूरी बात कह दूं। इस विभाग में बड़े-बड़े अफसरों के बड़े-बड़े करप्शन की बहुत चर्चा होती है। प्रदेश के इस विभाग के छोटे कर्मचारियों के संबंध में मंत्री जी ने जिक्र किया उन्होंने वर्क चार्ज मैन की तरफ यद्यपि कहा कि

[श्री विजयसिंह]

उसकी दशा का सुधार किया जा रहा है, लेकिन वह ओवरसीयर और अफसरों के पास लोकल जगहों में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। उनकी परेशानी को देखते हुए उनको राहत पहुंचाने के लिये अवश्य कदम उठावें और उन बेजुबान गरीबों को जो देश की वास्तविक सेवा करते हैं, उन्हें राहत दें।

तीसरा प्वाइंट फेरी ब्रिजेज का है। जहां ये बनाये जाते हैं वहां सरकार का आदेश होता है कि ३ टन वजन के ही ट्रक पास हो सकें। पूर्वी इलाकों में जो डीजल बसेज तथा सिंचाई विभाग के ट्रक हैं वह पांच से साढ़े पांच टन के होते हैं। आवश्यकता पर ट्यूबवैल्स की मरम्मत के लिये जो ट्रक्स जाती हैं, उनको भी पुल वाले रोकते हैं तो ट्यूबवैल्स की समय पर मरम्मत नहीं हो पाती है। मंत्री जी को मालूम होगा कि इलेक्शन के जमाने में साढ़े ५ टन की बसेज अलाऊ कर दी गई थीं, लेकिन अब वह कंशेशन नहीं रहा, वह अवश्य दिया जाना चाहिये। इसमें जन-हित देखना चाहिये---रिश्वत लेकर सभी गाड़ी पास होती है पर ट्यूबवैल की मरम्मत वाले ट्रक नहीं पास हो सकेंगे इस पर विचार करना चाहिये। आज प्रदेश में करप्शन की बहुत चर्चा होती है। यह ऐसा विभाग है कि करप्शन के नाम की कोई चीज नहीं है, इस में तो परसेंटेज सीधा बंधा हुआ है, बेईमानी का कोई प्रश्न नहीं है। लोग कहते हैं और पूछ-तांछ तथा अनुभव के आधार पर कि ओवरसीयर अगर ५ परसेंट लेता है तो उसे ठेकेदार जगाकर रात में ले जाते हैं अपना काम करवाने के लिये और वह चला भी जाता है। वह अपनी जान की परवाह नहीं करता और जाता है तभी उसे ५ परसेंट मिलता है। तो यह एक शाही बटवारा है। तो मंत्री जी, इसके लिये कोई इलाज नहीं है। यह हो सकता है कि स्पेशल मीटिंग में सभी छोटे बड़े अधि-कारियों को बुलाकरके परसेंटेज में धीरे-धीरे कमी करा दें। ५ से ३ परसेंट कर दें तो यह ज्यादा अच्छा है, और कोई तरकीब नहीं है, आप बन्द नहीं कर सकेंगे चाहे जितनी सख्ती करें। आफिस में बड़े बाबू हैं, जब ठेकेदार उनके पास अपना चेक बनवाने के लिये जाते हैं तो डेढ परसेंट काट लेते हैं, उनसे कहा जाय कि उस का आधा ही ले लें तो इस लीगल करप्शन में कमी हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता---

आप उस रुपये का बटवारा न करें।

श्री विजयसिंह---

मान्यवर, मैं बता रहा था कि विभाग के लीगल करप्शन में कमी हो सकती है। अगर वह इसे अपनी मेहनत समझते हैं तो उसमें थोड़ी सी कमी कर लें, देश की परिस्थिति को देखते हुए। एक बात मैं फिर कह रहा था। कुछ सड़कों को जिनको बनाने की आवश्यकता है जरा ठंडी तबियत से देख लें और उनको प्राथमिकता दें। जालौन जिला बुंदेलखण्ड का सबसे पिछड़ा जिला है, मेरी मांग है कि वहां के लिए विशेषज्ञों का एक कमीशन हो जो जांच करे कि यातायात की कहां कमी है। स्टार ऐंड ग्रिड फार्मूला के अनुसार जिस क्रम से सड़क बननी चाहिये थीं वह नहीं बन रही है। जालौन और कौंच रोड जो बन रहीं है उसका रिमाडलिंग होना चाहिये और उसके अभिनवीकरण की आवश्यकता इसलिये है कि उसके करने से सड़क की टूट फूट में कमी हो जाती है और मैन्टीनेंस का खर्चा भी कम होता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण की मांगों का समर्थन करती हूं। मान्यवर, अच्छा होता कि जिस कार्य के लिए, विशेषकर सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त रुपया

बजट में रखा जाता, क्योंकि सड़कों के मामले में हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। देहाती क्षेत्रों में पक्की सड़कें नाम मात्र को हैं।

इस विज्ञान के युग में जब संसार के अन्य उन्नति शील देश चन्द्रमा की यात्रा की तैयारी में लगे हुये हैं। हमारे अधिकतर किसान अब भी बैलगाड़ियों पर ही निर्भर हैं। बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां बैलगाडियाँ भी नहीं जा सकतीं। हम सब इस बात में एक मत हैं कि हमारे देश की आर्थिक उन्नति गांवों के विकास पर ही निर्भर है। लेकिन आने जाने के आधुनिक साधनों के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र का विकास असम्भव है। इस लिये यह बहुत जरूरी है कि इस दिशा में अधिक उत्साह और तेजी से कार्य किया जाय। देश को आजाद हुये १६ वर्ष से अधिक हो गये और पिछले तेरह वर्षों से हम पंच वर्षीय योजनाओं द्वारा देश का विकास कर रहें हैं। लेकिन इस लम्बे समय में हमारे प्रदेश में सड़कों के निर्माण में बहुत धीमी प्रगति हुई है। उत्तर-प्रदेश शायद इस मामले मे अन्य प्रदेशों से बहुत पीछे है। आगरा जिले की किरावली तहसील को ही ले लीजिये जो इस धीमी प्रगति का एक शानदार नमूना है। आजादी और पंचवर्षीय योजनाओं के इस लम्बे समय में किरावली तहसील में कोई पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इसमें बहुत से ऐसे गांव हैं जो सड़कों से सात-आठ मील दूर हैं। ऐसे गांवों के किसानों पर तो आजादी और विकास योजनाओं का कोई कहने लायक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस क्षेत्र में कागारौल से मथुरा जिले के फरह तक जाने वाला एक मुगल जमाने का प्राचीन मार्ग है। मैं निर्माण मंत्री महोदय, से प्रार्थना करूंगी कि वे इस कच्चे रास्ते से एक बार सफर करें। सैकड़ों बैल गाडियां, तांगे, साइकिलें और पैदल यात्री धूल के बादलों में होकर सफर करते हुये इस पर मिलेंगे। पिछले दो सालों से बराबर मैं सरकार से निवेदन कर रहीं हूं कि इस मार्ग को शीघ्र पक्का किया जाय। लेकिन खेद है अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किरावली की जनता की यह बहुत पुरानी मांग है। आशा करती हूं कि सरकार इस सड़क को अवश्य पक्का करायेगी।

आगरा फतेहपुर सीकरी सड़क के भी सुधार की आवश्यकता है। इस सड़क को कुछ स्थानों पर चौड़ा किया गया है लेकिन यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। फतेहपुर सीकरी की मशहूर इमारतों को देखने के लिये बड़े-बड़े विदेशी यात्री प्रायः रोज आते रहते हैं। सरकार को चाहिये कि वह आगरा फतेहपुर सीकरी सड़क को और चौड़ा बनाये और इसे सदा अच्छी हालत में रखे। फतेहपुर सीकरी कस्बे के भी सुधार की बड़ी आवश्यकता है। यहां, झील, बाग, बगीचे, डाकबंगले, इत्यादि का निर्माण करके इस स्थान को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। जहा तक मुझे मालूम है इस प्रकार की एक सरकारी योजना थी। आशा है इस दिशा में सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी। ताकि फतेहपुर सीकरी, यात्रियों के लिये और भी अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बन सके।

अंत में मैं सरकार से फिर निवेदन करती हूं कि वह सड़क निर्माण के कार्य को तेजी से चलाये ताकि हमारी ग्रामीण जनता का विकास हो सके। आशा है सरकार हमारी मांग पर विशेष ध्यान देगी।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे तेजी के साथ काम करने का आश्वासन दिया, इसलिये भी धन्यवाद देता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की यूनियन की बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई, तथा उन लोगों को भी आश्वासन दिया। मुझे अपने जिले के बारे में तो मालूम है और ऐसा ही सारे राज्य में होता होगा। छोटे कर्मचारियों से ओवरसियर और इंजीनियर लोग तरह-तरह की बेगार लेते हैं। घर का काम करवाते हैं, पहरा दिलवाते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगर छोटे कर्मचारी मना करते

[श्री गंगाप्रसाद वर्मा]

हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। जब वे २०-२०, ३०-३० साल से काम कर रहे हैं, जिन सड़कों पर वे काम कर रहे हैं वे परमानेन्ट हो गयी हैं तो फिर उनको भी क्यों परमानेन्ट नहीं किया जाता है। किसान के खेत में मजदूर की मजदूरी डेढ़ रुपया रखी गयी है फिर आप उस बेलदार को १८ आना या सवा रुपया क्यों देते हैं। उसकी तनख्वाह भी आपको बढ़ाना चाहिये क्योंकि वह भी दुपहरी में सड़क पर दुरमुट चलाता है।

मैंने अपने जिले के एक ओवरसियर श्री मित्तल की शिकायत की थी और मन्त्री जी को दी थी। उसमें लिखा था कि वे मस्टर रोल में ३ कर्मचारियों का नाम फर्जी चढ़ा लेते हैं और उसका पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। सड़कों के पेड़ कटवा कर उसका फरनीचर बनवा कर अपने घर रख लिया। वह शिकायत एक इंजीनियर के पास पहुंची उसने ६ महीने तक डाले रखा जब दोबारा दरख्वास्त दी, तब इंक्वायरी करके उसका तबादला किया गया, कोई सजा नहीं दी गयी : इस तरह के भ्रष्टाचार को बन्द किया जाय। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा १२ फी सदी वहां पर लिया जाता है। यह सही बात है २ प्रतिशत क्लर्क लेते हैं, ५ प्रतिशत ओवरसियर और ५ प्रतिशत इंजीनियर लेते हैं। फिर ठेकेदार भी तो कुछ कमाता होगा। नतीजा यह होता है कि निर्माण में केवल ५० प्रतिशत ही लग पाता है।

(इस समय २ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मैं सी० ब्लाक में १२ नम्बर में रहता हूं। वहां की बाउन्ड्री का एक खम्भा गाय तोड़ गयी वह फिर बनायी गयी, उसका प्लास्टर का रेता देखा जाय बिलकुल रेता है। इसी तरह पूरी बिल्डिंग में लगा है उसको किसी न किसी ने तो पास किया ही होगा। यह हमारी सरकार के नाक के नीचे ऐसा होता है तो जिलों में क्या होता होगा। इसकी शिकायत लिखित मंत्री को दी। पुरानी एतिहासिक बिल्डिंग एक हजार वर्ष से वैसी ही खड़ी हुई हैं, उनका मसाला नहीं टूटा लेकिन आज हमारे आजाद भारत के इंजीनियरों की बनायी चीज दूसरे ही दिन गिर जाती है।

एटा सकीट सड़क के बारे में मैंने पहले भी सरकार से कहा था और आज फिर कहता हूं कि उसको पक्का कराया जाय। हम लोग श्रमदान से सड़क बनवाते हैं लेकिन उनको पक्का नहीं कराया जाता है। मेरे भी गांव में एक सड़क है उसको श्रमदान से बनाया गया फिर विकास की तरफ से उसको पक्का करा लिया गया लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० उसको नहीं ले रही है जब कि एक एम० एल० सी० की ४-६ फर्लांग की सड़क भी ले ली गयी है। तो इस निर्माण कार्य में यह पक्षपात ठीक नहीं है। हमारे बहराइच के माननीय सदस्य भिनगा क्षेत्र के हैं जिनका कहना है कि उनके क्षेत्र में आज तक कोई सड़क नहीं बनी।

एक सड़क भिनगा---लक्ष्मणपुर नाम की तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाने के लिये ली गयी थी लेकिन वह नहीं ली गयी। तो मैं आप से कहता हूं कि इस क्षेत्र में भी पक्षपात से काम लिया जाता है। जहां से कांग्रेसी विधायक आते हैं वहां तो काम कराया जाता है लेकिन जहां से विरोधी पार्टी के विधायक आते हैं वहां कोई काम नहीं कराया जाता। इसी तरीके से सोरों की एक सड़क ५ मील पक्की बनने को थी जिसमें से ३ मील सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० ने नहीं लिया है। इस तरह से अधूरी सड़क जो रह गयी है उसको पूरा करना सरकार का काम है। एक सड़क सटीक से इशारा को बनाने की आवश्यकता है। इस सड़क का निर्माण कार्य हो जाय तो इसको दूसरे जिले मैनपुरी से मिलाया जा सकता है। जो भी सड़कें बनायी जायं वे लोगों के यातायात की सुविधा के लिये ही बनायी जायं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता को वे दूर करने का अवश्य प्रयास करें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि २८ तारीख तक मैं आपसे कोई टाइम नहीं लूंगा। मैं आज बड़ा ग्रीव्ड हूं इसलिये मुझे १० मिनट का समय जरूर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विवाद में भाग लने का अवसर दिया। सबसे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं माननीय मन्त्री जी को और उनके विभाग के तमाम कर्मचारियों को जिन्होंने यह पुस्तिका इस सदन के सामने रखी है, जिसमें विस्तृत रूप से १९४७ से लेकर १९६३ तक विभाग द्वारा किये गये सारे कार्य का विवरण दिया गया है, धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, इसमें जिलेवार जो भी कार्य किये गये हैं वे दिये गये हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान विभाग में काम करने वाले उन कर्मचारियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनका कि जिक्र आज पहली बार इस सदन में माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट का उद्घाटन करते हुए किया। अपने भाषण में उन्होंने तमाम २० हजार कर्मचारियों का जिक्र किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पी० डब्ल्यू० डी० का सारा बोझ, जो कि नीचे का आधार है और जिनके द्वारा सारा निर्माण कार्य होता है, आज पहली बार कई माननीय सदस्यों ने और माननीय मन्त्री जी ने उनकी ओर ध्यान दिया है। उनकी तमाम बातों को मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं।

इन कर्मचारियों में एक तरह का काम करने वाला जो बेलदार है वह जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा––बरेली में कुछ पाता है, सहारनपुर में कुछ पाता है। कहीं ३८, कहीं ३५, कहीं ३९, कहीं ४३ मिलता है। इस तरह से विभिन्न जिलों में ३५ रुपये से लेकर ४५ रुपये तक उसे मिलता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ३५ रुपये महीने में एक मजदूर जो दिन रात काम करता है आज के इस जमाने में किस प्रकार से अपना पालन पोषण कर सकता है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनको त्योहारों की छुट्टी मिलती है और १४ दिन की कैजुअल छुट्टी मिलती है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूं कि बेलदार को त्योहार की छुट्टी तो नाम मात्र के लिये मिलती है और उसे कैजुअल लीव नहीं मिलती है। वर्क एजेंट को त्योहार की छुट्टी नहीं मिलती ऐसे कैजुअल लीव उसे मिलती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह का भेदभाव छुट्टी देने में क्यों है, जो कि २०–२५ वर्ष से काम करने वाले हैं उनमें किसी को तो त्योहार की छुट्टी मिलती है तो दूसरे को कैजुअल लीव मिलती है। आखिर यह क्यों? मेरा सुझाव है कि उनको इतवार की छट्टी, त्योहार की छुट्टी और कैजुअल लीव दी जाय और उनका स्थायीकरण किया जाय।

१,१०० आदमियों का स्थायीकरण किया गया है उसके लिये मैं मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा लेकिन जो लोग २०–२५ साल से रात दिन सड़कों पर काम करते हैं उनका न तो स्थायीकरण हुआ है और न उनके वेतन आदि के कोई नियम ही बनाये गये हैं। सबके सेवा नियम हैं लेकिन इस विभाग में कोई सेवा नियम नहीं बने हैं, वह बनाये जायं और उनको स्थायी किया जाय ताकि कर्मचारी प्रसन्नता पूर्वक काम कर सकें। दूसरे इन लोगों की जो तकर्ररी होती है वह एग्जिक्यूटिव इंजीनियर की मर्जी से होती है। उनको सारी पावर है कि वह ३५ से ६० तक जिसको जो चाहें, दें। इस विभाग में एक सुपरवाइजर का ग्रेड है उनको २५ साल हो गये उनके साथ सन् ४५ में एक एग्रीमेंट किया गया कि अगर वह फलां परीक्षा पास करेंगे तो उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुर सिंह]

रेगुलर कर दिया जायगा और उसके अनुसार १०२ कर्मचारियों ने परीक्षा पास की लेकिन अभी तक भी उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। पहाड़ों पर सड़कों का अच्छा काम हुआ है और मैं वहां के इंजीनियर्स की बुद्धिमानी की सराहना करता हूं लेकिन जो लोग यहां नीचे उन सड़कों के बनाने के जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं होना चाहिये, अगर किसी सड़क की जिन्दगी २५ साल होना चाहिये और वह ५-६ साल में टूट जाती है या कोई इमारत टूट जाती है तो उसके लिये जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहिये। तीन चार साल में वह नुकसान उन कर्मचारियों से वसूल किया जाय।

श्री रामेश्वरनाथ (जिला बरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जो विरोधी दल की ओर से कटौती का प्रस्ताव पेश है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं विभाग के निकम्मेपन, फिजूलखर्ची, बरबादी और क्रिमिनल वेस्ट पर, लेजिस्लेचर के दिये हुए रुपये की बरबादी पर रोशनी डालूं। पहली प्लान में ६ सर्किल थे, फिर १३ हुए और आज १८ सर्किल हैं। एक सर्किल पर १ लाख का खर्च होता है। यह खर्च साढ़े ३ प्रतिशत से बढ़कर अब ६-७ प्रतिशत हो गया है। कभी-कभी जो रुपया दिया जाता है ऐसा होता है कि ७५ प्रतिशत तक लैप्स हुआ है।

श्रीमन्, १९६०-६१ की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि ४७ प्रोजेक्ट सदन की स्वीकृति के बगैर शुरू कर दिये गये। प्रत्येक पर २ लाख से ज्यादा व्यय होना था। मान्यवर, वह नहीं होना चाहिये था, लेजिस्लेचर को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिये था। ३१ कामों में ४९ १/२ लाख रुपया खर्च करने को था वह रुपया लैप्स किया गया। तावाघाट---सिमकोला सड़क पर १,११,००० रुपया खर्च करके वह सड़क बन्द कर दी गयी और वह रुपया सारा का सारा बर्बाद हो गया। सदन में आटोमेटिक लाउड स्पीकर्स को लगे ७ साल हो गये हैं उनसे कोई भी फायदा नहीं हुआ है। २ लाख रुपया खर्च हुआ है जिसका आज सरकार सूद दे रही है। उत्तर काशी में एक रोड बन रही थी। ८० हजार रुपया खर्च करके उसको बन्द कर दिया गया यह सारा रुपया वेस्ट हुआ। देहरादून-ऋषिकेश सड़क पर ४० हजार वेस्ट हुआ। भागीरथी का जो पुल था उसका ड्यूडेट से टेन्डर नामंजूर करने के कारण दुबारा टेन्डर हुआ और इस पर १० हजार रु० ज्यादा का टेन्डर स्वीकार हुआ। इस विभाग में ८१४ आदमियों को ओवर पेमेन्ट हुआ जिसमें १३ १/२ लाख रुपये का वेस्ट हुआ। पर उनके विरुद्ध कोई जांच नहीं हुई। डेवलपमेंट करने के लिये रोड्स का बनाना बहुत जरूरी है। रोड्स बनाने के लिये ३ बातों को ध्यान में रखना होता है, पहला डिफेन्स, दूसरा एकोनामी और तीसरा कारण होता है बैकवर्ड एरियाज। जो चौथा रीजन है वह है पोलिटिकल रीजन। हमें आंकड़ों से प्रतीत होता है कि जहां-जहां के मिनिस्टर्स हैं, वहां पर सड़क बनती हैं और जहां-जहां पर मिनिस्टर नहीं हैं वहां पर सड़क नहीं बनती है।

दूसरे इस विभाग में जो कन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम होता है वह अच्छा नहीं है। जब इतना बड़ा विभाग है यह सारा काम इन्हें अपने विभाग द्वारा ही करना चाहिये। दूसरे जिस प्रकार एस० पी० के यहां से थाने में आक्शन हुआ करते हैं उसी प्रकार से ओवरसियर्स के सर्किल का भी आक्शन होता है। ये चीज बन्द होनी चाहिये।

करप्शन के बारे में सभी सदस्य जानते हैं कि यहां खूब करप्शन है। ५ परसेन्ट, १० परसेन्ट इसे इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स लेते हैं। इसे बन्द होना चाहिये। एक आंवला तहसील है जहां पर अलीगंज---विशारदगंज रोड जाती है वह बिल्कुल खराब पड़ी हुई है। बरसात के दिनों में ऐसी नौबत आ जाती है कि थाने में ५-५ दिन तक कोई भी रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती है। पोस्ट मार्टम के लिये लाश भी नहीं पहुंच पाती है।

श्रीमन्, एक फरीदपुर-बीसलपुर रोड है। अगर इसको बनवा दें तो २८० गांवों को फायदा हो सकता है। जिला बुलन्दशहर में एक सड़क स्याना—बुगरासी की रोड भी अगर हो जाय तो बहुत अच्छा हो क्योंकि इसकी भी बहुत जरूरत है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

एक निवेदन यह है कि इस विभाग के सम्बन्ध में गलत गोलमाल के कई लाख रुपये के आंकड़े मुझे प्रस्तुत करने हैं, इसके लिये थोड़ा समय मुझे भी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो सभी चाहते हैं।

श्री गणेशप्रसाद (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले की बासगांव तहसील सबसे उपेक्षित तहसील है और संसार में सबसे अधिक आबादी का बोझ इस तहसील पर है। १२०० आदमी प्रति वर्ग मील वहां आबादी का बोझ है लेकिन सरकार उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। इसमें एक इंच भी रेलवे सड़क नहीं है। पक्की सड़क एक नेशनल हाई वे है जो गोरखपुर से बड़हलगंज होते हुए आजमगढ़ चली जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर से रुद्रपुर होकर सीकरी गंज उरुवा बाजार गोला बाजार होकर जो सड़क बड़हलगंज जाती है वह बन कर तैयार हुई है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल १० मील की सड़क रुद्रपुर से बासगांव तक ली गयी है और केवल ५ मील का टुकड़ा बांसगांव से कौड़ीराम तक खराब हालत में है जो बन जाता तो नेशनल हाई वे से वह सड़क मिल जाती और उससे आने जाने में सहूलियत हो जाती। कौड़ीराम से बांसगांव और बांसगांव से रुद्रपुर तक अगर पक्की सड़क बन जाती है तो १५ मील की यह पक्की सड़क बनने से वहां की जनता को बड़ी सहूलियत हो जाती। गोरखपुर से जो सड़क रुद्रपुर जाती है उसके ८वें मील पर जयतपुर से बोफटा तक बस्ती रोड से जो सड़क मिलाती है और पिपरोली बाजार हो कर जाती है वह श्रमदान से बनाई गयी थी, इस सड़क पर भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने श्रमदान किया था। केवल ४ मील की वह सड़क है लेकिन आज तक उपेक्षित पड़ी हुई है उसको अगर भूतपूर्व राष्ट्रपति की यादगार में पक्की बना दिया जाय तो आवागमन में बड़ी सहूलियत हो जाती और व्यापार की दृष्टि से बहुत लाभकर सिद्ध होगी। इसलिये इस ४ मील की सड़क को भी पक्का करना नितान्त आवश्यक है। कहीं से रुपया लाकर वह चार मील अवश्य जोड़ दी जाती सबसे आवश्यक सड़क है।

इसके अतिरिक्त कौड़ीराम से गोला बाजार १४ मील, बांसगांव से धुरियापार १४ मील, शिकरीगंज से बेलघाट होते हुए कुरी बाजार १० मील, खजनी से माल्हनपार ८ मील और कौड़ीराम से गजपुर होकर गगहा तक केवल १० मील की सड़कें पक्की बन जाने से बांसगांव तहसील में आवागमन की सुविधा हो जाय। अतः श्रीमान्, उपरोक्त प्रार्थना पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। यह प्रदेश यूरोप के जितने देश हैं उन सबसे बड़ा प्रदेश है रूस को छोड़कर, फ्रांस से डयोढ़ा और जर्मनी से दुगुना है। इस प्रदेश में साढ़े सात करोड़ आदमी बसते हैं और ८७ प्रतिशत लोग कृषि का कार्य करते हैं। सरकार पूर्वी जिलों का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, उनकी तरक्की करना चाहती है। लेकिन होता क्या है। पिछली दफा भी जितना काम हुआ है और मन्त्री जी ने ६३ में जो प्रस्ताव रखा था उसमें भी पूर्वी जिलों का कहीं नाम नहीं है।

[श्री कैलाश]

मैं जिला देवरिया का उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय जे० पी० मिश्र जी रुष्ट होंगे कि पूर्वी जिलों की बात मैं करता हूं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक देवरिया जिले से लगभग ५-६ करोड़ रुपया केन टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है। वहां १४ चीनी मिलें हैं। मैं दो चीनी मिलों के बारे में सदन को बताना चाहता हूं जहां साल में लगभग २०-३० लाख मन गन्ना गिरता है। उनमें से एक मिल प्रतापपुर फैक्ट्री में कुल १ मील ६ फर्लांग सी० सी० ट्रैक है और भटनी के पास ४ मील ६ फर्लांग है। यह मन्त्री जी की इस किताब के आंकड़े हैं। बरसात में वह सी० सी० ट्रैक भी बन्द हो जाता है। आवागमन का सारा साधन ठप हो जाता है। आज गन्ने के सीजन में वहां २५-३० हजार गाड़ियां एवरेज प्रति दिन आती हैं, मिलों पर और स्टेशनों पर गन्ना गिराती हैं, उन बैलगाड़ियों की दुर्दशा माननीय मंत्री जी जा कर स्वयं देखें कि क्या हालत है। टायर फट जाता है, बैलगाड़ी कई-कई दिनों में मिल तक पहुंचती है। यह हालत वहां की है और सरकार यह दावा करती है कि पूर्वी जिलों का वह उत्थान करना चाहती है, वहां की गरीबी मिटाना चाहती है। जहां आवागमन के साधन न हों, वहां कैसे गरीबी मिटेगी। सलेमपुर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र एक दम बिहार से सटा हुआ है। बरसात के दिनों में वहां छोटी गंडक बड़ी गंडक के समान हो जाती है। बाढ़ से उसे पार करना लोगों के लिये मुश्किल हो जाता है बरसात में वहां नमक और मिट्टी का तेल तक लोग नहीं ला पाते हैं। और फिर भी उस क्षेत्र का उत्थान करने की बात आप करते हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी जानकारी करें, जिस जिले की गरीब जनता आपको पांच छः करोड़ टैक्स देती हो वहां आज भी मैं कहने के लिये तैयार हूं, जिस तरह की बिजनौर और मेरठ में सड़कें हैं एक भी वैसी सड़क वहां नहीं है कि वहां मिलें चलती हैं। चीनी का उत्पादन बढ़ाने की बात आप रोज करते हैं कि देश में चीनी का संकट है। लेकिन जिस मिल पर एक मील भी पक्की सड़क न हो वहां का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, वहां की गरीबी कैसे मिटेगी। आप देख लें, सिर्फ टैस्ट वर्क के लिये वहां चार-चार पांच-पांच हजार लोग दौड़ते हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ और शीत लहरी के समय में भी वहां जिलाधीश ने कोई सड़क नहीं लिया है। मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम में सिर्फ एक सड़क ली है। आप ऐक्वायर करने की बात कहते हैं वह भी वहां जरूरी नहीं है। पांच मील की सड़क लोगों ने पोरसा भर अपने खड़े गेहूं को छोड़कर बनाई है। तो लोग चाहते हैं कि सड़क बने, पुल बने लेकिन आप बनाना नहीं चाहते।

हमारे जिले में जब सोमनाथ जी जिलाधीश थे तो उन्होंने उस जिले की सड़कों की बड़ी उन्नति की। हमारे यहां सलेमपुर मैरवा रोड जो आपने अब शुरू की है वह भी आपने इस तरह शुरुआत की है कि ४वें मील के ५, ६, ७, ८ फर्लांग पर सड़क कंकड़ बिछा दी गयी है और जो ईंटा सैल करने को मिला है उसको ओवरसियर ने भट्टे पर ही बेच दिया है। बाबा राघवदास का उस ईंट पर नाम है जिस बाबा राघवदास को सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं। मन्त्री जी कहते थे कि एक कमेटी बनी हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कमेटी के द्वारा उसकी जांच करायेंगे। जिस विभाग के इंजीनियर के मातहत गड़बड़ी होती है उसी से जांच करायेंगे तो क्या पता चलेगा, दूसरे विभाग से जांच कराइये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस विभाग के कर्मचारी २०-२० और ३०-३० साल से कन्फर्म नहीं हुए हों, आप वहां पर करप्शन खत्म हो जाने की उम्मीद करें, असम्भव है। ओवरसियर तो ठेकेदारों से मिले रहते हैं। जो ठेकेदार उनको रुपये देता है उसी को काम दिलाते हैं। आपने जनोपयोगी योजना के मातहत यह आदेश दिया था कि ग्राम सभापतियों और अन्य संस्थाओं को ठेके दिये जायं लेकिन ओवरसियर नहीं देते हैं क्योंकि उनसे २ सौ या ४ सौ रुपया उनको नहीं मिलता। जो लोग दे देते हैं वे एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे से जगह-जगह जाकर उनको काम मिलता है और ओवरसियरों को हिस्सा मिलता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया आप उसकी जांच करावें और देखें कि क्या हालत है।

इसके अतिरिक्त हमारे जिले में नदावर का जो पुल है वह सबसे बड़ा पुल है और वह आसाम, कलकत्ता, बिहार और देवरिया जिला को मिलाता है। उसको बनवाने की तरफ फौरन कदम उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए। इस तरह से समय लेकर काम चलने में रुकावट न डालिये।

श्री अक्षयवरसिंह (जिला गोरखपुर)—

आज जो अनुदान पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह पी० डब्ल्यू० डी० का अनुदान है और अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस जमाने में जनता के लिये सबसे बड़ी सुविधा सड़कों का अधिक से अधिक होना है। अगर सड़कें ठीक नहीं रहती हैं तो उनको सुविधा का सामान कहीं नहीं पहुंच सकता है, चाहे गांव में जाना हो, चाहें कहीं सामान ले जाने के लिये आवागमन के लिये सड़कों की विशेष आवश्यकता है। इस आवश्यकता के कारण ही सरकार इतना रुपया इस पर खर्च करती है ताकि जनता को सुविधा पहुंचे। मैं यह जानता हूं कि जब से यह राष्ट्रीय सरकार आई है हमारे जिले में काफी सड़कें बनी हैं फिर भी सड़कों की बहुत ज्यादा कमी है। उन सड़कों की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है लेकिन और भी ध्यान देने की जरूरत है। रुपये की कमी की वजह से उनको पूरा नहीं कर पाई है। हमारे क्षेत्र में एक पिपराइच से चौरी चौरा सड़क जाती है जिसमें ६ मील सड़क बनी है और ६ मील बघार से वह सड़क नहीं बन पाई है। इसी प्रकार एक सड़क सहजनवां से बखिरा, जो २० मील दूरी पर है वह हालांकि सहजनवां से २ मील पक्की है, लेकिन बाकी १८ मील कच्ची कुछ बस्ती में है और कुछ गोरखपुर में है। इस नाते मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क की विशेष आवश्यकता है क्योंकि इसके न होने से जनता वहां की बहुत ही मुसीबत में है। उस सड़क पर आ-जा नहीं सकते हैं। यह सहजनवां से बखिरा तक सड़क बनना नितान्त आवश्यक है।

इसी प्रकार एक सड़क कौड़ीराम से गजपर तक ५ मील की है जो कछार से कौड़ी राम को मिलाती है। वह सड़क इतनी खराब है जिससे जनता को बहुत तकलीफ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कौड़ीराम और गजपुर सड़क को ले लिया जाय। इसी प्रकार से एक सड़क जिसका जिक्र गणेशप्रसाद जी ने किया कौड़ीराम से बांसगांव की है वह भी आवश्यक है। उस सड़क के बिना जनता को बेहद तकलीफ होती है। जहां सड़क नहीं वहां कोई चीज नहीं। चाहे गल्ले के आने जाने का सवाल हो या और कोई इंडस्ट्री लगाने का सवाल हो यदि वहां पर सड़क नहीं है तो वहां पर कोई सामान ठीक से नहीं पहुंच सकता है। जनता भी बहुत असविधा में रहती है। इस नाते मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर अधिक से अधिक सड़कों को बनाने का प्रयास किया जाय।

हमारे यहां एक सड़क गोरखपुर से पिपराइच है जो १३ मील की है। उसमें ४ मील का हिस्सा नहीं बना है। उससे भी जनता को बहुत तकलीफ है। इसी प्रकार से कुसुमी बाजार से कुसुमी स्टेशन तक ६ मील की सड़क है, वह भी नहीं बनी है। मैं अपील करता हूं कि इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान दें। मोती राम से झंगा बाजार तक ५ मील की सड़क है। उसकी हालत खराब है। वह सड़क बननी चाहिये, यह सड़क कछार से मिलाती है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले में सड़कों की विशेष कमी है इस पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह सरहदी जिला है। यहां पर यातायात की बहुत कमी है।

[श्री अक्षयवर सिंह]

एक सड़क नौतनवां से डुमरियागंज बन रही है। यह बहुत अच्छी सड़क है और सरकार को उसे जल्दी पूरा करवाना चाहिये। गोरखपुर में सड़कों की विशेष कमी है इस कारण विशेष ध्यान देकर उस कमी को पूरा किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पुस्तिका बंटी है उसको मैंने देखा। जहां तक इन सड़कों के बनाने का प्रश्न है स्टार ग्रिड फार्मूले के आधार पर जो सड़कें बनाई जा रही है मैं समझता हूं कि अर्ध विकसित अर्थ व्यवस्था के अन्दर अपने प्रदेश के अन्दर इस फार्मूले के आधार पर सड़कें नहीं बनना चाहिये। और इसमें कहा गया है कि अभी बम्बई में इंजीनियरों की सभा हुई और तय किया गया कि बड़े विकसित जो क्षेत्र हैं उसमें कोई गांव ८ मील से कम दूरी पर न रखा जाय। अगर आंकड़े देखें और जैसा कि बसंतसिंह जी ने कहा था जो विकसित क्षेत्र हैं उनके साथ अर्ध विकसित क्षेत्र अगर लगा दिये जायं और ज्यादा से ज्यादा सड़कें बन सकें, यह नीति फौरन राज्य सरकार को अपनानी चाहिये तो इससे अधिक लाभ होगा। ८ मील के बजाय कोई भी राज्य का गांव ढाई मील से अधिक दूरी पर न रहे और अर्ध विकसित क्षेत्रों में सड़कों की ज्यादा पैमाइश हो और ज्यादा बनें तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा विकास हो सकता है।

भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया तो यह कानूनी भ्रष्टाचार इस विभाग में चलता है। जब तक कांग्रेस की सरकार है कितनी ही आलोचना कीजिये भ्रष्टाचार सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं जा सकता। अंग्रेजी राज्य में यह विभाग स्टेट लेविल पर कायम किया गया था, इसको अब प्रादेशीय स्तर से तोड़ देना चाहिये और जिलों-जिलों में फैला देना चाहिये। जिले के स्तर पर काम होने से काफी एफिशियेंसी से काम हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा अफसर इस विभाग में है उतना ही भ्रष्टाचारी है। यह गलत है कि केवल ओवरसियर ही ५ परसेंट लेता है। एक किताब छपी है उसमें बलिया जिले के बारे में इतना झूठ छपा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लिखा है कि बलिया रिविलगंज सड़क जो कुल लम्बाई में ३० मील है वह ३७ मील दिखलाई गयी है और बनी हुई १३ मील दिखलाई गयी है जब कि ६ मील बनी है। जब एक जिले के बारे में इस तरह से रिपोर्ट है तो फिर सारी पुस्तक का क्या हाल होगा। इसी तरह से इंजीनियरों के निकम्मेपन और भ्रष्ट आचरण का सबसे बड़ा नमूना है।

दूसरे जनशक्ति योजना के अन्तर्गत हल्दी सहेतवार सड़क का जिक्र किया गया है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। वहां के इंजीनियर्स इसको बहुत मुखालफत करते हैं क्योंकि पी० डब्लू० डी० के लोगों को मिलता कुछ नहीं, केन्द्रीय सरकार की योजना है, इसलिये यह विभाग उन सड़कों को कंडेम करता है। यह तो अब ठेकेदार निर्माण विभाग होकर रह गया है और मिनिस्टरों का सगा-संबंधी निर्माण विभाग है, क्योंकि उन्हीं को तरक्की होती है, उन्हीं के गांव और घर के पास सड़कें बनती हैं और ठेकेदार ही मालामाल होते हैं। बलिया पूर्वी जिला है, आखरी हिस्सा इस राज्य का है, वहां पर आसाम से सड़क मिलती है लखनऊ की राजधानी को, उस पर अगर घाघरा में रिविलगंज घाट पर पुल बन जाय तो हमारा इंटर-स्टेट संबंध हो जायगा। फिर उजियार घाट पर पुल बनने को है। सुचेता कृपालानी वहां गयी थीं, उससे बिहार-यू० पी० का संबंध हो जायगा। वहां नाव का पुल है जिसपर ट्रैफिक का लोड सबसे ज्यादा है। गाजीपुर में पुल बनाने का प्रपोजल है, लेकिन अगर प्राथमिकता उजियार घाट को दी जाय तो ज्यादा उचित होगा। मैं चाहूंगा कि इस दृष्टि से सरकार इन सब बातों पर विचार करें और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य को जिला स्तर पर कराये, उनके काम का रुपया जिला परिषदों को दे दिया जाय, तभी इस प्रदेश का कुछ भला होने वाला है।

(व्यवधान)

श्री शुगनचन्द शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जिस वक्त आजादी मिली, उस वक्त हमारे जिले में ११८ मील पक्की सड़कें थीं, आज ३९७ मील हो गयी हैं। किन्तु यह प्रार्थना करूंगा कि जो टार्गेट था वह अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

हमारे यहां दो पुल शीघ्र पूरे होने बहुत जरूरी हैं। एक पुल हिन्डन नदी पर चरथावल थाना भवन रोड पर है। जिसका काम ६ महीने से बन्द पड़ा है। दूसरा पुल काली नदी पर मनसूरपुर शाहपुर रोड पर पुवालियान के घाट पर है जिसका काम ४ महीने से बन्द पड़ा हुआ है। सीमेन्ट वहां गया काम के लिये, मगर वह ब्लैक में बिक गया। इसकी मंत्री जी जांच करायें और यहां पर काम तुरन्त चालू करायें।

शाहपुर ब्लाक में कोई भी पक्की सड़क नहीं है। यह बहुत पैदावार का इलाका है। इसलिये यहां सिसौली से अंचौली वाया शाहपुर सड़क बना दी जाय तो इससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। इससे ६०–७० हजार लोगों को लाभ पहुंचेगा। यहां पर इसके होने से शाहपुर मन्डी को भारी लाभ होगा और शाहपुर के पीतल व कांसे का बर्तन उद्योग को भी लाभ पहुंचेगा। गढ़मुक्तेश्वर मेले में भी लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। पुरकाजी लक्सर रोड पर धुंवाला पुल भी बनना बहुत जरूरी है। उसके बनने से खादर के इलाके को बहुत लाभ पहुंचेगा। एक सड़क और है सिकेड़ा-मनसूरपुर–शाहपुर, यह सन् ४४ से बन रही है। इस पर मिट्टी आदि भी पड़ चुकी है। मगर वहां का काम पूरा नहीं हुआ है। इस सड़क को भी तुरन्त पूरा कराया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विभाग द्वारा हमारे जिले के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया गया है। मैं खास तौर से दुआबा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। इलाहाबाद में जितने निर्माण के कार्य हुए हैं, नलकूप लगे हैं, ग्रामोद्योग खुले हैं, वे सब गंगापार नेहरू जी के क्षेत्र में ही खुले हैं। दुआबा में कोई काम नहीं हुआ है। तहसील मंझनपुर जो बुन्देलखंड से मिलती है उसके पश्चिमी हिस्से में भरवारी महेबाघाट सड़क पक्की करायी जानी चाहिये। वहां न अस्पताल है, न तार है और न आवागमन का कोई साधन है। कांग्रेस सरकार के १६ साल के शासन में कोई कार्य नहीं हुआ है और जनता विभिन्न विभागों से ऊब चुकी है। उसके परिणाम स्वरूप जनसंघ ने १८ तारीख से विभिन्न स्थानीय संस्थाओं के दरवाजों पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मान्यवर, मंझनपुर, भरवारी, करारी और कौशाम्भी जाने वाली सड़क अभी वैसे ही पड़ी हुई है। करारी भरवारी सेंटर है, वहां पर सड़क अवश्य बननी चाहिये। सराय आकिल से मंझनपुर–सिराथू एक सड़क बनने जा रही है जिसके लिये बड़े-बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, मकान गिराये जा रहे हैं। ओवरसियर और छोटे कर्मचारी गांव वालों से यह मांग कर रहे हैं कि अगर वे उनको रुपया दें तो सड़क का रास्ता बदला जा सकता है। इस प्रकार की अनैतिकता इस विभाग में चल रही है।

मंझनपुर यद्यपि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लेकिन वहां पर कौशांभी जैसे प्रसिद्ध बहुत से स्थान हैं। कौशाम्भी, सराय अकिल महेबा घाट की सड़क का काम जल्दी पूरा किया जाय।

सराय अकिल से महेबा घाट सड़क पक्की बनायी जाय। यहां से बांदा को सड़क जाती है। करारी से शाहपुर की सड़क बनायी जाय। भरवारी से करारी, और करारी से

[श्री नाथूराम शिक्षक]

महेबाघाट सड़क जल्दी बनायी जाय। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। करारी-कौशांभी रोड पिछले साल से बन रही है लेकिन अभी तक उस पर मिट्टी ही पड़ पायी है और केवल भीतरी भाग में ७-८ मील ही सड़क अभी बनना शुरू हुआ है। इसी तरह से सिराथू वाली सड़क भी बहुत जरूरी है, बननी चाहिये। भरवारी से महेबाघाट सड़क पर जो गिट्टी पड़ रही है वह ८० मील दूर से लायी जा रही है जिसकी ढुलाई १५० रुपया प्रति ट्रक देना पड़ रही है। अगर इस सड़क के लिये पवोसा की पहाड़ी, जो बहुत ही पास है उससे अगर मिट्टी लायी जाय तो बहुत सस्ती पड़ सकती है। इसकी तरफ पी० डब्लू० डी० का ध्यान जाना चाहिये और इन कामों को बारिश से पहले ही कर देना चाहिये।

श्री देशराजसिंह (जिला बांदा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं इस बात के लिये दुःख प्रकट करता हूं कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है जिसके लिये बहुत छोटी मांग की गयी है जब कि हर जिले से यह मांग की जाती है कि हमारे यहां यह काम होना चाहिये, हमारे यहां वह काम होना चाहिये। हर जगह सड़कों की कमी है फिर भी आज सदन में जो मांग की गयी है वह बहुत ही कम है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। बांदा-बबेरू रोड बहुत पुराना है जिस पर काम कुछ न कुछ होता है, लेकिन जो काम होता है वह दो महीने भी नहीं चल पाता। सड़क को पुख्ता करने की नीति सरकार की है और उसी के अन्तर्गत सड़क को चौड़ा भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस पर कोई काम नहीं किया जा सका है जिससे सड़क ज्यादा मजबूती पकड़ सके। इसी तरह से मुरवल के पुल के लिये भी पिछली बार श्री गिरधारीलाल से मैंने कहा था और वर्तमान मंत्री रावत जी से मैंने कई बार प्रार्थना की, मौखिक रूप से और लिखित भी कि हर साल बारिश के दिनों में वह पुल टूट जाता है जिससे यातायात के साधन रुक जाते हैं, इसलिये उस पुल को बनवा दिया जाय ताकि यातायात न रुक सके। लेकिन आज तक सरकार के इस विभाग ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस पुल का इस बारिश के पहिले जीर्णोद्धार करा दें।

दूसरी बात यह है कि सड़कों को जो प्रायरिटी दी जाती है वह डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और पार्टी बेसिस पर कभी-कभी दी जाती है जो बहुत ही गलत है। जहां पर जिस पार्टी का बहुमत होता है वहां की सड़क तो प्रायरिटी में आ जाती है लेकिन वास्तव में कभी-कभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क होती है और जिसको बनाना बहुत आवश्यक होता है यह योजना में नहीं आ पाती। बबेरू-मार्का सड़क जो १४ मील की है उसको पक्की करने के लिये पहली पंचवर्षीय योजना में तथा इधर कई बार प्रार्थना की गयी लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही बबेरू के दक्षिण का, जिस सड़क का मैं जिक्र कर रहा हूं, यह वह इलाका है जो बहुत ही जरखेज है और जो बांदा जिले में अपना प्रथम स्थान पैदावार में रखता है। हमारे यहां की धान की अतर्रा मंडी जो मशहूर है, इसी बबेरू इलाके की देन है। मर्का पुलिस स्टेशन है और हमारे यहां का यह बहुत बढ़िया इलाका है लेकिन वहां यातायात के साधन नहीं हैं, वहां दिन दहाड़े कत्ल होते हैं और लाशों और डाकुओं का कोई पता नहीं लगता और कोई ध्यान इधर नहीं दिया गया है।

हमारे बांदा जिले की सप्लाई कानपुर और फतेहपुर जिले से होती है और वही जिले बांदे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लेकिन आने जाने की सुविधा के लिये वहां कोई पुल नहीं है और बसें और ट्रैफिक ४ मास के लिये बरसात में रुक जाता है। मैं चाहता हूं कि फतेहपुर--कानपुर बांदा को जोड़ने के लिये पुल का निर्माण किया जाय। बबेरू-अवगासी-फतेहपुर रोड भी पक्की है और इसलिये जमुना नदी पर चिल्ला या अवगासी पर पुल बनाया जाय, यह बहुत

महत्वपूर्ण पुल है जिसका बनाना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमीरपुर को भी बांदा से कनेक्ट किया जाय, वहां केन नदी पर पुल बनाया जाय चूंकि वहां पर सारा ट्रैफिक रुक जाता है। नागपुर योजना के अनुसार भी बांदा में सड़कों का निर्माण बहुत कम हुआ है। वह एक बैकवर्ड जिला है और वहां आये दिन कत्ल, डकैती, चोरी होती हैं और कई यातायात के साधन नहीं हैं. ऐसे जिले की तरक्की क्या हो सकती है? मंत्री जी बांदे जिले की ओर कृपा दृष्टि करें और उसके साथ सौतेले भाई जैसा व्यवहार न करें और अब तक जैसा व्यवहार हुआ है वैसा व्यवहार उम्मीद है वह न करेंगे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली व दूसरी योजना समाप्त हो गई, तीसरी चालू है, उसका भी कुछ समय गुजर गया लेकिन अब तक हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी। हमारे यहां गन्ने की पैदावार अधिक है और कप्तानगंज, पिपराईच और सरदारनगर की ३ गन्ना मिलें हैं। उसी में हमारे यहां का गन्ना जाता है। केवल एक सड़क ५–६ मील की सरदारनगर की बनी है और उसके अलावा एक भी सड़क नहीं बनी है। हम लगान नहीं देते या टैक्स नहीं देते, क्या बात है? जहां से मंत्री जीतकर आते हैं वहां तो काम हो जाता है लेकिन हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब हमारे नये मंत्री जी हुए हैं। शायद पक्षपातरहित हैं और न्यायपूर्वक हर क्षेत्र में निर्माण कार्य करेंगे।

देवरिया जिला तो बहुत पिछड़ा हुआ है। उसमें सबसे पिछड़ा हुआ स्थान हाटा है। हाटा से एक सड़क कप्तानगंज जाती है। दूसरी सड़क हाटा से, जो कप्तानगंज तक जाती है उसमें से एक सड़क झंगा, पैकोली, भैंसही होती हुई पिपराईच चली जाती है। दूसरी सड़क पैकोली से मंगलपुर से सुनिया, बिसुनपुर होती हुई खैरटवा घाट तक जाती है। वे बहुत पुरानी और कच्ची सड़कें हैं इनका पक्का होना बहुत जरूरी है। इनके अतिरिक्त एक हाटा डाक बंगले से निकल कर थरूआ डीह पिपराइच होते हुए खोट्ठां जाती है। इसके साथ ३–४ पुलों का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है, एक दोरांची पर एक नाला है, दूसरा मझने नाला है जो कि सिकटा खैरटेवा रोड पर से होकर जाती है। इसके अलावा गंडक पर एक पुल होना चाहिए। एक सड़क जिला बुलन्दशहर में बुगराकी है। यह सड़क बहुत जरूरी है और इसे भी बन जाना चाहिए। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इनकी ओर ध्यान देंगे और इनको बनवाने का कष्ट करेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र—

बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमन्, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। इन्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेंट माननीय श्री कामराज का जो बयान अध्यक्ष पद से हुआ है भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के नाते और कांग्रेसमैन होने के नाते मेरा अपना फर्ज है कि इन्तिहाई ईमानदारी से उसपर प्रकाश डालूं जो जनहित के विरुद्ध काम होते हैं उनके प्रति मेरा धर्म है कि मैं अपने विचार रखूं। महात्मा गांधी की भी सत्य के ऊपर नींव आधारित थी इसलिये सत्यता के साथ आपके सामने बयान करता हूं। पी० डब्लू० डी० के माने मैंने लगाया प्लन्डर विदाउट डिटेक्शन। इसका मतलब क्या है, मैं यह आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में यह एक ऐसा महकमा है जिसका रिश्वत ११-१/२ सिस्टमेटिक बंधी है। ११-१/२ प्रतिशत, में से ५ प्रतिशत ओवरसियर लेता है ३ प्रतिशत ओकिंग इंजीनियर, २ प्रतिशत एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और १ १/२ प्रतिशत ओफिस एस्टैब्लिशमेंट लेता है। यह लीगल है इसके अलावा साझेदारी ठेकेदार के साथ, सीमेन्ट कोयला आदि में लम्बी रकमें अलग हैं इस महकमे में ३१-१४ लाख में तन्खवाहों और एलाउन्सेज को निकाल कर ११ १/२ परसेन्ट माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री लीगल रिश्वत में और

[श्री जे० पी० मिश्र]

बढ़ा दें ताकि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में स्वीकृत धन का दुरुपयोग न हो। घटाने को नहीं कहूंगा क्योंकि उससे हित नहीं होगा।

हरदोई के मामले को चीफ मिनिस्टर की जानकारी में लाया गया है और उसे टेक अप कर लिया गया है। ४ एम० एल०एज० तथा जिला परिषद् के चेयरमैन की शिकायत पर भी इस महकमे ने कोई ध्यान नहीं दिया गया, टेन्डर होकर हायर रेट पर दिये गये हैं। पीसमील में परसेन्टेज लिया जा रहा है, फर्जी सड़कें बनायी गयी हैं लेकिन मौके पर नहीं बनीं। एक टीमें फर्जी ठेकेदारों को रखी जाती है। मुरादाबाद से सफीपुर १७ मील है और ३ दफा सड़क ६-७ वर्षों में काफी मोल कागज पर बन चुकी है।

नन्दा जी ने बीड़ा उठाया है कि यदि २ वर्ष में भ्रष्टाचार का अन्त नहीं होगा तो पब्लिक लाइफ से हट जायेंगे। कांग्रेसमैन के नाते अगर इस विभाग से भ्रष्टाचार हटाने में हम सफल नहीं हुये तो मैं चुनाव लीक नहीं करूंगा। हजारों मजदूरों व कर्मचारियों का इस महकमे के जरिये शोषण हो रहा है। पूंजीपतियों से ज्यादा शोषण यह महकमा करता है मजदूरों व कर्मचारियों का।

श्री के० के० दास, चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि व्यक्तिगत या पूरा विभाग कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिये विजिलेंस कमीशन बैठा है। मेरा कहना यह है कि यह पूरा विभाग विजिलेंस कमीशन के सुपुर्द किया जाय क्योंकि यह महकमा अरबों रुपया खा गया है सरकारी इमारतों, पुलों तथा सड़कों के निर्माण में। इस महकमे के लिये सब पार्टियों की ओर से एक सब कमेटी बनायी जाय ताकि हम देख सकें और जांच कर सकें और जो रिपोर्ट में प्रस्तुत करें उसे उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार करे तभी भ्रष्टाचार का अन्त हो सकता है।

*श्री प्रेम सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, जो शब्द मैंने पिछले वर्ष इस विभाग के लिये इस्तेमाल किये थे "प्लंडर विदाउट डेंजर" उन्होंने दूसरे इस्तेमाल कर दिये। किसी की बुराई करना अपना धर्म नहीं, लेकिन जब कमियां होती हैं तो जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। मेरा एक सुझाव है कि सरकार की नीति ऐसी हो जिससे मुल्क का फायदा हो। हमारी जमींदारी चली गयी लेकिन ऐसा न हो कि सरकार चली जाय। गरीब किसान अपने गल्ले को लेकर ऐसी सड़कों पर आता है जिसका जिक्र करना मेरे लिये मुश्किल है। उनसे पूछना चाहिये जो उस पर सफर करते हैं और कांग्रेस सरकार को दोहाइयां देते हैं कि इस राज्य में ऐसी सड़कें भी हैं कि अगर गर्भवती स्त्री उस पर चली जाय तो शायद मेरे खयाल से उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं यह चाहूंगा कि बार्डर एरिया पर पहले ध्यान दिया जहां से हमारे चीनी भाई आना चाहते हैं और हमको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यह तो कहिये खुशकिस्मती है कि पहले से सड़कें नहीं बनी थी जिससे वह आ सकते, लेकिन हेलीकॉप्टर से भी वह तशरीफ ला सकते हैं हम लोगों को नीचा दिखाने के लिये। तो हम चाहते हैं कि इस मुहकमे में कोई बनिया न रखा जाय बल्कि कोई राजपूत, ठाकुर, या मुसलमान रखा जाय, जिसमें कि इस तरह से लेन-देन न चल सके।

अब मैं अपने जिले बहराइच और अपने क्षेत्र चर्दा की बात कहूंगा कि वहां की सड़कों के ऊपर जरा ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी जो एक सुलझे हुये आदमी हैं जरूर हमारी कांस्टीट्यूयेन्सी की सड़कों की तरफ ध्यान देंगे और उसके लिये मैं सदा ही उनका आभारी रहूंगा क्योंकि जब मैं लौटकर अपनी कांस्टीटुयएन्सी में जाऊंगा तो पहले ही जूते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ेंगे कि भाई जान, आपने हमारे लिये क्या किया। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मैंने सिवाय सायरी सुनाने के और कोई काम नहीं किया। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बेचारे गरीब सड़कें पाट रहे हैं उनको दस आना मिलता है, उस रेट को बढ़ा दीजिये और हम लोगों को तो खत्म ही कीजिये तो बेहतर है, लेकिन उन गरीबों का तो भला कर दीजिये। इतना कर दीजिये कि कम से कम अपनी कांस्टीटुयेंसी में मुंह तो छिपा सकूंगा, यह तो कह सकूंगा कि हमने यह कहा और यह किया। अब मैं अपने यहां की सड़कों के लिये क्या कहूं ? महीपुरवा, कतरनियाघाट और जमनहा आदि कितनी सड़कों का नाम मैं लूं। यह तो सरकार के ऊपर है जितना प्रबन्ध कर सकती है उतना वह करे और पूरे प्रदेश में हर एक जगह से ऊपर वह ध्यान दे। अब मैं दूसरे सदस्यों को मौका देता हूं।

*श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सन् ४७ के बाद हम देखें तो मालूम पड़ेगा कि कितना निर्माण का कार्य हुआ है। रिहैंड डैम में तीन मील का इतना बड़ा पुल बना हुआ है और बिहार की तरफ भी पुल बना है। आप कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है। काम बहुतेरा हुआ है, जितना रुपया दिया जायगा, उतना ही तो काम होगा। रुपया दो कम और काम लो ज्यादा तो कम कैसे हो सकता है ? हमारे भाई साहब ने भ्रष्टाचार की बात कही। भ्रष्टाचार जरूर होता है। यह मैं नहीं कहता कि सब लोग ईमानदार है। लेकिन आप अपनी तरफ से देखिये कि हम कितने ईमानदार हैं। इंसान को चाहिये कि पहले वह ईमानदार बने, उसके बाद वह दूसरों को ईमानदार बना सकता है। अगर मिनिस्टर्स और एम० एल० एज० ईमानदार हो जायं तो कर्मचारी की जुर्रत नहीं है कि वह गलत काम करे। वह कहीं बाहर से नहीं आये हैं। इनको क्या तनख्वाह आप देते हैं छोटे कर्मचारी को या बड़े कर्मचारी को, उनके खयालात क्या हैं उनकी भी जानकारी करनी चाहिये। आप अपने को देखते हैं और दूसरों पर लांछन लगाते हैं।

अब मैं रामपुर की बात कहता हूं। वह सबसे बैकवर्ड एरिया है, इसलिये कि वह स्टेट में रहा है, वहां सब सड़कें खराब हैं। २२९ मील सड़कें वहां बनने की हैं। रामपुर की ओर विशेष ध्यान मंत्री जी का जाना चाहिये इसलिये कि वह सबसे बैकवर्ड एरिया है। हालत वहां ऐसी है कि हम जिस वक्त दिल्ली को जाते थे रास्ते में ऐसी सड़कें मिलती हैं कि नदियां हैं नाले हैं, उन पर उतरा नहीं जा सकता है बरसात के मौसम में। काम तो हुआ है लेकिन जिस काबिल होना चाहिये था उस काबिल नहीं हुआ क्योंकि उस काबिल रुपया नहीं मिला। जितना रुपया मिलेगा उतना होगा।

कमीशन की बात मिश्र जी ने की। ठीक है, बेईमान कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन सब बेईमान नहीं हैं। 'ऐसे लोग हैं जिन्होंने १२ बजे रात तक भी कल या परसों ही हमारे कमरों में काम किया है। इतनी मेहनत से काम करने वाले लोग भी हैं। तो जो बेईमान हैं उनको सजा मिले लेकिन सबको कहना कि बेईमानहै उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री मतोला सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखपत राम शर्मा--

श्रीमान्, लाख रुपयों का गोलमाल हैं। मैं बाकायदा सबूत के साथ आंकड़े पेश करूंगा। मुझे बोलने दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

समय नहीं है। मतोला सिंह जी दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठेकेदारों की बात की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर ठेकेदारों को ज्यादा सुविधा हमारे यहां दी जाती तो काम अधिक होता और सुविधा के साथ होता।

अक्सर सड़कों पर गैंगमजदूरों के रहते हैं। उनकी तनख्वाह बहुत कम है। यदि सरकार उचित समझे तो रोजाना वालों की तनख्वाह बढ़ा दे।

बांदा हमीरपुर सड़क पर ध्यान देने की जरूरत है। बरसात के दिनों में सड़क बहुत खराब हो जाती है। सड़कों पर काम बन्द हो जाता है। सरकार अगर उचित समझे तो एक पानी की टंकी का प्रबन्ध कर दे तो गरमी में पानी मिल जाने पर उसमें छोटी बड़ी गिट्टी डालकर सड़क को ठीक कर सकते हैं और पानी मिल जाने पर सड़क का काम सुचारु रूप से चल सकता है। इसके अलावा एक सड़क कूटने के लिये रोलर इंजिन दे दिया जाय तो काम चल सकता है।

एक सुझाव यह है कि बांदा के असिस्टेन्ट इंजीनियर कानपुर में रहते हैं। तो मेरा सुझाव है कि अविलम्ब उनको अलग कर दें। असिस्टेन्ट इंजीनियर की कतई जरूरत नहीं है।

अब मैं खास सड़कों की तरफ आता हूं। बांदा से पहाड़ी एक सड़क है। जब बरसात में नहर में पानी भर जाता है तो लोग मंडी से अपना गल्ला नहीं ले जा सकते हैं। इसलिये इस सड़क को बनवाने की बहुत जरूरत है क्योंकि यह सड़क ऐसी है तो वेलगांव, बसंडा और ओरन को जोड़ती है।

इस सड़क पर ४ बड़े-बड़े गांव पड़ते हैं। वेलगांव, बसंडा, कुरही और औरन ये बड़े गांव हैं। अगर सड़क बन जाय तो इनकी मंडी तरक्की कर सकती है। इसी से इस इलाके की तरक्की हो सकती है क्योंकि वह धान का एरिया है।

दूसरी सड़क खागा से किशनपुर तक पक्की बन चुकी है। इस पार दांदोघाट है। यह कमासिन, छिडोलर और ओरल होते हुये अतर्रा मिलाती है। यदि यह सड़क बन जाय तो फिर सीधा रास्ता हो जाय बम्बई और सतना से। एक और सड़क है जिस पर डाकू बहुत आते हैं, चित्रकूट से कालिंजर तक। यह सड़क भी जरूरी है। यह मध्य प्रदेश तक पक्की बन चुकी है। अगर सरकार इसको बनवा दे तो बहुत लोगों को सुविधा हो जाय और डाकुओं का भी भय कम हो जाय। उस पर आमद रफ्त ज्यादा हो जायगी और लोगों को खतरा नहीं होगा।

एक सड़क चित्रकूट स्टेशन से कामद गिल तक है। यह सड़क २ मील की है। इस सड़क को यदि बनवाया जाय तो इसके लिये पी० डब्ल्यू० डी० को अपने पास से कोई पैसा खर्च नहीं करना है। सरकार जो यात्री कर वहां से वसूल करती है उससे यह सड़क बना सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस २ मील की सड़क को सरकार बनवाने की कृपा करे। अगर इस सड़क को इसी साल बना दिया जाय तो और भी जनता के लिये उपकार होगा।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमान्, कई लाख रुपये का गोलमाल है, मेरे पास उसके आंकड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दीजिये।

(अवधाम)

श्री बसन्तसिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन समस्त सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया।

(व्यवधान)

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने मेरे काम को बहुत सुगम कर दिया। मैं आशा करता था कि संभवतः कुछ ऐसे सुझाव प्राप्त हो सकेंगे जिससे मुझे अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़े। परन्तु अधिकतर सुझाव ऐसे आये जो मेरे विचारों की पुष्टि करते थे। अधिकतर यही कहा गया कि यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है और इसको समाप्त कर दिये जाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। मैंने जैसा सुझाव दिया था कि एक बाडी कायम की जाय जो विभागसे इंडिपेंडेंट हो उसका भी समर्थन किया गया। जो कहा गया है कि टेक्निकल आडिट सेल कायम है तो जो भी वह काम करता है वह नगण्य है। इसलिए विभाग से इंडिपेन्डेंट एक बाडी टेक्निकल एक्सपर्ट की हो जिसमें जनप्रतिनिधि भी हों।

यह कहा गया कि पी० डब्ल्यू० डी० को तोड़ कर यह काम अगर जिला परिषदों को दे दिया जाय तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि स्थानीय निकायों द्वारा जो सड़कें बनती हैं वे पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों से भी ज्यादा खराब होती हैं, बल्कि उनको दिया गया अनुदान किन्हीं और मदों पर व्यय कर दिया जाता है। उनके पास टेक्निकल गाइडेंस नहीं होती। जब तक पूर्णरूप से स्थानीय निकायों की सड़कों को पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत न ले सकें तब तक उनको यह डिपार्टमेंट टेक्निकल गाइडेंस देता रहे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अधिकारियों की ठेकेदारों से जो परसेंटज फिक्सड है तो लोग उसे वालंटरिली कम कर दें–यह संभव नहीं हो सकता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम लोग ईमानदार बनें। ठीक ही है कि एम० एल० एज० और मिनिस्टर सब ईमानदार बनें लेकिन कोई ऐसी सीमा या अवधि नियत नहीं की जा सकती कि जब तक सारे एम०एल०एज और मिनिस्टर ईमानदार बन जायं तब तक कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने की छुट्टी मिल जाय। मैं नहीं कहता कि सब कर्मचारी बेईमान हैं लेकिन हम सभी का कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाय। आज मेरे विचार से नेतावाद का युग समाप्त हो गया है। मैं सोचता हूं कि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। जिनके हाथ में एक्जीक्यूटिव पावर है, जो मिनिस्टर हैं उनकी भी विभाग उपेक्षा करता है, एम०एल०ए० की तो बात ही क्या है। तो जिन माननीय सदस्यों को भ्रम हो उनको भी सोचना-समझना पड़ेगा कि वह किस स्थिति में हैं।

एक सुझाव आया था कि निर्माण का काम भारत सेवक समाज या कोआपरेटिव को दे दिया जाय, इस से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। कोआपरेटिव मूवमेंट समाज में मान्यता रखता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समाज के सहयोग बिना वह काम नहीं कर सकता लेकिन जिस तरह से उसको चलाया जा रहा है वह पूर्णरूप से नहीं तो आंशिक रूप से अवश्य असफल रहा है। अधिकांश उसमें फर्जी मेम्बर होते हैं। एक आदमी मुख्य होता है जो रिश्तेदारों के नाम लिखा कर, उनको मेम्बर बना कर सोसाइटी रजिस्टर करा लेता है और गवर्नमेंट से अनुदान स्वीकार करा लेता है। आपको ९० प्रतिशत बोगस सोसाइटीज मिलेंगी।

हम जल्दी में अगर कोआपरेटिव का जाल बिछायेंगे तो काम और भी खराब होगा। जो भी काम हम करें वह समझ कर करें, जितना हो सके उतना करें।

मेरा सुझाव यह है कि कुछ काम तो विभाग करे, मगर कुछ काम जो कम्पनीज कर सकती हैं यह उनको दे दिया जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलों के बनाने पर बहुत जोर दिया जाय। बिना पुल के सड़कें बेकार रहती हैं। बिजनौर में नगीना से बढ़ापुर एक सड़क जाती है जो बीच में पुल न होने के कारण बेकार पड़ी है। मेरा यह भी सुझाव है कि जो अविकसित क्षेत्र में वहां वन लेन ब्लैक टाप सर्फेस सड़क होना चाहिये और जहां भारी ट्रैफिक

[श्री बसन्तसिंह]

आदि चलता है वहां टू लेन वाली सड़क होना चाहिये। ग्रामों में स्टैन्डर्ड ड्रेनेज की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। अगर रिसर्च वर्क की ओर ध्यान दिया जाय तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। हमको सड़कें बनाने के लिये लो कास्ट मैटीरियल की खोज करनी चाहिये। जो मैटिरियल यूज हुआ है उसकी टेस्टिंग भी हमको करना चाहिये। स्वायल इस्टैबिलाइजेशन, अनुसंधान, और लैंडस्लाइड की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। जहां पर सड़कों की आवश्यकता हो वहां पर पहले बनाना चाहिये।

एक सूचना यह भी दी गयी कि इस विभाग में कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है। मुझे पता यह लगा कि स्थायी नहीं किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार उनकी सेवाओं को स्थायी करे। जिन लोगों के पास पूरे समय के लिये काम नहीं है उनको छोड़ कर जिनके पास बराबर काम रहता है उनको स्थायी किया जाय और किसी से बेगार न ली जाय।

अब मैं कुछ बातें अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। अब तक जो भी मिनिस्टर पी० डब्लू० डी० के रहे हैं वे बिजनौर के ही रहे हैं, इस कारण वहां सड़कें तो बनी हैं, जो टार्गेट था वह भी पूरा हो गया है, मगर जहां पर सड़कें बननी चाहिये वहां नहीं बनी हैं। जो क्षेत्र बार्डर से मिलते हैं और जहां से बाराहोती थोड़ी दूर पर ही है वहां पर सड़क का बनना जरूरी है। जिन सड़कों के बनाने से दोनों की सामग्री का अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन हो सकता है वहां पर सड़क पहले बनाना चाहिये। नगीना से कोर्ट कादर तक तथा नगीना से फिरथपुर तक सड़कों का बनाना बहुत जरूरी है। नगीना से बढ़ापुर जाने वाली सड़क पर एक पुल का बनाना जरूरी है। यहां खो नदी पर पुल बनाने से वनों की सामग्री लाने में बहुत सुविधा होगी।

इसी तरह से एक सड़क गढ़ी से कल्लू वाला को जाती है। वह भी बड़ी आवश्यक सड़क है। अन्त में मैं उन माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया और उनका भी जिन्होंने विरोध किया।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, माननीय बसंतसिंह जी को आपने केवल १२ मिनट दिये। भला इतनी देर में क्या कहा जा सकता है जब कि विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपको तो इस मामले में उदार होना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---

अब और समय ही कहां है। मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री जगनप्रसाद रावत---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। सदन में आज जिस प्रकार से आलोचना हुई है वह इस सदन के योग्य ही रही। जितनी बातें कही गयीं, मैं विश्वास करता हूं वे सारी बातें विभाग और सूबे की बेहतरी की दृष्टि से ही कही गयीं। किसी को भी अपने विभाग की आलोचना कड़वी लग सकती है लेकिन मेरे दिल में यह बात है कि जो कुछ कहा गया है वह देश और सूबे की भलाई के लिये ही कहा गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि वह कड़वी बात भी मुझे मिठास दे सकेगी। जो कुछ सदन में कहा गया है उसको मैं दो विभागों में विभक्त करता हूं। एक तो सुझाव जो थोड़े और बहुत माननीय सदस्यों ने दिये, दूसरे व्यक्तिगत सुझाव और शिकायतें हैं। अपनी बात कहने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला है उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि वे जो सुझाव देंगे उनको मैं वही महत्व दूंगा जैसा कि सदन में कहने पर महत्व देता हूं।

जो व्यक्तिगत सुझाव दिये गये हैं उनके बारे में सब के लिये अलग-अलग उत्तर देना तो मेरे लिये संभव न होगा। मैंने उन सब सुझावों को नोट कर लिया है, मैं उनके सम्बन्ध में जानकारी हासिल करके, प्रत्येक सदस्य को बुलाकर उनको वस्तु स्थिति बताने की कोशिश करूंगा और विभाग द्वारा या मेरे द्वारा जो भी संभव हो सकेगा वह करूंगा ।

जहां तक व्यक्तिगत शिकायतों का सवाल है, जो माननीय सदस्यों ने अपनी निजी जानकारी के आधार पर कीं, इस समय उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास उनकी तफसील नहीं है, इतनी जल्दी उनके सम्बन्ध में सूचना भी नहीं मंगा सकता था, लेकिन जो भी शिकायतें बतायी गयी हैं उनके बारे में उन से मिल कर बातें करके और उनकी जांच कराने की कोशिश करूंगा ।

एक बात जो हमारे हरदोई के माननीय सदस्य ने कही उसके बारे में कह दूं। उनकी वह शिकायत पुरानी थी। उस सम्बन्ध में उनके कुछ रिमाइंडर्स भी आये। एक बार सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने जांच की, दोबारा एडिशनल चीफ इंजीनियर ने जांच की। उस फाइल को मैंने भी देखा, मुख्य मंत्री ने भी देखा और मैं स्वयं विभाग के दो इंजीनियरों को लेकर हरदोई यह देखने के लिये गया कि काम नहीं होने की जो शिकायत है, उसमें असलियत क्या है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं माननीय सदस्य हरदोई की राय से इत्तफाक नहीं कर सकता। अब इसके लिये मेरे पास कोई चारा नहीं है।

अब जो आम सुझाव दिये गये हैं उसके सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह तो सही बात है कि हमारे सूबे में सड़कों का बहुत अभाव है। जो कुछ सड़कें १५–१६ वर्षों में बनी हैं उससे तो सड़कों की एक भूख बढ़ गयी है लेकिन सड़कों की पूर्ति नहीं हो सकी है। अंग्रेजी हुकूमत में जब सड़कें नहीं थीं तो लोगों को सन्तोष था लेकिन जब १०–२०–५० जगह सड़कें बनीं तो जिनके क्षेत्र में सड़कें नहीं बनीं उनका असन्तोष होना स्वाभाविक है कि आखिर उनके यहां कोई सड़क क्यों नहीं बनी। वह तो सही है कि सूबे के हर व्यक्ति को चाहे वह किसी भी क्षेत्र का है, उसको वही सुविधा पाने का हक है जो कि सूबे के किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे देशों की भी मिसालें दी गयीं। यह बात सही है कि दूसरे देशों की सड़कों व पुलों की स्थिति इतनी भिन्न है कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैंने यूरोप के बहुत से देशों को देखा है। वहां के किसानों की हालत मैंने यह देखी कि किसान के खेत और उसके घर सड़क के द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। हम भी चाहते हैं कि भगवान वह शुभ दिन लाये कि हम अपने देश में भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकें।

यह बात सही है कि इस विभाग द्वारा सड़कों और पुलों के लिये जो मांग की गयी है वह कम है। मैं तो ज्यादा रुपया मांगने की स्वाहिश भी करता था और आशा करता हूं कि आप सभी माननीय सदस्य मौजूद हैं और माननीय वित्त मंत्री जी भी मौजूद हैं, आप उनसे मेरी तरफ से सिफारिश भी कर देंगे और जितना रुपया भी ये देंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस रुपये को सरेंडर करने का आदी नहीं बनूंगा और उसे विभाग के काम में इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह भी देखना है कि इनके हाथ में कितनी पूंजी है, कुछ रुपया सेंटर से आता है, कुछ यहां से आता है और फिर जब पूरा नहीं पड़ता है तो टैक्स लगाने का प्रश्न आता है। जब टैक्स लगाने का प्रश्न आता है तो फिर कठिनाई होती है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जितना भी सम्भव होगा हम उसे करने की कोशिश करेंगे ताकि आप की इच्छा की पूर्ति हो सके।

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वह बहुत पहले बन चुकी थी। हम हर साल जो रुपया मांगते हैं, पहले से जो काम शुरू हो गया है उसको पूरा करने के लिये ही मांगते हैं। बहुत थोड़ी-सी रकम जैसे दाल में नमक के बराबर-उतना ही हम नये कामों के लिये मांगते हैं। चूंकि पैसा थोड़ा है और आप की मांग ज्यादा है, तो यह कठिनाई हमारे सामने है। फिर भी थोड़ी-सी सहूलियत हमें रूरल मैन पावर स्कीम से मिलती है और उस स्कीम

[श्री जगनप्रसाद रावत]

के अन्तर्गत जो रुपया हमें मिलता है उसे केवल देहातों में ही खर्च करते हैं। साथ ही जिस देहाती क्षेत्र के लिये जो रुपया होगा वह उसी क्षेत्र में खर्च होगा, उसे हम किसी और स्थान पर खर्च नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारी यह भी कोशिश होगी कि उसी क्षेत्र के मजदूरों को लेकर हम काम करावें, कहीं बाहर से मजदूर न बुलावें जिससे कि उनको भी रोटी मिल सके।

एक सदस्य—

मिश्रा जी ने जो वर्क चार्जमैन व १२ परसेंट वाली बात कही, उस सम्बन्ध में भी तो कुछ कहें।

श्री जगनप्रसाद रावत—

उस पर भी मैं आता हूं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कच्ची सड़कों पर पुल नहीं हैं। हमारे विभाग की अब तक की यह नीति रही है कि जहां सड़कें हमारे पास न हों वहां पुल न बनावें। कुछ कारण भी उन्होंने दिये। जहां सड़कें नहीं होतीं वहां पुलों का रख-रखाव कठिन होता है और कच्ची सड़कें भी नहीं हैं और पुल भी नहीं हैं और इस तरह वह बिलकुल ही उपेक्षित रहतीं हैं। यह बड़ा मुनासिब सुझाव है और इस पर हम विचार करेंगे कि कच्ची सड़कों पर भी जहां हम पक्की नहीं बना सकते कुछ दिनों तक, वहां भी हम पुल बनायें और असम्भव की बात तो दूसरी है, लेकिन जो भी कठिनाइयां इसमें होंगी और जहां सम्भव होगा, हम कच्ची सड़कों पर भी, जो व्यापक क्षेत्र में आती हैं, पुल बनाने की कोशिश करेंगे।

श्रमदान रोड्स का भी जिक्र हुआ, इस सम्बन्ध में सरकार की एक नीति निर्धारित की गई है और हम कोशिश करेंगे कि श्रमदान से जो सड़कें पक्की हुई हैं उनके रख-रखाव के लिये हम ज्यादा से ज्यादा दे सकें ताकि वह टूटें नहीं। एक जिक्र यह हुआ कि सड़कों को चौड़ा करना जरूरी नहीं है और पुराने जो पुल हैं उनको तोड़ कर नये बनाने की जरूरत नहीं है। साधारणतः यह सही बात मालूम होती है लेकिन सड़कों को चौड़ा करना लाजमी तब हो जाता है जब कि पोजीशन यह होती है कि आरम्भ में ९ फुट की सड़क बनी थीं। उस समय के ट्रैफिक और आज के ट्रैफिक में बड़ा अन्तर है। दूसरे इन सड़कों की चौड़ाई कम है और उन पर हैवी ट्रैफिक चलता है और नतीजा यह होता है कि वह हैवी ट्रैफिक सड़कों को एक ही स्थान पर बराबर काटता है, अगर सड़क चौड़ी होती है तो भिन्न-भिन्न स्थानों पर उसका दबाव पड़ता है और एक ही स्थान पर पतली सड़क का दबाव होने से सड़क जल्दी टूटती है, यह कठिनाई भी है। दूसरे सड़कों को सीधा करने की बात यह है कि सीधा करने में खर्च क्यों किया जाय यह कहा गया। लेकिन जब कि ट्रैफिक ज्यादा है और आज कल की गाड़ियों की स्पीड भी अधिक है और जिनके कार्नर ब्लाइन्ड हैं और जहां कि एक्सीडेंट्स को रोकना निहायत जरूरी है वहां तो मजबूरन सीधा करना पड़ता है। यह ठीक है कि हर जगह सीधा करने के लिये पैसा नहीं है और न उनके लिये हमारा प्रयास है।

इसी तरह से जिन पुलों के टूटने का खतरा है या जहां कम चौड़ा होने के कारण पानी के वेग में अन्तर आ गया है वही पुल दोबारा बनाये जाते हैं, जैसे आपका यह लखनऊ का ही पुल बनाया जा रहा है। साधारणतया मालूम होता है कि मंकी ब्रिज तो तैयार है, दूसरा क्यों बनाया जाता है, लेकिन पानी का जो वेग है जिसके कारण बाढ़ आती है और पुराने पुल से पानी का निकास कम है तो उस हालत में दूसरा न बनायें तो हर साल बाढ़ के सिलसिले में ग्रसित इलाकों को तमाम तरह की मदद देनी पड़ती है। इसलिये इस तरह की मजबूरी में पुराने पुल के स्थान पर नये की जरूरत होती है। वैसे हर एक तोड़ कर नया पुल बनाने की हमारी कोई आम इच्छा नहीं है।

वर्क चार्ज के सम्बन्ध में मैंने आरम्भ में ही कहा था कि मुझे स्वयं बहुत असन्तोष है उसकी हालत से। वर्कचार्ज की एक समस्या नहीं है, बहुत सी समस्यायें उनकी हैं। अभी हाल में

उन्होंने एक सम्मेलन भी किया था और उसमें मुझे भी उन्होंने बुलाया था और अपनी बातें मेरे सामने रखी थीं। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ होगा और उनकी हालत सुधारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा इस ओर प्रयास होगा।

ओवर ब्रिजेज का जिक्र किया गया और कहा गया कि रेलवे अपना शेयर देती है। लेकिन वाकया यह है कि रेलवे देती ही क्या है। वह तो केवल एक लोहे का ढांचा बीच में खड़ा कर देती है, वह २०–२५ प्रतिशत भी नहीं होता कुल खर्च का। हमारी उनसे मांग है कि रेलवे कम से कम खर्च का आधा भाग वहन करे क्योंकि उसी को लाभ होता है। एप्रोच रोड्स भी उसी में शामिल होती हैं जिनके बनाने में काफी व्यय होता है।

श्री ऊदल––

वह एक तिहाई देने को तैयार है।

श्री जगनप्रसाद रावत––

हमें तो इसकी इत्तिला नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि आधा भार वह वहन करे तो बहुत से ओवरब्रिज बन सकते हैं और पब्लिक को सहूलियत हो सकती है।

नेशनल हाईवेज पर लेवी का जो सवाल है, तो हमारे जितने परमानेंट ब्रिज बन रहे हैं उन पर लैवी १९५६ के बाद ले रहे हैं। नेशनल हाईवेज के ब्रिजेज जो हैं उनके सम्बन्ध में कोशिश करेंगे कि अपना टौल ले लिया करें जिससे हमारी आमदनी बढ़े। पर हम नहीं कह सकते कि केन्द्रीय सरकार का क्या रुख होगा।

हिल्स पर रोड्स का जिक्र किया गया। वहां जितनी सड़कें इस थोड़े से अर्से में बनी हैं और स्कीम्स हैं इससे ज्यादा हिल्स में क्या हो सकता है इसकी बाबत आप स्वयं सोच सकते हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)––

पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों को हिल्स में पैसा मिलता है ४० से ४७ रु० महीना जब कि डी० डी० बी० आर० के लोगों को ९० रु० प्लस क्लोथिंग और फूडिंग और गोरखपुर के मजदूरों को १४० रु० मिलता है, तो यह डिस्पैरिटी कम करने की कोशिश करें।

श्री जगनप्रसाद रावत––

मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट में और हम में हर जगह डिस्पैरिटी है। यहां तक कि एम० पीज० और एम० एल एज० की तनख्वाह और भत्ते में भी डिस्पैरिटी है। यह सही है कि डिस्पैरिटी गलत है और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन हम क्या करें। कोयले के स्टाक का जिक्र किया गया और कहा कि ईंट भट्ठे से क्यों नहीं ली जाती है, मैं बताऊं-बहुत से विभाग हैं जो भट्ठे से ईंटें लेते हैं लेकिन उसमें काफी दिक्कत है। जितना कोयला दिया जाता है भट्ठों को उस सबका हिसाब रखा जाता है, ऐसा नहीं कि जिसको जितना चाहें दे दें। कोयला, सीमेंट के बारे में जितनी शिकायतें हैं यह मैं नहीं कहता कि माननीय सदस्य गलत कहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस सम्बन्ध में कोई व्यावहारिक सुझाव दें। इतना ही मैं कह सकता हूं कि जो भी प्रयास आप की तरफ से होगा उतना हमारी तरफ से होगा। लेबर सोसायटीज की बाबत कहा गया कि ठेकेदारी को बजाय उन्हीं को काम दिया जाय। रूरल मैन पावर स्कीम में यही होता है। लेकिन उसका बहुत सा रुपया सरेन्डर करना पड़ा क्योंकि सोसायटीज उस तरह की संगठित नहीं मिलीं। इसलिये मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वह अपने क्षेत्रों में इस तरह से सोसायटीज संगठित करायें और हम अवश्य उनको काम देंगे।

फार्मूले की बाबत बात आयी कि पुराना फार्मूला गलत है। सही है वह आउट आफ डेट हो गया है और चौथी योजना में वह फार्मूला हमारे लिये फ्रायनल अथारिटी नहीं है। मैंने

[श्री जगनप्रसाद रावत]

आपको एक परिपत्र दिया है, उसमें जो प्रायरिटी की बात लिखी हैं मैंने पूछा है आपकी राय में कैसी है। तो कोई फार्मूला हो स्थानीय स्थिति को देख कर और उसके हिसाब से जो हमारे प्रदेश के लिये ज्यादा ठीक बैठेगा उसी के लिये कोशिश करेंगे। स्टार ग्रिड के बारे में जो मेरे सामने आंकड़े हैं, मैं नहीं कह सकता कि शिकायतें कहां तक सही हैं, लेकिन जो चौथी योजना में होगा वह आप की और जिला परिषद् के सुझाव से होगा। अगर, कहीं कोई टेक्निकल एतराज होगा उसको हम आप को समझा देंगे वरना जो आपकी आज्ञा होगी वही मानेंगे क्योंकि जब जिले में काम करना है तो लोगों को नाराज करके काम नहीं करना चाहते। मैं तो यह चाहता हूं कि आप अपने जिले में भी देखें। आपस में मिल कर भी तय कर लें तो यह चीज आसान हो जायगी।

यह बात सही है कि जब मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में था उस वक्त भी मैंने महसूस किया और आडिट रिपोर्ट मे भी महसूस किया कि विभाग में जो काम होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। किसी काम की लाइफ पहले खत्म हो जाती है तो हमें उत्तरदायित्व लगाने में दिक्कत हो जाती है, रेस्पान्सिबलिटी फिक्स करने में दिक्कत हो जाती है। मैं समझता हूं कि इसमें काफी गुंजाइश है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मैं इस समय कुछ अधिक नहीं कह सकता हूं पर मैं यह आश्वासन देता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं, आलोचनाएं की हैं, उनके बारे में जो भी संभव हो सकेगा, कोशिश की जायगी। अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि कटमोशन को वापिस लिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

जलेसर-सिकन्दर राव रोड जो कि एक इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड है उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया, उसके बारे में क्या यह है कि वह बन जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जांच के पश्चात् जो कुछ भी संभव हो सकेगा, हम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५---सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ८,२२,९०,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४—६५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१९ मार्च, १९६४।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर]

१-३-६४ तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के निम्न स्थानों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा १४४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत आदेश दिये गये :—

स्थान	अवधि
१—आगरा शहर ..	२४-२-६४ से १५ दिन के लिये
फिरोजाबाद कस्बा	२५-२-६४ से १५ दिन के लिये
२—वाराणसी शहर ..	२५-१-६४ से दो माह के लिये
३—हरदोई (पूरे जिले में) ..	२५-१-६४ से एक माह के लिये, पुनः १ माह के लिये अवधि बढ़ाई गई।
४—मुरादाबाद (पूरे जिले में) ..	९-२-६४ से एक माह के लिये
५—बिजनौर (पूरे जिले में) ..	२२-२-६४ से २९-२-६४
६—बरेली (पूरे जिले में)—	
बरेली शहर	३०-१-६४ से २ माह के लिये
बरेली तहसील ..	१२-२-६४ से १ माह के लिये
बहेड़ी	१२-२-६४ से १ माह के लिये
आवला	१३-२-६४ से १ माह के लिये
फरीदपुर	१३-२-६४ से १ माह के लिये
नवाबगंज	१२-२-६४ से १ माह के लिये
७—प्रतापगढ़ (बेला प्रतापगढ़) प्रतापगढ़	
शहर व कटरा मेदनीगंज) ..	१३-२-६४ से २० दिन के लिये
८—शाहजहांपुर शहर—	२०-२-६४ से १० दिन के लिये
तिलहर व कटरा कस्बा ..	२३-२-६४ से ८ दिन के लिये
जलालाबाद कस्बा ..	२१-२-६४ से १० दिन के लिये
कांठ गांव व १ मील के घेरे में ..	२४-२-६४ से ७ दिन के लिये
९—सहारनपुर शहर ..	२१-१-६४ से दो माह के लिये (केवल लाउड स्पीकर पर प्रतिबन्ध)
,, ,, ..	९-२-६४ से ७-३-६४ तक
१०—इलाहाबाद शहर ..	१-१-६४ से २ महीने के लिये (केवल लाउड स्पीकर पर प्रतिबन्ध)
,, ,, ..	२४-२-६४ से एक सप्ताह के लिये
इलाहाबाद (कस्बा मंझनपुर पाटा)	२९-२-६४ से १५ दिन के लिये
११—अलीगढ़ (पूरे जिले में) ..	२२-२-६४ से ७-३-६४ तक
१२—पीलीभीत (पीलीभीत शहर, बीसलपुर, नेबोरिया, बिलसडा व पूरनपुर)	१५-२-६४ से १५ दिन के लिये।

स्थान	अवधि
१३—रायबरेली (नसीराबाद जिसमें जायस-टाउन एरिया सम्मिलित है) ..	१०—२—६४ से ३० दिन के लिये
१४—रामपुर (पूरे जिले में) ..	२४—२—६४ से १ महीने के लिये
१५—नैनीताल (नैनीताल का संपूर्ण शहरी क्षेत्र तथा बाजार किच्छा, खतीमा व सितारगंज तहसीलों के ग्राम)	२४—२—६४ से १५ दिन के लिये ।
१६—कानपुर शहर ..	८/९ फरवरी, सन् ६४ की रात्रि से ३० दिन के लिये
कानपुर (पूरे जिले में) ..	२६/२७ फरवरी, सन् ६४ की रात्रि से १२ मार्च की अर्द्ध रात्रि तक
१७—सीतापुर (पूरे जिले में) ..	८/९ फरवरी, ६४ की रात्रि से १ माह के लिये ।
१८—मिर्जापुर (शहर कोतवाली, देहात कोतवाली व विन्ध्याचल थाना) ..	२४—२—६४ से २ महीने के लिये ।
१९—देहरादून (देहरादून शहर) ..	१४—२—६४ से १ महीने के लिये ।
२०—गोरखपुर शहर ..	१४—१—६४ से १ महीने के लिये, पुनः १७—२—६४ से १ महीने के लिये ।
२१—आजमगढ़ (पूरे जिले में) ..	१६—१—६४ से एक महीने के लिये, बाद में इसकी अवधि एक महीने के लिये और बढ़ाई गई ।
२२—फतेहपुर (पूरे जिले में) ..	१४—२—६४ से १३—३—६४ तक ।
२३—लखनऊ का सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र ..	१८—१—६४ से १ माह के लिये, बाद में दि० १७—२—६४ से अवधि ७ माह के लिये बढ़ाई गई । (केवल लाउड स्पीकर पर प्रतिबन्ध)
,, ,, ..	५—२—६४ से एक माह के लिये । दिनांक ४—३—६४ से इसकी अवधि एक माह के लिये और बढ़ाई गई ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३० (४) अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७६ पर]

विवरण

२१–२–६४ को खानाबदोश जाति के नौ व्यक्तियों का एक दल जिसमें दो पुरुष, दो स्त्रियां और ५ बच्चे थे, ग्राम नगवा, थाना दुद्धी के पास एक वृक्ष के नीचे ठहरे थे, २२ तारीख को लोगों ने शाम को उन लोगों को उसी जगह खाना बनाते देखा था, २३ तारीख को शाम १६–३० बजे थाना दुद्धी पर ग्राम नगवा के सभापति ने यह सूचना दी कि उक्त दल का एक पुरुष, एक औरत तथा ३ बच्चे कत्ल किये हुए पड़े हैं और बाकी लोग भागे हुए हैं। इस सूचना पर थाने पर एक मुकदमा भा० दं० विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत दर्ज किया गया और मामले में जांच की जा रही है। मृत व्यक्तियों तथा भगे हुए व्यक्तियों के अजनबी होने के कारण अभी तक मुलजिमान का पता नहीं लगा सका है।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८१ पर]

उत्तर प्रदेश में कारतूसों का वितरण करने वाले रायफल क्लबों का विवरण

क्रम-सं०	क्लब का नाम	कारतूसों का वितरण करने निमित्त दिये गये डीलर्स लाइसेन्स का फार्म नम्बर	लाइसेन्स दिये जाने की तिथि
१	मेरठ डिस्ट्रिक्ट रायफल एसोसियेशन, मेरठ।	१३ ..	११ जनवरी, १९५८
२	डिस्ट्रिक्ट रायफल क्लब, बरेली	१३ ..	१६ जनवरी, १९६०
३	मुरादाबाद रायफल क्लब, मुरादाबाद।	९ पुराने नियमों के अन्तर्गत।	सितम्बर, १९६१
४	शाहजहांपुर रायफल क्लब, शाहजहांपुर।	१३ ..	८ जनवरी, १९६४
५	रायफल क्लब, पीलीभीत ..	१३ ..	२७ अप्रैल, १९६२
६	डिस्ट्रिक्ट रायफल एसोसियेशन, इटावा।	१० पुराने नियमों के अन्तर्गत।	१४ जुलाई, १९६०
७	कानपुर रायफल क्लब, कानपुर	१० पुराने नियमों के अन्तर्गत।	१४ नवम्बर, १९६०
		१२	११ अप्रैल, १९६१
८	डिस्ट्रिक्ट रायफल क्लब, फतेहपुर	१३ ..	१८ मई, १९६३
९	रायफल क्लब, गोरखपुर ..	१० पुराने नियमों के अन्तर्गत।	८ फरवरी, १९६२
१०	रायफल क्लब, लखनऊ ..	१० ,, ..	१ जनवरी, १९६२
११	रायफल क्लब, खीरी ..	१३ ..	१५ फरवरी, १९६२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

तालिका "अ"

उन कुओं की सूची जो पूर्ण हो चुके हैं परन्तु पूर्ण भुगतान नहीं हो सका है

क्रम-सं०	व्यक्ति का नाम तथा पता	स्वीकृत धनराशि	धनराशि जो भुगतान की गई	अवशेष धनराशि
१	२	३	४	५
	१९५८-५९ (राज्य योजना के अन्तर्गत)			
१	श्री देवान पासी, पुत्र बख्तावर, ग्राम सैदापुर	५००.००	२८४.००	२१६.००
	१९६०-६१ (राज्य योजना के अन्तर्गत)			
२	श्री ननकू पुत्र परसादी पासी, भाऊमऊ	५००.००	३००.००	२००.००
३	श्री नन्हे पुत्र तुला, ग्राम हरौनी ..	५००.००	..	५००.००
४	श्री छितान पुत्र मंगली चमार, रसूलपुर	५००.००	३००.००	२००.००
५	श्री शिव प्रसाद, ग्राम पूरा ..	२५०.००	..	२५०.००
६	श्री कल्लू पासी, ग्राम कुशलपुर ..	५००.००	..	५००.००
७	श्री महाबीर चमार, ग्राम जमालनगर	५००.००	..	५००.००
८	श्री हुलासी चमार, ग्राम लाडो खेड़ा ..	५००.००	..	५००.००
९	श्री सुक्खा पासी, ग्राम उदशाह ..	५००.००	..	५००.००
१०	श्री रामेश्वर पासी, ग्राम जंगलीखेड़ा	५००.००	..	५००.००
	१९५९-६० (केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत)			
११	श्री सरजू पुत्र इन्दू, ग्राम हिमखेड़ा ..	५००.००	३००.००	२००.००
१२	श्री गंगा प्रसाद पुत्र मेड़ी लाल, अमीरगंज	५००.००	४००.००	१००.००
१३	श्री मैकू पुत्र कल्लू पासी, फिरोजपुर रमई	५००.००	४००.००	१००.००
१४	श्री मैकू चमार, ग्राम औरास ..	५००.००	३५०.००	१५०.००
	१९६०-६१ (केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत)			
१५	श्री विश्राम पासी, ग्राम मकदमपुर ..	५००.००	२५०.००	२५०.००
१६	श्री दुर्गादास पुत्र कृपाल चमार, दरसवा	५००.००	१५०.००	३५०.००
१७	श्री कामता प्रसाद पासी, ग्राम नईपुर	५००.००	३००.००	२००.००
१८	श्री मैकू चमार पुत्र अयोध्या, तौरा	५००.००	३००.००	२००.००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८६ पर)

विवरण-पत्र

क्रम-सं०	कर्मचारी का नाम तथा पद जिसके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायती पत्र भेजने वाले का नाम, पता, शिकायती पत्र किस अधिकारी को प्राप्त हुआ	शिकायत का विवरण	जांच करने वाले का पद, जांच का परिणाम तथा की गयी कार्यवाही
१	२	३	४	५
१—श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, थानाध्यक्ष, रुद्रपुर।	प्रार्थी श्री नूरअली (कामरेड) (प्रधान पुलिस निरीक्षक के द्वारा ५–१०–६३ को पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ।)	घूस न देने पर कटहल कुचलवाने व नष्ट कराने की शिकायत।	उप-अधीक्षक पुलिस द्वारा जांच हुई। मामले को प्रार्थी ने बढ़ा-चढ़ा कर दिया था जो असत्य पाया गया। थानाध्यक्ष ने जो कुछ किया था वह जनहित में किया था परन्तु इस कार्य में उन्होंने कुछ असावधानी अवश्य बरती थी। उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
२—रूद्रपुर थाने के दो कांस्टेबिल (नाम नहीं दिये गये)	प्रार्थी श्री हरदेव पुत्र श्री दुबरी केवट, सा० डहरौली, थाना रुद्रपुर (ता० १९–१२–६३ को पुलिस अधीक्षक, देवरिया को प्राप्त हुआ।	पचास रुपये रिश्वत मांगने व जमीन पर कब्जे के सिलसिले में बन्द करने की धमकी।	सर्किल इन्स्पेक्टर ने जांच की, शिकायत असत्य पाई गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३—थाना रुद्रपुर की पुलिस के विरुद्ध।	प्रार्थी श्री अभिराज सिंह व गंगेसर सिंह, सा० पचलरी कतपूरा, थाना रुद्रपुर (पुलिस अधीक्षक, देवरिया को २१-१२-६३ को प्राप्त हुआ।)	डकैती में फंसाने व घर की तलाशी लेने की शिकायत।	सर्किल इन्स्पेक्टर ने जांच की, प्रार्थी का धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान अदालत हो चुका है। तलाशी से उसके घर से डकैती का माल बरामद हुआ था।
४—श्री ब्रह्मदेव सिंह, थाना-ध्यक्ष, रुद्रपुर व दो कांस्टेबिल (नाम नहीं दिये गये)।	तार गंगा अहीर कुरैनी, थाना रुद्रपुर (ता० १४-२-६४ को पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ।)	नाजायज तरीके पर गिरफ्तारी।	सर्किल इन्स्पेक्टर द्वारा जांच हुई। प्रार्थी १०७/११७, १५१, जा० फो० में गिरफ्तार होकर चालान किया गया था। पेशबन्दी में प्रार्थना-पत्र दिया था।
५—थाना रुद्रपुर का कांस्टेबिल (नाम नहीं दिया गया है)।	प्रार्थी श्री काशी व जौहर सा० भदिला थाना रुद्रपुर (१४-१०-६३ को पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ।)	सम्मन की तामील में परेशान करना व रिश्वत लेना।	सर्किल इन्स्पेक्टर द्वारा जांच कराई गई। जांच के समय प्रार्थी ने इंकार किया कि प्रार्थना-पत्र उसका दिया हुआ है।
६—थानाध्यक्ष, रुद्रपुर मय कर्मचारीगण उस थाने के।	प्रार्थी राम नारायन अहीर, ग्राम भदिला, थाना रुद्रपुर (१५-१०-६३ को पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ।)	रिश्वत लेने व बेजातौर पर बैठाने तथा परेशान करने की शिकायत।	उप-अधीक्षक पुलिस, देवरिया द्वारा जांच हुई है। शिकायत सही नहीं पाई गई।
७—कांस्टबिल कैलाश नाथ मिश्रा, थाना रुद्रपुर।	प्रार्थी श्रीमती बालकेशा देवी, ग्राम बनियापार, थाना रुद्रपुर (जिलाधीश द्वारा १४-२-६४ को एस० पी० को प्राप्त हुआ।)	रिश्वत लेने की शिकायत।	सर्किल इन्स्पेक्टर द्वारा जांच की गई। शिकायत सही नहीं पाई गई।

१	२	३	४	५
८—श्री ब्रह्मदेव सिंह, थानाध्यक्ष रुद्रपुर।		प्रार्थी श्री गंगेसर सिंह, सा० पचलडरी, थाना रुद्रपुर (दिनांक ३०-१२-६३ को सरकार द्वारा एस० पी० को प्राप्त हुआ।)	प्रार्थी के लड़के को पीटने व गिरफ्तार करने की शिकायत।	उप-अधीक्षक पुलिस, देवरिया द्वारा जांच की गई। जांच से प्रार्थना-पत्र असत्य पाया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति (ख) विभाग

संख्या ५२७/२-बी—२६०-१६६२

लखनऊ, दिनांक १६ अक्तूबर, १६६३

कार्यालय ज्ञापन

विषय—अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाना

अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय ज्ञापन संख्या २१६७/२-बी—२६२-१६६१, दिनांक २५ मई, १६६१ का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदश के राज्यपाल के नियमकारी अधिकार के अधीन सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति आयु ५८ वर्ष से ५५ करने का निश्चय किया गया था । भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष कर दी है । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का अनुसरण करने का निश्चय किया है और विज्ञप्ति संख्या जी-१/१७६४-१०-५३४ (१६)-५७, दिनांक १६ अक्तूबर, १६६३ जारी की है, जिसमें फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खंड २, भाग २ से ४ तक के फण्डामेंटल रूल ५६ का संशोधन किया गया है जिसके फलस्वरूप अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु ५५ वर्ष से बढ़कर ५८ वर्ष हो गई है ।

२—यह आदेश ऐसे अवर सरकारी कर्मचारियों (Inferior Government Servant) पर लागू नहीं होंगे, जो इस समय ६० वर्ष की आयु तक सेवा करने के हकदार हैं । उनके सम्बन्ध में अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु पूर्ववत ६० वर्ष रहेगी।

३—वैज्ञानिक तथा प्राविधिक (technical) कर्मचारियों की सेवा की अवधि ५८ वर्ष की आयु से आगे बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कि वे कार्य करने के लिये स्वस्थ तथा उपयुक्त हों।

४—ऐसे सरकारी कर्मचारी जो १ जनवरी, १६६४ के पूर्व सेवा से निवृत्त हो गये हैं या सेवा से निवृत्त होंगे, इन आदेशों के अधीन पुनः कार्य-भार ग्रहण करने के हकदार नहीं हैं।

५—ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जो ३१ दिसम्बर, १६६३ के अपराह्न को सेवा की बढ़ाई गई अवधि पर हों, ५८ वर्ष की आयु तक सेवा में रहने दिया जाना चाहिये।

६—पूर्वलिखित पैराग्राफों में दी गई किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी (appointing authority) किसी सरकारी कर्मचारी से उसकी ५५ वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् कोई कारण बताये बिना तीन महीने की सूचना देकर सेवा से निवृत्ति होने के लिये कह सकता है। सरकारी कर्मचारी भी ५५ वर्ष की आयु हो जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी (appointing authority) को तीन महीने की सूचना देने के बाद स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो सकता है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में जिनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो अथवा करने का विचार हो, यह सूचना तभी प्रभावी होगी जब नियुक्ति प्राधिकारी

(appointing authority) द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाय। यदि एक बार सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचना दे दी जाय तो वह नियुक्ति प्राधिकारी (appointing authority) की अनुमति के बिना वापस नहीं ली जा सकेगी।

ये आदेश १ जनवरी, १९६४ से लागू होंगे।

रामेश्वर प्रसाद भार्गव,

मुख्य सचिव।

सेवा में--(१) शासन के समस्त सचिव।

(२) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

संख्या ५५२७ (१)/२-बी--२६०-६२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित :

(१) सचिवालय के समस्त विभाग,

(२) राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के सचिव,

(३) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

(४) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

प्रतापकृष्ण कौल,

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य–१) विभाग

संख्या जी-१-१७६४/१०–५३४ (१६)–५७

लखनऊ, १६ अक्तूबर, १६६३

विज्ञप्ति

विविध

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु को ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष कर देने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उन सरकारी कर्मचारियों की, जिन पर फण्डामेंटल रूल ५६ लागू होता है, सेवा-निवृत्ति की आयु को उसी प्रकार बढ़ा देने का निर्णय किया है :

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद ३०६ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों और तदर्थ समस्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल फण्डामेंटल रूल ५६ में, जैसा कि वह वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या जी-१-१२३३/१०–५३४ (१६)-१६५७, दिनांक २५ मई, १६६१ के अधीन अन्तिम बार संशोधित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

संशोधन

१––फण्डामेंटल रूल ५६ में :––

(१) जहां-जहां भी अंक "५५" आया हो, उसके स्थान पर अंक "५८" रख दिया जाय।

(२) खण्ड (ए) के अन्त में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"Provided that :

(i) the appointing authority may require the government servant to retire after he attains the age of 55 years on 3 months' notice without assigning any reasons; or

(ii) the government servant may, after attaining the age of 55 years, voluntarily retire after giving 3 months' notice to the appointing authority."

"Provided further that :

(i) The notice of voluntary retirement given under the first proviso by a government servant against whom a disciplinary proceedings

is pending or contemplated, shall be effective only if it is accepted by the appointing authority subject to the condition that, in case of contemplated disciplinary proceedings, the government servant is so informed before the expiry of the notice.

(ii) the notice once given by a government servant under the first proviso shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority."

२--उपर्युक्त संशोधन १ जनवरी, १६६४ से लागू होंगे।

आज्ञा से,

रामेश्वरप्रसाद भार्गव,

मुख्य सचिव।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

नकल चिक दस्तन्दाजी मु० इ० नं० ६७३

चिक नं० ६७७ धारा ४५२/३२४/१२०/बी० भा० दं० वि०

वकुवा ३१–१०–६३ ई०, समय करीब १ १/२ बजे दिन

मरजुवा ३१–१०–६३, समय १४ १/२ बजे दिन

घटना स्थल मो० लोहार बाग ४ फर्लांग पूरब दक्षिण

वादी श्री भिखारी लाल रघुबर दयाल, सम्पादक कृषक, मो० लोहार बाग, थाना हाजा।

बनाम राजेन्द्र उर्फ राजू चन्द्र भाल सिंह मो० विजय लक्ष्मी नगुर थाना हाजा (२) राम प्रताप (३) राम शंकर खेतान (४) राज कुमार सिंह सैल टैक्स आफिसर, सीतापुर।

सूचना जबानी वादी

मैं और श्री हसनेन जैदी कचेहरी की तरफ से घर जा रहा था, रास्ते में चक्की के मोड़ से मैंने देखा कि श्री कपूर ई० ओ०, म्यूनिसिपल बोर्ड के मकान के पास पुलिया पर चारपाई डाले राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू. पुत्र चन्द्र भाल सिंह नि० मो० विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर व राम प्रताप पुत्र नामालूम करीब १ १/२ बजे दिन को बैठे थे। मैं उन्हें देखकर पंडित राम शरन की चक्की पर बैठ गया इसके बाद यह लोग नन्हकऊ के मकान पर चक्की के निकट आ गये। मैं उन्हें देखकर पंडित राम शरन के बंगले में बैठ गया, वहां थोड़ी देर बैठा रहा इसके १० मिनट बाद आये और एकदम मेरे ऊपर झपटे, इतने में मैं पंडित राम शरन के मकान में घुस गया वहां जाकर कमरे के किवाड़ बन्द करने लगा और पंडित राम शरन जो कि उसी कमरे में सो रहे थे वह भी शोर सुनकर जाग पड़े, मैं दोनों किवाड़ पकड़े दोनों लड़कों को अन्दर से घुसने रोक रहा था कि इतने में राजू ने मेरे ऊपर गुप्ती से वार किया राम प्रताप ने भी राजू का पूरा साथ दिया और मेरा हाथ पकड़ने लगा इतने में बहुत शोर मचाया और मैं बड़ी मुश्किल से किवाड़े में कुन्डी लगा पाया इसके पहले पहले पंडित जी कमरे के बाहर निकल गये थे और बहुत शोर-गुल करने लगे तब मैं बच सका अथवा जान से मार डालते और यह कह रहे थे कि आज तुम्हें जान से मार डालेंगे, राजू ने मेरे बायीं तरफ सीने पर गुप्ती से वार किया था मैं दाहिनी तरफ हट गया जिससे गुप्ती बायें पखौरे पर लगी और गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा किवाड़ बन्द करने के बाद भी राजू और राम प्रताप बाहर खड़े रहे और मार डालने पर तुले रहे कि मेरे व जैदी के शोर पर खलील ड्राइवर, लालता खटिक और मूल चन्द चमार आदि आ गये और उन्होंने डांटा तब लोग उधर मैं सैल टैक्स आफिसर श्री राजकुमार सिंह के खिलाफ अपने अखबार कृषक में निकाला और एक चिट्ठी भी सूचना अधिकारी को लिखी है यह बात राम शंकर खेतान को बहुत बुरी लगी क्योंकि खेतान और श्री राज कुमार सिंह में बहुत मेल है खेतान ने मुझे से कहा था कि राजकुमार सिंह के खिलाफ कुछ मत निकालो नहीं तो अच्छा न होगा और खतरा उठा जाओगे मैंने इनको जवाब दिया कि मैं सही खबर जरूर निकालूंगा चाहे कुछ भी हो इस पर वह नाराज होकर चले गये इनका राजू व राम प्रताप से बहुत मेल है और उन्होंने राज कुमार सिंह सेल टैक्स आफिसर से साजिश करके राजू और राम प्रताप से मुझे जान से मार डालने के लिये गुप्ती से घायल करवाया है रिपोर्ट लिखकर कार्यवाई किया जाय जो लिखाया लिखा गया बयान पढ़ा कर सुना ठीक है हस्ताक्षर बनाता हूं।

भिखारी लाल वर्मा,
पुत्र रघुबर दयाल,
सम्पादक कृषक, लोहार बाग, सीतापुर।

३१–१०–६३।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों द्वारा १६ से २२ जनवरी, १९६४ के बीच फर्रुखाबाद में की गई यात्राओं एवं उन पर हुए व्यय के विवरण की तालिका

क्रम-संख्या	नाम व पद	यात्रा की तिथियां	यात्रा पर हुआ व्यय
१	श्री अली जहीर, न्याय मंत्री	२२ एवं २३ जनवरी, १९६४	इस यात्रा का अभी तक मार्ग व्यय बिल नहीं बनाया गया है।
२	श्री राम मूर्ति, सामुदायिक विकास मन्त्री।	१८ जनवरी, १९६४	,, ,,
३	श्री बनारसी दास, सहकारिता मन्त्री।	१६ एवं १७ जनवरी, १९६४	६९ रु० ७२ नये पैसे
४	श्रीमती तारा अग्रवाल, सभा सचिव।	२१ एवं २२ जनवरी, १९६४	७७ रु० २८ नये पैसे

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९८ पर)

थाना जराफनगर, जिला बदायूं में दिसम्बर, ६३ तथा जनबरी, ६४ में हुए कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरी तथा पशुओं की चोरी की घटनायें

क्रम-सं०	अपराध	मास	घटनाओं की संख्या जिनकी सूचना प्राप्त हुई	विशेष
१	कत्ल ..	दिसम्बर, ६३ ..	..	दिसम्बर, १९६३ तथा जन-
		जनवरी, ६४ ..	२	वरी, १९६४ में सर्वश्री
२	डकैती ..	दिसम्बर, ६३ ..	१	अलीजान खां, आशाराम
		जनवरी, ६४		तथा किशन लाल मगन
३	राहजनी	दिसम्बर, ६३	..	क्रमशः थाने के इंचार्ज
		जनवरी, ६४	..	रहे।
४	चोरी	दिसम्बर, ६३	३	
		जनवरी, ६४	२	
५	पशुओं की चोरी	दिसम्बर, ६३	०	
		जनवरी, ६४	३	

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

महानिरीक्षक पुलिस के दौरे दिनांक १–१–६२ से आज तक	उप-महानिरीक्षक पुलिस के दौरे दिनांक १–१–६२ से आज तक
८–१–६२	६–१–६२ से ६–१–६२
१८–१०–६२ से १६–१०–६२	८–२–६२ से १०–२–६२
२८–१–६३	१८–२–६२ से २०–२–६२
२८–२–६३ से १–३–६३	३०–३–६२ से ४–४–६२
१४–६–६३	२७–४–६२ से २८–४–६२
७–२–६४ से ८–२–६४	१६–६–६२ से २२–६–६२
	३०–६–६२ से २–१०–६२
	२४–१०–६२ से २५–१०–६२
	२३–१२–६२
	१७–१–६३ से ३०–१–६३
	२२–२–६३ से २४–२–६३
	२८–२–६३ से १–३–६३
	२५–३–६३ से २७–३–६३
	२६–३–६३ से ३१–३–६३
	२–४–६३ से ३–४–६३
	१८–५–६३ से २२–५–६३
	२४–७–६३ से २५–७–६३
	१–६–६३
	२–११–६३ से ५–११–६३
	१–२–६४
	६–२–६४ से ८–२–६४
	२–३–६४ से ४–३–६४

उप-महानिरीक्षक ने जिन तिथियों पर जनता के प्रतिनिधियों से भेंट की :

४–४–६२

२१–६–६२

३–४–६३

४–३–६४

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

उत्तर प्रदेश में पुलिस, पी० ए० सी० तथा इसी शाखा से संबंधित अन्य विभाग में इस समय निम्नलिखित अफसर डी० आई० जी० के पद पर उनके नाम के आगे लिखी तिथियों से कार्य कर रहे हैं

नाम	पद	तैनाती की तिथि
१—श्री इस्लाम अहमद	डी० आई० जी० पुलिस, गोरखपुर रेञ्ज।	७-७-६१
२—श्री जियाराम	डी० आई० जी० पुलिस इन्टेलीजेन्स, लखनऊ।	२२-२-६१
३—श्री आनन्दस्वरूप गुप्त	डी० आई० जी० पुलिस हेडक्वार्टर, इलाहाबाद। (१-१-६४ से अवकाश पर। श्री जौहरीमल जैन स्थानापन्न डी० आई० जी० पुलिस हेडक्वार्टर का कार्य कर रहे हैं।)	१-६-६२
४—श्री ए० के० दास	डी० आई० जी० पुलिस, मेरठ रेञ्ज	१५-६-६२
५—श्री एन० एस० सक्सेना	डी० आई० जी० पुलिस ट्रेनिंग तथा प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद।	२२-६-६२
६—श्री एम० यू० अहमद	डी० आई० जी० पुलिस, आगरा रेञ्ज	१-६-६२
७—श्री एस० ए० टामस	स्थानापन्न डी० आई० जी० पुलिस, लखनऊ रेञ्ज।	६-६-६०
८—श्री कमरुल हसन	स्थानापन्न डी० आई० जी० पुलिस, बरेली रेञ्ज।	२७-८-६१
९—श्री एच० के० कर	स्थानापन्न डी० आई० जी, पुलिस कानपुर रेञ्ज।	१८-२-६१
१०—श्री अजीज आलम	स्थानापन्न डी० आई० जी, पी० ए० सी०, लखनऊ। (१४-१-६४ से अवकाश पर/श्री आर० सी० गोपाल, स्थानापन्न डी० आई जी०, पी० ए० सी० का कार्य कर रहे हैं।)	२६-६-६२
११—श्री गोविन्दचन्द्र	स्थानापन्न डी० आई० जी० पुलिस, सी० आई० डी०, लखनऊ।	१७-३-६२
१२—श्री ई० जे० मुकन्द	स्थानापन्न डी० आई० जी० पुलिस, वाराणसी रेञ्ज।	६-२-६४

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६४ के दूसरे गुरुवार के लिये नियत श्री गणेशचन्द्र काछी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
२२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाल ही में जनता की तरफ से सरकार के पास ऐसे सुझाव आये हैं कि हाकिम परगनों को पूरे उत्तर प्रदेश भर के लिये बन्दूकों के लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया जावे ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या किया ?	२२—ऐसा कोई सुझाव शासन को प्राप्त नहीं हुआ। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१० एल० ए०—१९६४—८६०।